बुधवार,
५ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९५३

सभा की बैठक सुबह आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूरेनियम-थोरियम का कारखाना

*१३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित यूरेनियम-थोरियम के कारखाने का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, और यदि ऐसा है तो क्या कोई प्रगति हुई है ;

(ख) इमारत का निर्माण और संयंत्रों, यंत्र तथा अन्य सामान का संस्थापन कब तक पूर्ण होने की आशा है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये अनुमानित व्यय क्या है ;

(घ) कारखाने पर पूंजी की लागत क्या है ;

(ङ) क्या कारखाने के संचालन के साथ किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों का सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है ; और

(च) यदि ऐसा है तो वे कौन हैं और किन शर्तों पर उनका ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। भूमि समतल कर दी गई है और नींव खोदी जा रही है ।

(ख) १९५४ के अन्त में ।

(ग) और (घ)। इस परियोजना पर लगभग ४५ लाख रुपयों के पूंजी व्यय का अनुमान है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फ़ैक्टरी की सालाना पैदावार की क्या मिक़दार होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : क़रीब सवा दो सौ टन थोरियम नाइट्रेट इस फ़ैक्टरी द्वारा बनाया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : विशेषज्ञ किस देश से आ रहे हैं और उनके साथ क्या शर्तें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने जवाब में बतलाया है कि विशेषज्ञ कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय उपमंत्री सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अणु शक्ति आयोग अपने वार्षिक कार्य का कोई प्रतिवेदन प्रकाशित करता है ?

श्री के० डी० मालवीय: निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ हुआ है। जैसा कि मैं ने कहा, भूमि ले ली गई है और नींवें डाली जा रही हैं। जब किसी प्रगति प्रतिवेदन के प्रकाशन का समय आयेगा तब निश्चय ही प्रतिवेदन उचित प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री वी० पी० नायर: इस कारखाने के उत्पाद क्या हैं और क्या उनमें से कोई विदेशों को निर्यात किये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: कदाचित् इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं हुआ है।

श्री दामोदर मेनन: कारखाना कहां पर बनेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: बम्बई के निकट ट्राम्बे में।

श्री दामोदर मेनन: सरकार ने यह कारखाना ट्राम्बे में क्यों बनाना निश्चित किया, त्रावनकोर-कोचीन में क्यों नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय: चूंकि इन उत्पादों के निर्माण में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त है उसके सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण तथा गवेषणा की आवश्यकता पड़ती है अतः इस संयंत्र को अणु शक्ति आयोग के मुख्यालय के समीप किसी स्थान पर स्थापित करना आवश्यक समझा गया था।

श्री दामोदर मेनन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कारखाने के स्थान को निश्चित करने से पूर्व त्रावनकोर-कोचीन सरकार की सलाह ली गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय: इस कारखाने की स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक कार्यवाहियां की गई थीं।

श्री मेघनाद साहा: क्या यह तथ्य नहीं है कि इंगलैंड तथा अन्य देशों में अणु-शक्ति के कारखाने देश भर में फैले हुए हैं और किसी एक औद्योगिक केन्द्र में स्थित नहीं हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं यह जानकारी माननीय सदस्य से पा रहा हूं।

श्री केलप्पन: क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने के लिये कच्चे माल कहां उपलब्ध हैं ?

श्री के० डी० मलवीय: इस कारखाने के कच्चे माल आलवे से उपलब्ध होंगे।

कृत्रिम चावल

*१३१. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खाद्यान्न शिल्प विज्ञान सम्बन्धी गवेषणा संस्था के संचालक, जिन्होंने कृत्रिम चावल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सम्भावना विशेष तौर पर आवश्यक मशीन के प्रकार, उसके मूल्य और काम करने की दशाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिये ब्रिटेन तथा योरपीय महाद्वीप की यात्रा की थी, किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सके हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो कृत्रिम चावल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारखाने की स्थापना का भविष्य कैसा है ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वित होने की कब तक सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्,।

(ख) और (ग), इन प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा संचालक की सिफ़ारिशों पर जिन पर सरकार अत्यावश्यक रूप से विचार कर रही है, लिये जाने वाले निर्णय पर निर्भर हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जो डाइरेक्टर साहब यूरोप भेजे गये थे, इस काम के वास्ते, क्या वह लौट

आये हैं और क्या उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और अगर कर दी है तो उसका क्या फल हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अर्ज़ किया कि उस रिपोर्ट पर तो गवर्नमेंट ग़ौर करेगी और बहुत जल्द फ़ैसला करेगी । वह वापस आ गये हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस फ़ैक्टरी के बनने की सम्भावनाओं के बारे में उनका विचार अच्छा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, मैं ने अर्ज़ किया कि उनकी सिफ़ारिशें जो अभी गवर्नमेंट के सामने हैं उनका सारांश यही है कि जो मशीनें इस समय बाहर हैं उनमें मुनासिब संशोधन किया जा सकता है ताकि चावल के दाने यहां बन सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि दूसरे देशों में कौन कौन कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है और जो मशीनें वहां इस्तेमाल होती हैं वह यहां काम आयेंगी या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रकार के चावल को अभी किसी दूसरे देश में बनाने का आयोजन हुआ है यह मुझे नहीं मालूम है । यह तो यहां की योजना है । जो मशीनें इस वक्त मौजूद हैं वह और प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाती हैं । यही बात देखने के लिए डाइरेक्टर साहब बाहर गये थे और मालूम हुआ है कि जो मशीनें आज मौजूद हैं उनमें ऐसा संशोधन किया जा सकता है कि हमारे पदार्थों के मिश्रण से चावलों के दाने यहां अच्छी प्रकार से बन सकेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय औषधि संबंधी गवेषणा परिषद् ने कृत्रिम चावल के उत्पादन के विरुद्ध राय दी है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान् ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह जो कृत्रिम बनाया जाने वाला है उस में स्वाभाविक चावल के सब गुण रहेंगे या कि वह सिर्फ देखने में ही चावल के माफिक रहेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: जो पदार्थ बनाने की योजना है उनके लिये वैज्ञानिकों ने यह बतलाया है कि उनमें चावल से ज्यादा पौष्टिक पदार्थ हैं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर के केन्द्रीय खाद्यान्न शिल्प संबंधी गवेषणा संस्था में कृत्रिम चावल पर प्रयोगों ने कहां तक प्रगति की है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्होंने पर्याप्त प्रगति की है । लेकिन कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं । क्योंकि अंतिम रूप से उत्पादन के पूर्व प्राकृतिक चावल की पकाए जाने की विशेषताएं कृत्रिम चावल में उत्पन्न करनी हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : सरकार ने खाद्यान्न शिल्प संबंधी गवेषणा संस्था के संचालक को विदेश भेजने में कितना व्यय किया ?

श्री के० डी० मालवीय: अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी ने इस चावल का स्वाद लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां कई बार ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जब संचालक ने योरप का दौरा किया था तब क्या उन्होंने कृत्रिम चावल के उत्पादन के लिए कोई मशीन आदि खरीदी थी ?

श्री के० डी० मालवीय : संचालक ऐसी मशीनों को खरीदने की संभावना और हमारी आवश्यकतानुसार उनकी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए योरप गए थे ।

बाबू श्री रामनारायण सिंह : किन किन पदार्थों से यह चावल बनेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पिछले सदन में दे चुका हूं लेकिन माननीय सदस्य की सूचना के लिए यह बतलाऊंगा कि जो कच्चा पदार्थ ऐसे अन्न के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वह टैपिओका है और मूंगफली है ।

श्री मेघनाद साहा : यह कृत्रिम चावल क्यों कहलाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : लोगों ने उसको इस प्रकार कहना प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक यह मशीनें यहां आ कर काम करने लगेंगी उसके पेश्तर क्या इस देश में उस किस्म का चावल बनाया जा रहा है । यदि हां, तो कितनी मिकदार में ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अर्ज किया था कि इस प्रकार के ऐक्सपैरीमेंट मैसूर में हो रहे हैं और अगर वह ऐक्सपैरीमेंट सब भली प्रकार संतोषजनक रीति से सफल हो जायेंगे तो ऐसे चावल बनेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कृत्रिम चावल का उत्पादन आर्थिक दृष्टि से एक अच्छा प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक अनुसन्धानों से पता चलता है उससे हम यह विश्वास करने को तैयार हैं कि इस प्रकार से उत्पादित खाद्यान्न आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा ।

फ्रांसीसी भारत के साथ व्यापार

*१३२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फ्रांसीसी भारत की सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा भारतीय संघ से होने वाले आयातों के भुगतान के हेतु भारतीय मुद्रा के मासिक कोटा के निश्चित किए जाने का, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी भारत में आवश्यक वस्तुओं के आयात घट गए हैं, फ्रांसीसी भारत के साथ भारतीय व्यापार पर प्रभाव ;

(ख) क्या अभी तक फ्रांसीसी भारत में भारतीय मुद्रा का निर्बाध प्रवेश होता था;

(ग) यदि ऐसा था तो इस विषय में फ्रांसीसी भारत की सरकार की कार्यवाही के कारण ; और

(घ) क्या उस सरकार से फ्रांसीसी भारत के व्यापारियों द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप नीति कुछ उदार की गई है अथवा भविष्य में ऐसा होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) कुछ समय पूर्व ऐसी सूचनायें मिली थीं कि भारत से होने वाले अपने आयातों को वित्त-पोषित करने के हेतु फ्रांसीसी भारत द्वारा भारतीय रुपयों के मासिक-कोटा निश्चित कर दिये गये थे । फ्रांसीसी भारत के प्राधिकारियों ने इन समाचारों का खण्डन यह कहते हुए किया है कि फ्रांसीसी भारत की अर्थ व्यवस्था के लिये भारत से होने वाले आवश्यक आयातों की अपेक्षाओं के अनुपात में भारतीय मुद्रा दी जाती है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) जैसा कि कहा जा चुका है, फ्रांसीसी भारत के प्राधिकारियों ने किसी मासिक कोटा के निश्चित किये जाने के समाचार का खण्डन किया है । सम्भव है कि भारत से होने वाले आयातों के भुगतान के लिये मुद्राओं की छूट पर लगाये गये प्रतिबन्ध पिछले कुछ महीनों से पांडीचेरी में अनुभव को जाने वाली भारतीय मुद्रा की कमी के कारण हो ।

(घ) नीति में हाल में हुए किन्हीं परिवर्तनों की हमें सूचना नहीं है । कमी को दूर करने के हेतु फ्रांसीसी भारत के प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप मुद्रा की स्थिति कुछ संभली हुई प्रतीत होती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : फ्रांसीसी भारत सरकार ने जो यह कार्यवाही की है इससे भारतीय व्यापार पर क्या असर पड़ा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : असर तो अच्छा होगा, क्योंकि अब जो कार्यवाही की गयी है वह इस तरह की है कि उस से चलन ज्यादा लभ्य हो जाय ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की करेंसी का फ़िक्सेशन किसी और विदेशी उपनिवेश से भी हुआ है ?

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसी मुश्किलातें कभी कभी और भी देशों के साथ हो जाया करती हैं ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या, जब कि एक तरफ़ पांडीचेरी में भारतीय मालों के प्रवेश के विरुद्ध ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र में फ्रांसीसी माल को चोरी छिपे लाना बढ़ नहीं गया है ; और यदि ऐसा है तो उसको रोकने के हेतु भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक नियमित व्यापार है, माल का चोरी छिपे लाना ले जाना नहीं है ।

श्री रघुरामय्या : माल के चोरी छिपे लाने ले जाने के गुप्त तरीक़े से माल का आवागमन ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं वह लम्बा प्रश्न फिर से सुनना चाहूंगा ।

श्री रघुरामय्या : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब कि एक तरफ़ फ्रांसीसी सरकार फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र में भारतीय मालों के आगमन को कम करने के हेतु ये प्रतिबन्ध लगा रही है, भारतीय राज्य क्षेत्र में चोरी छिपे मालों के आवागमन के द्वारा फ्रांसीसी माल का आना बढ़ नहीं गया है, और यदि ऐसा है तो भारत सरकार उसको कम करने अथवा रोकने के हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि उसको रोकना हमारा कर्तव्य है । अभी तक व्यापार संतुलन अधिकाधिक हमारे अनुकूल रहा है । १९५०-५१ में वह २८.५ लाख रुपये था, १९५१-५२ में ५२·२ लाख रुपये और १९५२-५३ में ७३·८ लाख रुपये । और वस्तुतः इसी कारण से फ्रांसीसी भारत में भारतीय मुद्रा की कमी हुई थी । अतः यदि वे निर्यातों को बढ़ा कर अपने आयातों को कम करते हैं तो वह एक सही दिशा में कार्यवाही होगी इस माने में कि उसके फलस्वरूप और अधिक भारतीय मुद्रा उपलब्ध होगी । पांडीचेरी से भारत में चोरी छिपे सोना ले जाने में कमी हो जाने के कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० एम० एम० दास उठे —

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अगला प्रश्न पुकारे जाने से पहिले उठा करें। मैं प्रश्न कर्त्ता द्वारा दो या तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद देखूंगा कि कोई और तो प्रश्न नहीं रहा और फिर अगला प्रश्न पुकारूंगा। अब से मैं अगला प्रश्न पुकारने के बाद किसी माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दूंगा।

डा० दास।

डा० एम० एम० दास: क्या यह सत्य नहीं कि भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों में विदेशों से जो माल आयात किया जाता है वह वहां की खपत से अधिक होता है और इसमें से बहुत सा माल चोरी छिपे भारत भेज दिया जाता है?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े, कोई नहीं हैं कि फ्रांसीसी भारत में कितना माल आयात होता है, कितने की वहां खपत है और बाक़ी बचा कितना माल हमारे यहां भेजा जाता है। परन्तु यह सम्भव है कि कुछ न कुछ माल चोरी छिपे यहां भेजा जाता हो। यह एक सामान्य समस्या है जिसके बारे में हमें अच्छी तरह पता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न :

अधिग्रहीत ज़मीनें तथा इमारत

*१३३. **डा० एम० एम० दास:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) गत महायुद्ध में भारत सरकार के तत्कालीन प्रतिरक्षा विभाग ने जिन ज़मीनों और इमारतों को अधिगृहीत किया था और अपने क़ब्ज़े में लिया था उनके प्रतिकर के दावों के निपटारे से सम्बन्धित उन मामलों की कुल संख्या जो सरकार के अब भी विचाराधीन हैं;

(ख) इन दावों के निपटारे में विलम्ब के कारण;

(ग) प्रतिकर नहीं दिये जाने के फलस्वरूप, अधिगृहीत ज़मीनों और इमारतों के मालिकों को उनके कष्टों तथा कठिनाइयों के लिये सरकार किसी प्रकार क्षतिपूर्ति देने का विचार करती है; तथा

(घ) क्या खेती की अधिगृहीत ज़मीनों के लिये, जिनके बारे में अभी कुछ निश्चय नहीं किया गया है, इस समय फसल प्रतिकर दिया जा रहा है?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) १९६८।

(ख) दावों के निपटारे में विलम्ब के कारण यह हैं:

(१) कलक्टरों द्वारा प्रतिकर के निर्धारण में विलम्ब।

(२) दावा करने वालों से उपयुक्त बिलों का प्राप्त न होना।

(३) दावा करने वालों का पता न लगना।

(४) मध्यस्थ-निर्णय के लिये निर्देश।

(५) मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील।

(६) प्राप्त करते तथा वापस देते समय जो शर्तें थी उन के बारे में उपयुक्त अभिलेख का न होना।

(७) दावा करने वालों के बहुत अधिक बढ़े हुए दावे।

(८) लेखा-परीक्षकों द्वारा दावों की जांच करने तथा उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निपटारे में समय का लगना।

(९) दावा करने वालों को जो प्रस्ताव किये जाते हैं उनकी मंजूरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में लम्बा पत्र-व्यवहार।

(१०) मध्यस्थों के सामने तथा उच्चन्यायालयों में उन के निर्णय के विरुद्ध अपीलों में लगने वाला लम्बा समय ।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां वास्तव में लोगों को कठिनाई है, दावों की राशि पर उपयुक्त ब्याज दे दिया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

डा० एम० एम० दास : मेरे प्रश्न के भाग 'घ' का उत्तर माननीय मंत्री ने "नहीं" में दिया है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि दावों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने तथा भुगतान किये जाने से पहले, कृषि-भूमियों के मालिकों को फ़सल-प्रतिकर क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : सरकार द्वारा किसी सम्पत्ति के ले लिये जाने के बाद, फ़सल के लिये प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० एम० एम० दास : तो क्या सरकार निश्चित किये गये मूल्य पर दावों के निपटारे तथा वास्तविक भुगतान के बीच के समय के लिये ब्याज देने को तैयार है ?

सरदार मजीठिया : ऐसा पहले से किया जा रहा है । जैसा मैं कह चुका हूं ऐसे मामलों में जहां लोगों को कठिनाई है, कुछ ब्याज दिया जा रहा है ।

डा० एम० एम० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा इन ज़मीनों और इमारतों को अधिग्रहीत किये लगभग दस वर्ष हो गये हैं और दावा करने वालों को अब तक प्रतिकर नहीं दिया गया है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि दावों का निपटारा न होने और रुपये का भुगतान न किये जाने से लोगों को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं और उनमें कितना असन्तोष है ?

सरदार मजीठिया : सरकार को पूरी तरह पता है । परन्तु, जैसा मैं प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बता चुका हूं, कभी कभी स्थिति हमारे हाथ के बाहर होती है और मुक़दमेबाज़ी शुरू हो जाती है जिसमें समय लगता है । यदि दावा करने वाले ही मुक़दमेबाज़ी न करें तो मैं समझता हूं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : जहां तक मुझे पता है, कठिनाई के अधिकतर मामले मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजे जाते हैं । तो फिर उन मामलों में इतनी देर क्यों हो जाती है और आठ-आठ वर्ष तक उनका फ़ैसला क्यों नहीं होता ?

सरदार मजीठिया : विलम्ब के कारण मैं बता चुका हूं । कुछ मामलों में कलक्टरों को प्रतिकर का निर्धारण करना होता है, इसकी फिर लेखा परीक्षक जांच करते हैं । आपत्तियां उठाई जाती हैं, उन्हें दूर किया जाता है । इसमें समय लगता है ही ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी वह कारण बताये कि जिनके सबब से इस मामले में देर हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आशा की जाती है कि यह सारा मामला तय हो जायगा ।

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है । उदाहरणार्थ, कुछ मामलों में दावा करने वालों का पता नहीं चलता । ज्यों ही उनका पता चल जायगा, सारे मामले तय हो जायेंगे । परन्तु इन दावों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ; मैं आशा करता हूं कि अक्तूबर तक यह काम पूरा हो जायगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) के कितने केसेज़ (मामले) अब तक पैंडिंग (लम्बित) हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं भाग (क) में इसका उत्तर दे चुका हूं। १९६८ मामले हैं।

डा० एम० एम० दास : माननीय मंत्री ने सम्बन्धित अभिलेखों का खो जाना एक कारण बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन मामलों में क्या किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में अभिलेख खो गये हैं—क्योंकि इसमें दावा करने वालों का तो कोई दोष नहीं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं सदन को वचन दे सकता हूं कि म इस बात का पूरा प्रयत्न करूंगा कि इन मामलों को शीघ्र से शीघ्र निबटाया जाये। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और कुछ अधिकारियों को भी इस काम पर लगाने का प्रयत्न करूंगा ताकि इन मामलों का जल्दी से जल्दी फ़ैसला हो जाये।

"हंट" की क़िस्म के विध्वंसकों का क्रय

*१३४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने का कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने हाल ही में इंगलैंड से तीन "हंट" की क़िस्म के विध्वंसक खरीदे हैं ?

(ख) ये विध्वंसक किन शर्तों पर खरीदे गये हैं ?

(ग) इनका मूल्य कितना है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तीन "हंट" लड़ाकू जहाज़ (फ्रिगेट) ब्रिटिश नौवहन विभाग से उधार लिये गय हैं।

(ख) (१) इन जहाज़ों को लेने से पहले उन पर जो भी काम कराना होगा, या आवश्यकता के अनुसार जो भी मशीन आदि लगानी, होगी उसके लिये भारत उत्तरदायी होगा।

(२) इन जहाज़ों की देखभाल का स्तर तथा इनके पुर्ज़े तथा सामान आदि बदलने की अवधि वही हो, जो शाही नौसेना के जहाज़ों की है।

(३) भारत इन जहाज़ों में जो भी अदल बदल करे वह ब्रिटिश नौवहन विभाग की मंज़ूरी से और अपने खर्चे पर करे।

(४) जहाज़ों को उसके सामान के साथ उसी हालत में वापस किया जाये जिसमें वे लिये गये थे ; (उचित टूट फूट को माना जायेगा) ;

(५) नुक़सान हो जाने पर, क्षतिपूर्ति देनी होगी जिसका फ़ैसला मिल कर किया जायेगा।

(६) यह जहाज़ तीन वर्ष के लिये उधार दिये गये हैं ; समझौता होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है परन्तु संकट काल में मांगे जाने पर इन्हें वापस करना होगा।

(ग) इन जहाज़ों के आधुनिकी करण पर तथा इनमें अन्य सामान आदि लगाने पर लगभग ९० लाख रुपया खर्च हुआ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन जहाज़ों से काम लेना कब आरंभ किया गया था और अब वे पुराने हो गये हैं या नहीं ?

श्री त्यागी : यह जहाज़ १९३९ और १९४२ के बीच बनाये गये थ और पानी में उतारे गये थे। मरम्मत के बाद उनकी हालत अच्छी हो जायेगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कुछ प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि इनमें से कम से कम एक जहाज़ को ढांचा बदलने और उनमें आधुनिक मशीनें आदि लगाने के लिय मर्सीसाइड शिपयार्ड में भेजना पड़ा था ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, इन तीनों जहाज़ों में आधुनिक मशीनें आदि लगाने का कुछ न कुछ काम हुआ था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : नइ जहाज़ों के अस्थायी रूप से प्राप्त किये जाने के कारण क्या उन्हें ब्रिटिश नौ सेना के साथ भूमध्य

सागर में या अन्य कहीं होने वाले नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लेना होगा ?

श्री त्यागी : इस अभ्यास का ब्रिटिश नौसैनिक जहाज़ों से कोई सम्बन्ध नहीं । यह जहाज़ इसलिये लिये गये हैं क्योंकि हमें अपने यहां के बहुत से प्रशिक्षणार्थियों को नौसैनिक प्रशिक्षण के लिये इंगलैंड भेजना होता था । परन्तु कुछ समय बाद इंगलैंड ने अनुभव किया कि वह भारत से आने वाले इतने सारे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दे सकता । इसलिये यह जहाज़ हमें कुछ समय के लिये दे दिये गये हैं ताकि हम इन लोगों को भारत में ही प्रशिक्षण दे सकें ।

पंडित एस० सी० मिश्र : इन तीन जहाज़ों के ख़रीदने में सरकार को कितना ख़र्च करना होगा ?

श्री त्यागी : इन्हें ख़रीदा नहीं गया है । मुझे खेद है इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि यह जहाज़ पुराने क़िस्म के हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या आधुनिक प्रशिक्षण अब भी ब्रिटिश नौसेना द्वारा दिया जायगा ?

श्री त्यागी : जी हां । आवश्यकता होने पर, विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

श्री जोशिम अलवा : इन जहाज़ों के आधुनिकीकरण पर ९० लाख रुपये का भारी ख़र्चा करने से पहले, क्या मंत्रालय ने निष्पक्ष विशेषज्ञों से राय ली थी जो बता सकते थे कि यह जहाज़ काम में अच्छे हैं, इनसे युद्ध के समय आक्रमण किया जा सकता है और यह केवल ब्रिटिश नौसेना के पुराने और रद्दी जहाज़ नहीं हैं ?

श्री त्यागी : यह जहाज़ हमारी नौसेना के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये लिये गये हैं । यह जहाज़ ठीक हैं और इन्हें लिये जाने से पहले इनकी जांच कर ली गई थी । भारत में हमारे विशेषज्ञों ने भी प्रमाणित कर दिया था कि यह जहाज़ हमारे कार्य के लिये अच्छे हैं ।

सेना कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा

*१३५. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को पता है कि चूंकि सेनाकर्मचारियों का एक भाषा-क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में जल्दी जल्दी स्थानान्तरण होता रहता है इसलिये उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई उठानी होती है ?

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है या बनाना सोचती है जिससे ये बच्चे अपने पिताओं या संरक्षकों के स्थानान्तरण से प्रभावित हुए बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सकें ?

(ग) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । जी हां ।

(१) राज्य सरकारों से समस्त सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों को यह अनुदेश जारी करने के लिये प्रार्थना की गई है कि सेना-कर्मचारियों के बच्चों के लिये वर्ष के बीच में दाख़िला नहीं करने की पाबन्दी हटा दी जाये और उन्हें किसी समय भी दाख़िल कर लिया जाये, चाहे वे पंजीबद्ध किये गये हैं या नहीं ।

(२) राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई है कि सेना कर्मचारियों के बच्चों को उन स्कूलों में प्रादेशिक भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़न के बारे में छट दे दी जाये जहां वह भाषा शिक्षा का माध्यम न हो । अभी सारे राज्यों के विचार मालूम नहीं हुए हैं । मद्रास, मैसूर, राजस्थान

और त्रावनकोर-कोचीन सरकार अपनी मंज़ूरी दे चुकी है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह योजना केवल अधिकारियों के बच्चों के बारे में ही है या सैनिकों के बच्चों के बारे में भी है ?

सरदार मजीठिया : यह सब बच्चों के लिये हैं, इस में जे० सी० ओ०, एन० सी० ओ०, तथा अन्य श्रेणियां शामिल हैं ।

श्री नानादास : क्या सेना-कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्रतिरक्षा विभाग द्वारा प्रबन्धित कोई और ऐसे स्कूल हैं जहां निःशुल्क छात्रावास हों ।

सरदार मजीठिया : ऐसे कोई स्कूल नहीं हैं । परन्तु शायद माननीय सदस्य नौगांव, अजमेर, बेलगांव, तथा बंगलौर स्थित किंग जार्ज स्कूलों को निर्दिष्ट कर रहे हैं । वहां सेना कर्मचारियों के बच्चों के लिये १५० सीटें हैं और अन्य १५० सीटें असैनिकों के लिये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रक्षा विभाग इन स्कूलों से ऐसी कोई बातचीत करता है कि उन्हें स्कूल में केवल दाखिल होने की सुविधा ही न हो वरन् वहां उनके रहने का प्रबन्ध भी किया जाये वरना, इससे कोई लाभ नहीं निकलेगा ।

सरदार मजीठिया: मेरे पास इस विषय में सूचना नहीं है परन्तु मैं निश्चय ही प्रतिरक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित स्कूलों से पूछताछ करके माननीय सदस्य को सूचना दूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं उन बच्चों की संख्या जान सकता हूं जो सेना कर्मचारियों के स्थानान्तरण से प्रभावित होते हैं ?

सरदार मजीठिया: मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

उचित मज़दूरी समिति

*१३६. **श्री बी० सी० दास**: (क) वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई उचित मज़दूरी समिति की सिफ़ारिशों को गाज़ीपुर अफ़ीम फ़ैक्टरी के मज़दूरों के मामले में क्रियान्वित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें मज़दूरों की उचित मज़दूरी समिति की सिफ़ारिशों की क्रियान्विति से पहले और बाद की तुलनात्मक मज़दूरी दी गई हो ?

वित्त मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारत सरकार ने कोई "उचित मज़दूरी समिति" नियुक्त नहीं की । शायद माननीय सदस्य केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा अप्रैल, १९५० में मज़दूरों के वर्गीकरण तथा भारत की अफ़ीम फ़ैक्टरियों में लगे मज़दूरों की मज़दूरी के वैज्ञानिकन के लिये नियुक्त की गई समिति के बारे में पूछ रहे हैं । ग़ाज़ीपुर अफ़ीम फ़ैक्टरी के मज़दूरों की मज़दूरी के मामले में समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७**]

श्री बी० सी० दास : विवरण में दी गई दरें दूसरी अफ़ीम फ़ैक्टरियों की दरों की तुलना में क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: समिति की सिफ़ारिशों को ग़ाज़ीपुर अफ़ीम फ़ैक्टरी पर लागू किया गया है । मेरे पास दूसरी फ़ैक्टरियों की मज़दूरी की दरें तो मौजूद नहीं हैं । मैं इतना कह सकता हूं कि दूसरी फ़ैक्टरियां बहुत छोटी हैं । उनमें नियुक्त मज़दूरी की संख्या इतनी अधिक नहीं हैं ।

श्री बो० सो० गुहा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन सिफ़ारिशों को दूसरी फ़ैक्टरियों पर भी लागू किया गया है ।

श्री ए० सो० गुहा: मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता । मैं पहिले बतला चुका हूं कि इन्हें ग़ाज़ीपुर फ़ैक्टरी पर लागू किया गया है तथा कि दूसरी फ़ैक्टरियां बहुत छोटी हैं ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई फ़ैक्टरी पर भी फ़ैक्टरी अधिनियम लागू होगा ? यदि ऐसा है तो क्या न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम भी इन फ़ैक्टरियों पर लागू होगा ?

श्री ए० सो० गुहा : ये फ़ैक्टरियां फ़ैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, परन्तु माननीय सदस्य यह जानते हैं कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम सरकारी फ़ैक्टरियों पर लागू नहीं होता क्योंकि वहां पर मजूरी तुलनात्मक बहुत अधिक है ।

सहायकों की भर्ती

***१३७. चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष सहायकों की कुछ नियुक्तियां प्रत्यक्ष रूप से ही कर ली गई थीं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी संख्या कितनी है ?

(ग) उनके चुनने का आधार क्या है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि निकट भविष्य में भी प्रत्यक्ष ढंग से नियुक्तियां होने वाली हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) तक। वर्ष १९५२ में किसी भी स्थायी अथवा नियमित अस्थायी सहायक सेवा श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से कोई भर्ती नहीं की गई है । हो सकता है कि नौकरी दफ्तर की सिफ़ारिशों पर कुछ सहायक नितान्त अस्थायी सेवा में लिये गये हों ।

(घ) वर्ष १९५३ में सहायकों की प्रत्यक्ष भर्ती की कोई परीक्षा नहीं होगी । इस बात का फ़ैसला नहीं किया गया है कि कोई परीक्षा १९५४ में की जाय या नहीं ।

केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षणा विद्यालय, आबू

***१३८. चौ० रघुवीर सिंह : गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या यह सत्य है कि सरकार आबू में केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करने वाली है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

अन्दमान में विस्थापित

***१३९. चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्दमान में बसने के लिये विस्थापित व्यक्तियों के लिये परिवार अभी तक गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अन्दमान में ४४६ विस्थापित परिवार बसाये जा चुके हैं ।

चौ० रघुवीर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कितने और परिवार वहां पर बसाये जाने वाले हैं ?

श्री दातार: इस वर्ष में ४०० और विस्थापित परिवारों को अण्डमान में भेजने का विचार किया गया है ।

श्री रघुरामय्या : मैं जान सकता हूं कि अन्डमान में बसे विस्थापित व्यक्तियों को क्या विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री दातार: उन्हें ५ एकड़ कृषियोग्य भूमि तथा पांच एकड़ पहाड़ी भूमि घर आदि बनाने के प्रयोजनों से दी जाती है । कुछेक व्यय की मदों को पूरा करने के लिये उन्हें

२,००० रु० नगद दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पांच वर्ष तक उनसे कोई भूमि कर नहीं लिया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों की भेजी गई सर्वप्रथम टुकड़ी को लांग आइलैंड पर अथवा पोर्ट ब्लेअर पर बसाया गया है ?

श्री दातार : कुछेक को लांग आइलैंड पर तथा दूसरों को पोर्ट ब्लेयर पर ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या ये सुविधायें उन सब भूमिहीन मज़दूरों को दी जायेंगी जो अन्दमान जाने तथा वहां बसने के लिये तैयार हैं ?

श्री दातार : जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है, अगले वर्ष से ७५ प्रतिशत तो विस्थापित व्यक्ति होंगे तथा २५ प्रतिशत अन्य राज्यों से होंगे । इन सब रियायतों को किसानों के लिये रक्षित किया गया है ।

श्री नानादास : इन रियायतों को देने के लिये क्या प्रक्रिया निश्चित की गई है ?

श्री दातार : यह प्रक्रिया मुख्य आयुक्त, अन्दमान के सम्बन्ध में लागू होगी ।

भूमि रेहन बैंक

*१४०. **श्री हेडा** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि भारत के विभिन्न भागों में कितने भूमि रेहन बैंक काम कर रहे हैं ?

(ख) इन बैंकों द्वारा ऋण दी गई कुल राशि कितनी है ?

(ग) भारत सरकार का इन कार्यों में रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अन्यथा इन भूमि रेहन बैंकों को दिये गये अग्रिम धन या ऋण आदि के रूप में कितना भाग है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) केन्द्रीय सहकारी भूमि रेहन बैंक तथा २८९ प्राथमिक सहकारी भूमि रेहन बैंक ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में २५०·६५ लाख रु० (जिसमें हैदराबाद केन्द्रीय सहकारी भूमि रेहन बैंक शामिल नहीं क्योंकि उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कोई अग्रिम धन या ऋण नहीं दिये हैं । रिज़र्व बैंक भूमि रेहन बैंकों को केन्द्रीय भूमि रेहन बैंकों द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों के प्रत्येक निर्गमन के २० प्रतिशत भाग के क्रय-रूप में सहायता देता है तथा इन ऋण पत्रों को अग्रिम धन-राशियों के सम्बन्ध में स्वीकार्य प्रतिभूतियों की मान्यता प्रदान करता है । रिज़र्व बैंक ने अभी तक ५४.०२ लाख रु० के ऋण-पत्र खरीदे हैं ।

श्री हेडा : क्या माननीय मंत्री महोदय के पास स्टेटवाइज़ इसके आंकड़ हैं ? और अगर हैं तो कौनसी स्टेट है जिसमें इस प्रकार का ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है ?

श्री ए० सी० गुहा : भूमि रेहन बैंकों को मद्रास तथा मैसूर में अच्छे आधार पर संगठित किया गया है । दूसरे राज्यों में इसे अच्छी प्रकार से संगठित नहीं किया जा सका है तथा अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं ।

श्री हेडा : आंकड़ ?

श्री ए० सी० गुहा : केन्द्रीय भूमि रेहन बैंक, मद्रास, वर्ष में दिये गये ऋणों की राशि ८२·८४ लाख रुपये, बम्बई १८·९० लाख रुपये ; मैसूर १७.१५ लाख रुपये; उड़ीसा १.८६ लाख रुपये ; त्रावणकोर-कोचीन ३.२७ लाख रुपये तथा सौराष्ट्र १२६·५८ लाख रुपये ।

श्री हेडा : चूंकि इस पंच वर्षीय योजना के अन्दर कृषि के ऊपर और कृषि उत्पादन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया गया है, इस लिहाज़ से सारे प्रदेशों में लैंड मार्टगेज़ बैंकों का काम इस बड़े पैमाने पर हो इस दृष्टि से हुकूमत क्या कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह सूचना अवश्य होगी कि ग्राम बैंक-कारबार जांच समिति ने भूमि-रेहन बैंकों को दृढ़ करने के लिये कुछ सिफ़ारिशें की थीं तथा उन सिफ़ारिशों के अनुसरण से, रिज़र्व बैंक ने पहले से ही कुछ कार्यवाही की है । रिज़र्व बैंक ग्राम्य ऋण प्रणाली के सम्बन्ध में भी सारे देश में जांच कर रहा है । उनके प्रश्न का उत्तर यह है कि रिज़र्व बैंक की यह आकांक्षा है कि सारे देश में कृषि को उन्नत करने के लिये ग्राम्य ऋण उपलब्ध रहे ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जान सकता हूं कि इस बैंक से रक्षित किसानों को ऋण देने का कोई सुझाव विचाराधीन है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं जानता कि रक्षित किसान कौन लोग हैं । जहां तक मैं कह सकता हूं, ये ऋण किसानों को दिये जाते हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि ऋण-पत्रों के क्रय तथा रिज़र्व बैंक की इन बैंकों को विकसति करने की आकांक्षा के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा इन बैंकों को कोई रियायतें तथा विशेष सुविधायें भी दी गई हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पहले बतला चुका हूं कि इन बैंकों के ऋण-पत्रों को स्वीकार्य प्रतिभूतियों के रूप में शामिल कर लिया गया है तथा कि इन्हें 'ट्रस्टी' प्रतिभूतियां भी माना जा चुका है ।

श्री आर० के० चौधरी : सरकारी संस्थाओं द्वारा संगठित लैंड मार्गेज बैंकों की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या उन्हें रिज़र्व बैंकों से कोई सहायता मिलती है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न सहकारी भूमि-रेहन बैंकों के बारे में है । जो उत्तर दिये गये हैं, वे सब उन्हीं के सम्बन्ध में हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में प्रचलित भू-लगान सम्बन्धी प्रणालियों में कुछ अन्तर होने से जनता के लिये इन बैंकों से सारे लाभों को उठाने के मार्ग में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं तथा यदि ऐसा है तो देश में विभिन्न प्रकार के पट्टों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को ये लाभ उपलब्ध करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्य की आशंका कुछ सीमा तक ठीक है । उन्हें अवश्य ही विदित होगा कि इन असंगतियों को दूर करने के लिये लगभग सारे ही राज्यों में कृषि सम्बन्धी विधान पारित किये जा रहे हैं ताकि इन किसानों को उचित सुविधायें मिल सकें ।

लायक अली की भू-सम्पत्ति

१४१. श्री हेडा : (क) क्या **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निज़ामाबाद ज़िले में मीर लायक अली की कुल कितने एकड़ भू-सम्पत्ति है ?

(ख) कितने एकड़ भूमि में गन्ने की कृषि हो रही है ?

(ग) किसी असरकारी पक्ष को दिये गये पट्टे की शर्तें क्या हैं ?

(घ) सरकार इन ज़मीनों के मामले को किस प्रकार से निपटाना चाहती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १,०३६ एकड़ ।

(ख) ४१८ एकड़ तथा २२ गुन्ता ।

(ग) तथा (घ) सारे फ़ार्म को सिन्धी विस्थापित व्यक्तियों को देने का विचार किया गया है तथा उन्हें ३८५ एकड़ के पट्टे पर देने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं । इसी बीच में कृषियोग्य भूमि के एक भाग को (१२८ एकड़ २८ गन्ते) स्थानीय किसानों को १४,३९५ रुपये पर पट्टे पर दिया गया है । इस क्षेत्र को जो उपरोक्त भाग (ख) में शामिल है, अप्रैल, १९५४ में विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाने के लिये उपलब्ध किया जायगा ।

श्री हेडा : सिंधी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को अब तक कुल जमीन इस तरह से बांटी गई है, और बाकी जो जमीन बची है उस का क्या किया जा रहा है ?

डा० काटजू : मैंने अर्ज किया कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को अब तक ३८५ एकड़ जमीन दी गई है और बाकी जो बची है और जिस की काश्त हो सकती है उस में पहले गवर्नमेंट ने खुद काश्त की थी, लेकिन मालूम हुआ कि उस में खर्च बहुत होता है, इस वजह से वह मुकामी काश्तकारों को दे दी गयी और अप्रैल सन् १९५४ यानी अगले साल से वह सब डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को दी जायेगी ।

डा० एन० बी० खरे : डिस्प्लेस्ड पर्सन्स वह खर्चा कहां से बर्दाश्त करेंगे जब गवर्नमेंट उस को नहीं बर्दाश्त कर सकती है ?

डा० काटजू : आप ने ख्याल नहीं फर्माया, मैं ने कहा कि खर्चा ज्यादा होता है । रैय्यत कम खर्च करती है ।

डिप्टी स्पीकर महोदय : डा० सुरेश चन्द्र ।

श्री पी० एन० राजभोज : सभापति जी .....

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ; मैं पहले ही डा० सुरेश चन्द्र का नाम पुकार चुका हूं । माननीय सदस्य ऐसे ही उठकर प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस जमीन के कुछ भाग को सिन्धी शरणार्थियों को पहले ही दिया जा जा चुका है । क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाबी शरणार्थियों से यह विभेद क्यों किया गया है ?

डा० काटजू : मुझे प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये । यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है कि वे शरणार्थियों की किस श्रेणी को सबसे अधिक पात्र समझते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह दूसरी जातियों के लिये क्यों नहीं है, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये क्यों नहीं है? खाली सिंधियों के ही लिये क्यों है?

डा० काटजू : अगर सिंधी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स में शैड्यूल्ड कास्ट के लोग आयेंगे तो उनका लिहाज रखा जायगा । डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स में बिल्कुल अभी कोई वास्ता नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह फैसला राज्य सरकार कर सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि फैसला राज्य सरकार करती है या केन्द्रीय सरकार ?

डा० काटजू : ठीक ठीक उत्तर के लिये मैं प्रश्न की सूचना चाहता हूं । मेरा विचार था कि यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है ।

श्री नानादास : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ भूमि स्थानीय रय्यत को दी गई है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि वे धनी जमींदार हैं अथवा भूमिहीन कृषि सम्बन्धी श्रमिक हैं ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये । इसमें कोई भेद नहीं है ।

अभ्रक मंत्रणा-समिति के सुझाव

***१४२. श्री हेडा :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभ्रक की कीमतों में उतार-चढ़ाव को निगृहीत करने के लिये अभ्रक मंत्रणा-समिति द्वारा नियुक्त उप समिति ने कौन से सुझाव प्रस्तुत किये हैं ?

(ख) सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) उप-समिति ने यह सिफारिश की कि डालरों के रूप में विपाटन हेतु कुछ न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर दी जायं ।

(ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार अनुविध्यात्मक न्यूनतम कीमतें निर्धारित करना आवश्यक नहीं था ।

श्री हेडा: क्या सरकार यह जानती है कि इन प्राइसेज़ के फिक्स न होने की वजह से यह माइन्स साल में कुछ महीने ही काम कर सकती हैं और कुछ महीने काम नहीं कर सकती हैं जब कि प्राइसेज़ कम हो जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्राइसेज़ निर्धारित करने के लिये गवर्नमेन्ट ने यह मुनासिब नहीं समझा कि कानून से कोई मिनिमम प्राइस तय की जाय, बल्कि गवर्नमेन्ट ने यह मुनासिब समझा कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों मिलकर के एक मुनासिब दाम तय करें, और इसका अच्छा परिणाम हुआ है ।

श्री हेडा: क्या माननीय मंत्री महोदय बता सकते हैं कि गुजिश्ता छः महीने या एक साल के अन्दर इसके परिणाम स्वरूप कोई कमी फ़लक्चुएशन्स में हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं छः महीने के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन खरीदने वालों के रिप्रेजेन्टेटिव्स के कहने पर एक अमरीकन माइका खरीदने वाली फर्म ने क़ीमत कुछ बढ़ाई है ।

दिल्ली में बालकों का अपहरण

***१४३. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या **गृह-मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सन् १९५२ में और ३१ मई सन् १९५३ तक कितने बालकों के अपहरण के समाचार प्राप्त हुए थे ?

(ख) कितने मामलों का पता लगाकर उन्हें विचार हेतु भेजा गया है ?

(ग) इस प्रकार के अपराधों की रोक थाम के लिये क्या विशेष सावधानियां बरती गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) दिल्ली में १९५२ में १४७ और ३१ मई १९५३ तक ५५ बालकों का अपहरण किया गया था ।

(ख) सन् १९५२ में छप्पन और ३१ मई सन् १९५३ तक २४ ।

(ग) (i) प्रमुख गलियों और बाजारों में पुलिस के दस्ते विशेष रूप से जाग्रत कर दिये गये हैं ।

(ii) इस प्रकार के अपराधों में प्रवृत्त होने वाले सन्देहास्पद व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाती है ।

(iii) डुग्गी पीटने वाले पुलिस-मैनों की सहायता से जन साधारण को उक्त व्यक्तियों से सावधान किया जा रहा है ।

श्रीमती ए० काले: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने अपहरणों के पीछे निहित उद्देश्य ढूंढने का प्रयत्न किया है ?

श्री दातार: उद्देश्य की कल्पना की की जा सकती है । वे विविध हैं : आभूषणों अथवा दुराचार के लिये ।

श्रीमती ए० काले : अपहृत बालकों में लड़कियां कितनी हैं ?

श्री दातार: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: जिन मामलों का पता लगाया गया है उनमें से कितने पुलिस की सहायता से और कितने अपहृत बालकों द्वारा कैद से निकल भागने

और पुलिस को समाचार देने से मालूम हुए हैं ?

श्री दातार : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं किन्तु मैं सदन को सूचना दे दूं कि १४७ बालकों में से १२६ सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटा दिये गये हैं और ३१ मई, १९५३ तक अपहरण किये गये ५५ बालकों में से तीस का पता लगाकर उन्हें यथास्थान लौटा दिया गया है ।

श्री मुनिस्वामी : उक्त बालक उत्तरी भारत से सम्बन्धित हैं अथवा दक्षिणी भारत से या भारत के सब भागों से हैं ?

श्री दातार : वे भारत के सम्पूर्ण भागों से सम्बन्धित हैं । वे दिल्ली में बसे हुए हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि अपराधियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार : जो कुछ कार्यवाही की जा रही है वह अभियोजन पर आधारित है ।

पुलिस आयोग

*१४४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस आयोग की नियुक्ति के विषय में सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

(ख) क्या इस दिशा में विभिन्न राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं, यदि हुए हैं तो वे क्या हैं ?

(ग) प्रस्तावित पुलिस आयोग के कर्मचारी-वृन्द कितने रहेंगे तथा उनके पद-निर्देश क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख) . अभी नहीं ।

(ग) इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा करना समय से पूर्व है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या पुलिस आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई ज्ञापन जारी किया है ?

डा० काटजू : अभी तक जिन राज्य सरकारों से परामर्श किया है हमें कुछ उत्तर प्राप्त हुए हैं और अधिक उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । ये निर्दिष्ट प्रश्नों पर हैं और उत्तर प्राप्त हो जाने पर यह विचार किया जायेगा कि इस महत्वपूर्ण विषय में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अफ़गान वायुसेना के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*१४५. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अफगान वायुसेना के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में क्या भारत और अफगानिस्तान में परस्पर कोई करार हुआ है ?

(ख) यदि यह सच है तो उक्त करार के अधीन कितने अफगान छात्रसैनिकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है ?

(ग) कितने अफगान छात्रसैनिक प्रशिक्षण हेतु पहले से ही भारत में आ गये हैं ?

(घ) उनको किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (घ) . अफगान सरकार की प्रार्थना पर भारत के विभिन्न वायुसेना प्रशिक्षण स्कूलों में सीमित संख्या में अफगान वायुसेना के कर्मचारयों को प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिये भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है । सतरह अफगान छात्रसैनिक और ६२ अफगान वायुदल के व्यक्ति इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मेरे प्रश्न के (घ) भाग का क्या उत्तर है ?

श्री त्यागी : मैंने (क) से (घ) तक पहले ही उत्तर दे दिया है। (घ) के सम्बन्ध में, वे विभिन्न स्थानों पर हैं। विभिन्न अनुक्रमों के लिये रिक्त जिन स्थानों पर उन्हें भेजा गया है वे तम्बारन, जलहल्ली, बेगमपत, जोधपुर तथा अन्य हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस शिक्षा में जो कि अफगानों को दी जाती है कोई विशेष खर्चा होता है ?

श्री त्यागी : प्रशिक्षण में सदैव खर्चा होता है और यदि हम व्यक्तियों को अधिक संख्या में प्रशिक्षण दें तो स्वभावतः खर्च में वृद्धि होगी।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि अगर कुछ विशेष खर्च होता है तो उसे हम लोग देते हैं या अफगान सरकार देती है ?

श्री त्यागी : आम तौर मे खर्चा का कुछ हिस्सा तो हमारे ऊपर पड़ता है इस वास्ते कि ट्रेनिंग के स्टाफ वगैरह के और पेट्रोल वगैरह के रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उनमें काफी हिस्सा हमारा इंस्टीट्यूशन देता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वहां से ट्रेनिंग लेने आते हैं मुझे पूरा यकीन नहीं लेकिन मेरा अन्दाज़ा है कि शायद उनका अपना खर्चा अफगान गवर्नमेंट देती है।

श्री जोशिम अल्वा : क्या इन अफगान छात्रसैनिकों को सरकार वही एकरूप और व्यवस्थित प्रशिक्षण दे रही है जो कि इण्डोनेशिया और बर्मा के छात्रसैनिकों को दी गई थी ?

श्री त्यागी : ये सब देश समान स्तर पर हैं।

उपमहोदय : दूसरा प्रश्न।

माही को निर्यात

***१४६. श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २१ मई, १९५३ से केन्द्रीय आबकारी अधिकारियों द्वारा मलाबार जिले के निकटवर्ती मलाबार तट के माही की फ्रांसीसी भारतीय बस्तियों में जाने वाले व्यक्तियों पर बीड़ियों और दूध के अतिरिक्त किसी भी तरह की वस्तु ले जाने पर प्रतिषेध आज्ञा जारी की गई है ?

(ख) केन्द्रीय आबकारी प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा अधिसूचना संख्या २७—आगम शुल्क, दिनांक १ मई, १९५३ से माही में ऐसे पदार्थों का निर्यात प्रतिषेध कर दिया है जिन पर शुल्क अथवा उपकर देय है और सम्बन्धित भूमिशुल्क प्राधिकारी प्रतिषेधाज्ञा को परिवर्तित कर रहे हैं।

(ख) प्रतिषेधाज्ञा इस दृष्टि से जारी की गई थी कि शुल्कदेय पदार्थों का चोरी से भारत से बाहर जाना रुक जाय जो कि भारत के समीपवर्ती प्रदेशों से माही भेजे जाकर विदेशों को रवाना कर दिये जाते थे।

श्री ए० के० गोपालन : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में विलीनीकरण के समर्थक व्यक्तियों को माही से निर्वासित करने के कतिपय प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप ही ऐसा किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि २१ मई, १९५३ से माही के समीपवर्ती स्थानों में लगाय गय सीमाशुल्क प्रतिबन्धों को हटा लिया गया

है और यदि यह ठीक है तो कौन सी तिथि से और उसे वापस लेने के क्या कारण थे ?

श्री ए० सी० गुहा : यह एक मई, १९५३ से ही जारी किया गया है अतः प्रतिबंधों को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या माही में किसी तरह का आन्दोलन हुआ था ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार माही बस्ती की यात्रा से बचते हुए रेल और सड़क के एक संयुक्त पुल का निर्माण कर कोझीकोडे और कन्नानूर के बीच मार्ग को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० पी० दामोदरन : माही और अन्य विदेशी बस्तियों के आस पास बड़े पैमाने पर चोरी से माल जाने की स्थिति में, क्या सरकार विदेशी बस्तियों और भारत संघ में परस्पर यात्रा के लिये पारपत्र प्रथा जारी करने का विचार रखती है और यदि यह सच है तो वे कब जारी किये जायेंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : सरकार के पास पारिपत्र का प्रश्न कभी सम्मति हेतु नहीं भेजा गया ।

श्री एन० पी० दामोदरन : मद्रास से उक्त आशय के भाषण का समाचार प्राप्त हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस विषय पर मैं किसी बहस की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार को मालूम है कि कोझीकोडे और कान्तानूर के मध्य का राजमार्ग माही में होकर निकलता है और वहां शुल्कदेय पदार्थों के चोरी से बाहर जाने की सुविधाऐं विद्यमान हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : इन्हीं कारणों से उक्त प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप कोझीकोडे से कन्नानूर जाने वाले व्यक्तियों और पदार्थों को फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा माही पर रोक दिया गया । इसके अतिरिक्त यात्रियों और बसों के टिकिट देने वालों को भी माही पर रोक दिया गया ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । इस विषय में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है । मैं अभी इस सम्बन्ध में नहीं कह सकता ।

श्री वेलायुधन : यदि प्रतिबन्ध इतने कठोर थे तो हाल ही में उन्हें शिथिल कर देने का क्या कारण था ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने नियंत्रणों को कठोर करने का पहले ही उल्लेख कर दिया है और हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ शिथिलताएं कर दी गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

अखिल भारतीय प्रावैधिक शिक्षा परिषद् की सिफारिशें

*१४७. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत फरवरी में आयोजित अखिल भारतीय प्रावैधिक शिक्षा परिषद् के वे निश्चय तथा सिफारिशें जिन का सम्बन्ध भारत सरकार से है, भारत सरकार द्वारा विचार में लाई गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस तरह उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण जिस में प्रस्तुत स्थिति दी गई है सदन पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उक्त परिषद् ने यह निश्चय किया था कि पंचवर्षीय विकास योजना की बारीकियों का हिसाब लगाना चाहिये, और वरेण्यता के आधार पर विषयों को चुना जाना चाहिये । मैं जानना चाहती हूं कि इस विषय में क्या किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में तो प्रादेशिक समितियों को इन बातों से परिचित किया गया है । और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भी परिषद् की कई सिफारिशों का निर्देश किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि वजीफे रखे जाने के प्रश्न की प्रगति क्या है, इन दिनों कितने वजीफे उपलब्ध हैं तथा किन किन उद्योगों में रखे गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, किन्तु वजीफे दिये जाने की बात को मान लिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : शिल्पियों को प्रशिक्षा देने के प्रश्न पर भी बहस हुई थी और इसीलिये क्या मैं जान सकती हूं कि कहां तक इस काम को प्रारम्भ किया गया है और कहां तक इसका विधान बन चुका है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जा चुका है, और वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : इन में से जिन सिफारिशों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रान्तों से है, उन के विषय में क्या हो रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे स्टेट गवर्नमेन्ट्स को भेज दी गयी हैं और सम्भवत: वे इन सब पर शीघ्रता से विचार कर रहीं हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या स्टेट गवर्नमेंट्स से कोई लिखापढ़ी केन्द्रीय सरकार की हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रो० शर्मा । एक ही माननीय सदस्य सभी बातों का ठेका नहीं ले सकता ।

आदमपुर का हवाई अड्डा

*१४८. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदमपुर स्थित हवाई अड्डे ने कितना क्षेत्र घेरा हुआ है ;

(ख) इस क्षेत्र में से कितना कृषियोग्य है ;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में से कुछ हिस्सा कृषि के लिये छोड़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक (कितना) और किन शर्तों पर ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) २७३· ६२ एकड़ ।

(ख) लगभग १०० एकड़ ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय द्वारा आदमपुर-वासियों से इस तरह के कई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं कि यह भूमि कृषि के लिए आवंटित की जानी चाहिये थी ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, मैं बतला चुका हूं कि हम इस भूमि पर कृषि नहीं होने देंगे क्योंकि इस समय वहां रक्षा सेवाओं का डेरा जमा है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को मेरे बुलावे की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: मैं एक और अनुपूरक पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: वह क्यों मेरे बुलाये बिना ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ?

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, मुझे इस बात के लिये खेद है ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शर्मा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कृषि प्रयोजनों के लिये आवंटन के सम्बन्ध में उन हवाई अड्डों के विषय में जिन्हें प्रति दिन काम में नहीं लाया जाता, सरकार की क्या नीति है ? मेरा विचार है कि कई हवाई अड्डे ऐसे भी हैं जहां भूमि आवंटित हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय: दलीलबाजी नहीं कीजिये ।

सरदार भजीठिया: स्थिति इस प्रकार है कि जहां कहीं भी आवश्यकता से अधिक भूमि होती है, वहां वह उस भूमि के स्वामियों को ही दी जाती है, और इसीलिये आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

पैप्सू सरकार को भेजा गया पदाधिकारी शिष्टमण्डल

*१४९. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पैप्सू में राज्य के बाहर से काम करने के लिये भेजे गये गजटेड आफिसरों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इस समय विविध राज्यों से १६ गजटेड पदाधिकारी पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शिष्टमंडल के रूप में भेजे गये हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब सेवाओं को पटियाला सेवाओं के साथ मिलाने की कोई प्रस्थापना प्रस्तुत की गई है ?

डा० काटजू: यह बात बहुत देर से चर्चा के अधीन रही है, और अभी भी इस पर बहस चल रही है । यह बहुत ही नाजुक मामला है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पैप्सू में प्रशासन को दृढ़ बनाने के लिये पैप्सू के बाहर से कुछ और गजटेड़ अफसरों का आना आवश्यक है ?

डा० काटजू: बहुत हद तक तो पैप्सू सरकार की आवश्यकताओं पर ही इस बात का निर्भर है, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां का सलाहकार इस विषय पर अपना क्या मत सुनाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नानादास ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि किन श्रेणियों.....

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नानादास ।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि उन में से कितने एक पुलिस अफसर हैं ?

डा० काटजू: मेरे विचार में——एक-दो——होंगे, हां दो हैं, जहां तक मुझे इस बात का पता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

अफ़ीम की काश्त

*१५०. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब, पैप्सू, तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में १९५२-५३ मे कितने एकड़ भूमि में अफीम की काश्त हुई थी ?

(ख) सन् १९५१-५२ की अफीम की प्राप्ति के साथ इसका किस तरह मुकाबला किया जा सकता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]**

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि इस प्रकार की कृषि के लिये आवंटित भूमि को प्रति वर्ष कम किया जाय ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां, श्रीमान्। सरकार की यही नीति रही है कि प्रति वर्ष अफीम की काश्त में १० प्रतिशत कटौती की जाती रहे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या अफीम की काश्त पर भारत भर में एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य का किस प्रकार के कर से अभिप्राय है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं उन की बात समझ नहीं सका।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जो प्रश्न को नहीं समझते। और प्रश्न पूछने वाले उत्तर को नहीं समझ पाते !

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्षद् ने भारत को अधिक मादक भेषजों की विधिविहित बिक्री के भय से चेतित किया है, और यदि हां, तो भारत ने अफीम की काश्त के क्षेत्र को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ए० सी० गुहा : जहां तक मुझे मालूम है, भारत अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता रहा है, और मेरे ज्ञान में इस अंतर्राष्ट्रीय पर्षद् की ओर से इस बात की कोई भी शिकायत नहीं आई कि भारत ने किसी भी नियम की अवहेलना की ?

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या अफीम की काश्त से भारत कि आर्थिक समस्या का कोई सम्बन्ध है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस उत्तर में भी मैं आर्थिक समस्या का स्पष्टीकरण चाहता हूं। निश्चय ही, खसखास उगाने वालों को इस की काश्त से रोजी मिल जाती है।

भूतपूर्व शासकों के निवास के एवं अन्य भवन

*१५१. **श्री दाभी** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने भूतपूर्व शासकों के और/अथवा उनके राज्यों के उन सभी निवास के एवं अन्य भवनों पर अधिकार किया है जो दिल्ली में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन भवनों के नाम तथा उन के स्थान ;

(ग) किन शर्तों पर उन्हें सरकार नें अपने जिम्मे लिया ; और

(घ) इस समय इन भवनों से क्या काम लिया जा रहा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ) तक. एक विवरण जिसमें उन निवास के एवं अन्य भवनों के सम्बन्ध में जो भूतपूर्व शासकों और/अथवा उनके राज्यों से भारत सरकार ने संभाले थे, जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से प्रत्येक का बाजार में कितना मूल्य पड़ेगा ?

डा० काटजू : क्या आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं ? म कैसे कह सकत हूं ?

श्री रघुरामय्या: क्या हैदराबाद हाऊस को लेने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है? अथवा इस प्रकार की कोई बातचीत चल रही है ?

डा० काटजू: मैं नहीं जानता।

श्री सारंगधर दास: मंत्री जी को उपाध्यक्ष की ओर देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री उपाध्यक्ष की ओर देखते हुए उत्तर देंगे।

डा० काटजू: श्रीमान्, मैं आपके अनुदेशों को मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

महिलाओं का बचत सप्ताह

***१५२. श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५३ तक छोटी बचत योजना के अन्तर्गत सभी तीन प्रकार के धन-न्यासों में पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि व्यस्त हो चुकी है ?

(ख) किस राज्य ने सब से अधिक अंशदान दिया है ?

(ग) "महिलाओं का बचत सप्ताह" आन्दोलन के अन्तर्गत कितनी राशि न्यस्त की जा चुकी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जून, १९५३ तक इन तीन प्रकार के धन-न्यासों का विशुद्ध विवरण इस प्रकार है:—

	करोड़ों में रुपये
डाकघर बचत बैंक	२२०·७७
राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	१७३·१०
१०-वर्षीय कोष बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र	२७·५७

(ख) बम्बई।

(ग) ४२ लाख रुपये।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या यह तथ्य है कि इस प्रकार से इकट्ठा किया गया धन क्रमशः उन ही राज्यों की विकास परियोजनाओं के लिये दिया जायेगा ?

श्री ए० सी० गुहा: नहीं, श्रीमान्। अखिल भारतीय लक्ष्य ४५ करोड़ रुपये है। प्रत्येक राज्य के लिये भी पृथक लक्ष्य हैं। यदि ४५ करोड़ रुपये की लक्ष्य धनराशि प्राप्त हुई, और यदि राज्य अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ प्राप्त कर सका, तो वह अतिरिक्त धनराशि राज्यों के लिये रखी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

साहित्य की राष्ट्रीय अकादमी

***१५३. श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या साहित्य की राष्ट्रीय अकादभी की स्थापना हो गई है ?

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उसके प्रधान कार्यालय कहां हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) नहीं।

(ख) अकादमी के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में रहेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजनीतिक दलों के लिये चिन्हों का नियतन

***१५४. सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य विधान सभा और लोकसभा के लिये अखिल भारत राजनीतिक दल चिन्हों का नियतन किया गया था ;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव के लिये अखिल भारतीय चिन्हों का उपयोग किया जा सकता है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हेतु अखिल

भारतीय चिन्हों के उपयोग के लिये अनुमति मांगी थी ; और

(घ) क्या चुनाव आयुक्त ने विगत २५ मई, १९५३ को मध्य प्रदेश राज्य में विलासपुर नगरपालिका के निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न दलों को अखिल भारतीय चिन्हों के प्रयोग की सिफारिश की थी ?

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) यह सच है कि आम निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन आयुक्त ने राज्य विधान सभाओं और संसदीय निर्वाचनों के लिये अखिल भारतीय राजनीतिक दलों को कतिपय चिन्ह नियत किये थे।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश सरकार की प्रेरणा पर अक्टूबर, १९५२ में निर्वाचन आयोग ने सब राज्यों में स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन के लिये उक्त चिन्हों के प्रयोग की सहमति प्रकट कर दी थी।

(घ) नहीं।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को अनुदान

*१५५. **श्री अमजद अली** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विद्यमान उन विश्व-विद्यालयों के नाम जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक के विषय में रकम का उल्लेख ;

(ख) क्या उक्त निधि में से आवासिक विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है ; और

(ग) क्या शिक्षा प्रसार के लिये सरकार की यह नीति है कि आवासिक विश्वविद्यालयों की अपेक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या में उत्पत्ति और पोषण किया जाय ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में जिन भारतीय विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया गया है उनके नामों का विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१)**

(ख) नहीं। जिस आधार पर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया गया है वे सदन पटल पर रखे गये एक दूसरे विवरण में बतलाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ग) नहीं।

राज्याभिषेक के लिये भारतीय नौसेना

*१५६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राज्याभिषेक के सम्बन्ध में ब्रिटेन के नौसेना प्रदर्शन में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने भी भाग लिया था ;

(ख) संप्रेषित किये गये जलयानों की संख्या ;

(ग) खर्च की गई कुल राशि ; और

(घ) खर्च भारत ने उठाया अथवा ब्रिटेन ने ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). राज्याभिषेक के नौसेना सम्बन्धी प्रदर्शन में भारतीय नौसेना के तीन जहाजों ने भाग लिया था।

आई० एन० एस० दिल्ली	क्रूजर
आई० एन० एस० रणजीत	विध्वंसक
आई० एन० एस० तीर	फ्रिगेट

(ग) हमारे जहाजों पर अतिरिक्त द्रव्य व्यय नहीं किया गया क्योंकि यदि उक्त जहाज नौसेना प्रदर्शन के मन्तव्य से ब्रिटेन नहीं जाते तब भी अपनी ग्रीष्मकालीन वार्षिक यात्रा में वह लगभग दो लाख रुपया खर्च करते (जो कि ब्रिटेन में खर्च की गई रकम के आसपास है)।

(घ) यह खर्च, जो कि भारतीय नौसेना .हाज के किसी भी भ्रमण के समान है, भारत सरकार ने उठाया है।

नेपाल में भारतीय मुद्रा की विधिमान्यता

*१५७. **श्री एल० जे० सिंह :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिमान्य है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या नेपाल में भारतीय मुद्रा को विधिमान्य कराने के लिये भारत और नेपाल की सरकारों में किसी प्रकार के समझौते किये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) भारतीय मुद्रा नेपाल में उस दृष्टि से 'विधिमान्य' नहीं है जैसा कि दूसरे देशों में इस का अर्थ समझा जाता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि नेपाल के तराई प्रदेश में केवल भारतीय मुद्रा का ही प्रचलन है और सरकारी ऋण की अदायगी में प्रशासनीय अनुदेशों के अनुसार वह स्वीकृत किया जाता है। काठमाण्डू घाटी और नेपाल के पर्वतीय जिलों में वाणिज्यकीय लेने देने में भी भारतीय रुपये का विस्तृत व्यवहार होता है।

(ख) भारत और नेपाल में उक्त आशय का कोई करार नहीं है। परंपरावश ही भारतीय मुद्रा नेपाल में परिचारित है।

अरबी कवि, वादा बुस्तानी

*१५८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि 'वादी बुस्तानी' नामक एक अरब कवि ने महाभारत तथा अन्य रचनाओं का अरबी भाषा में अनुवाद किया है ;

(ख) क्या लेबनान के राष्ट्रपति ने 'मेरिट लेबानीज़' स्वर्ण पदक से उक्त कवि को सम्मानित किया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार किसी रूप में कवि का सम्मान करने का विचार कर रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) कवि की कृति के प्रशंसास्वरूप भारत सरकार ने भारतीय महाग्रंथों के उक्त अनुवादों के मुद्रणाधिकार को अस्सी हजार रुपयों में खरीदने का निर्णय कर लिया है।

सूर्य-ताप चूल्हा

*१५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा खोज किया गया सूर्य-ताप चूल्हा लाभदायक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ है ; और

(ख) इस खोज पर सरकार द्वारा खर्च की गई रकम ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हमारे आवश्यक सीमित अनुभव की दृष्टि से सरकार इस विचार धारा की ओर प्रवृत्त है कि उक्त चूल्हा उपयोगी है।

(ख) सूर्य-ताप चूल्हे के सम्बन्ध में किया गया शोध राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सामान्य कार्य का ही एक भाग है। इस कार्य के लिये प्रयुक्त कर्मचारी-गण, यंत्र तथा अन्य साधन प्रयोगशाला में किये गये अन्य अनुसंधान कार्य में भी नियोजित थे। अतः विशिष्ट रूप से इस काम के लिये किये गये खर्च का अनमान लगाना कठिन है।

संघ लोक सेवा आयोग (विज्ञापन)

*१६०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ लोकसेवा आयोग के विज्ञापन केवल अंग्रेजी के समाचारपत्रों में दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) संघ लोकसेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के उच्चपदों के लिये विज्ञापन दिये जाते हैं, जिनके लिये अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिये विज्ञापन केवल उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए अभिप्रेत होते हैं, जो अधिकतर नागरिक क्षेत्रों में रहते हैं, और साधारणतया अंग्रेजी के समाचारपत्र पढ़ते हैं । पर फिर भी हिन्दी और दूसरे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

टी० डी० ई० (डबल्यू) के मुख्यालय का स्थानान्तरण

*१६१. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि इस वर्ष के प्रारम्भ में शिल्पिक विकास-स्थापना (शस्त्र) के मुख्यालय को जबलपुर से खड़की स्थानान्तरित करनेके लिये आदेश दिये गये थे ?

(ख) क्या इस आदेश को अन्तिम कार्य रूप दे दिया गया है ?

(ग) इस निर्णय पर पहुंचने के लिए सरकार के पास क्या कारण थे ?

(घ) टी० डी० ई० (डबल्यू) मुख्यालय के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए किस मात्रा तक पर्याप्त निवासस्थान की और दूसरी सुविधायें खड़की के नये स्थान पर दी गई हैं, जो उनको जबलपुर में प्राप्त थीं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) स्थानान्तरण के लिए आदेश २३ दिसम्बर १९५२ को दिये गये थे ।

(ख) पूर्णतया नहीं। अभी तक अग्रिम मुख्यालय ही गया है ।

(ग) ऐसा विचार किया गया था कि शिल्पिक स्थापना की रूपांकन तथा विकास शाखा निरीक्षण शाखा से अलग होनी चाहिए और यह कि टी० डी० ई० (उबल्यू) जबलपुर को, जो शस्त्रों के रूपांकन और विकास से सम्बन्धित है, उसी स्थान पर रखने में अधिक लाभ है, जहां कि टी० डी० ई० (गोलाबारूद) है, जो गोलाबारूद के विकास से सम्बन्ध रखता है और खड़की में स्थित है ।

(घ) थोड़े से कर्मचारियों को जो खड़की गये हैं, स्थान दे दिया गया है ।

शिविर क्षेत्र

*१६०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में कितने शिविर क्षेत्र को प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये अतिरिक्त घोषित किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों को इन में से किसी क्षेत्र की आवश्यकता थी ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितने क्षेत्र दिये गय ;

(घ) कितने क्षत्रों को सार्वजनिक नीलामों में बेचा गया ;

(ङ) इस नीलाम से कितना धन प्राप्त हुआ ;

(च) क्या किन्हीं लोक-संस्थाओं को उन क्षत्रों (मैदानों) की कोई आवश्यकता थी ; और

(छ) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई रियायत दी गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १-१-५२ से ३०३ शिविर क्षेत्रों को रक्षा आवश्यकताओं के लिय अतिरिक्त घोषित किया गया है।

(ख) जी हां । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय रेल मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय तथा पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्य सरकारें इन अतिरिक्त क्षेत्रों में से कई एक में रुचि रखते हैं।

(ग) सात ;

(व) तीन ;

(ङ) २,९०,९४५ रुपये ;

(च) तथा (छ). नीलाम द्वारा बेचे गय तीन क्षेत्रों में से केवल एक क्षेत्र के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक संस्था ने इस प्रकार की रुचि दिखाई थी, किन्तु नीलाम समाप्त होने के बाद ही इस बात का पता चला था। अतः किसी सार्वजनिक संस्था को रियायत देने का प्रश्न नहीं उठा ।

राष्ट्रीय योजना बन्ध-पत्र

*१६३. **श्री नानादास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृया करेंगे कि :—

(क) राष्ट्रीय योजना बन्ध-पत्रों (पहली खप) पर ३ १/२ प्रतिशत वार्षिक दर निश्चित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) बन्ध-पत्रों के मुख-मूल्य के बराबर ही उनके विक्रय-मूल्य नहीं निश्चित किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). शेयर बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देख कर ही इस ऋण पर के ब्याज तथा विक्रय-मूल्य को निश्चित किया गया था ।

मणिपुर के लिये प्रशासकीय सुधार

*१६४. **श्री एल० जे० सिंह** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार मणिपुर पहाड़ियों के प्रशासकीय सुधारों के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो उन सुधारों की विशेष बातें क्या हैं ?

(ग) क्या मणिपुर के वर्तमान सामन्तिक शासन को जनतंत्र में बदलाया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो इस सिलसिले में सोची गई योजनाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (घ). मणिपुर के मुख्य आयुक्त ने परामर्शदाता-परिषद् के साथ परामर्श करके भारत सरकार के समक्ष कई प्रस्थापनायें रखी हैं जिनके अनुसार मणिपुर के कई पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण प्रशासन में जनतंत्रात्मक पद्धति को शुरु किया जायेगा । इन प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

जभी इस मामले में कोई निश्चिय किया जायेगा, सदन को उस योजना की सारी बातों से सूचित किया जायेगा ।

अपर डिवीजन क्लर्क

*१६५. **श्री गोपाल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महालेखापरीक्षक ने अपने कार्यालय में काम करने वाले अपर डिवीजन क्लर्कों के स्तर को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के क्लर्कों के लिये परिनियत वेतन-स्तर से ऊंचा उठाया है ; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) तथा (ख). महालेखा-परीक्षक के कार्यालय में काम करने वाले अपर डिवीजन क्लर्कों के लिये भारत सरकार ने १९४८ में १६०–१०–३५० रुपये की एक विशेष वरण वेतन-श्रेणी की स्वीकृति दी थी। इस के पश्चात १९४९ में, सरकार ने सारे लेखापरीक्षा विभाग के अपर डिवीजन क्लर्कों के लिये १६०–१०–३०० रुपये की एक विशेष वरण वेतन-श्रेणी स्वीकार की। अब पहले की वेतन श्रेणी मिटती जा रही है और बाद की वेतन-श्रेणी को ही लागू किया जा रहा है। उक्त विभाग में कार्य करने वाले अपर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या के १०% तक ही यह वरण वेतन-श्रेणी सीमित है और इसे संतुलित स्तर-प्राप्ति तथा उन्नति के पात्र क्लर्कों को मौका देने की दृष्टि से स्वीकार किया गया था।

अफीम की काश्त का क्षेत्र

*१६६. **श्री बाल्मीकि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी भूमि पर अफीम की काश्त हो रही है ; और

(ख) 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' को बढ़ावा देने के लिये अफीम की काश्त वाले क्षेत्र में कमी करने के निमित्त सरकार ने कौन से क़दम उठाये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) अफीम-कृषि वर्ष १९५२-५३ (यानी, १ली अक्टूबर, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५३ तक) में ८३,६२६ एकड़ भूमि पर खसखास की काश्त की गई थी।

(ख) अफीम की काश्त का क्षेत्र देश के कृषि-योग्य क्षेत्र के ५००० वें भाग से अधिक नहीं, अतः, बहुत ही नगण्य क्षेत्र में अफीम की काश्त होती है। खसखास की काश्त के लिये क्षेत्र चुनने में तो सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ भी परामर्श किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में खसखास की काश्त से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में कोई खास बाधा नहीं पड़ती। यों तो निम्नांकित बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कम से कम क्षेत्र में खसखास की काश्त करवानी पड़ती है :—

(१) आबकारी अफीम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की आवश्यकतायें। (प्रति वर्ष इस दिशा में यही प्रगति रहती है कि १०% की कमी हो, और इस हिसाब से १९५९ तक इस आबकारी अफीम को पूरी तरह से उड़ाया जायगा) ;

(२) औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये विदेशों को निर्यात ;

(३) भारत में प्रयोग के लिये तथा विदेशों की निर्यात के निमित्त अफीम की वह मात्रा जो अफीम एवं ओपियम अल्कलाइड्स वाली दवाइयों में बरतनी पड़ती है ; और

(४) एक उचित सुरक्षित राशि जो समय पर काम आ सके।

भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्री

*१६७. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अभी कुछ समय पहले भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर विचार करने का काम पूरा किया है ?

(ख) कौन कौन सी मुख्य बातें विचारार्थ भेजी गई हैं ?

(ग) इन में से किन किन बातों के सुलझाव पर स्थायी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन उठाये गये प्रश्न भारत

सरकार के विचाराधीन हैं और कई बातों के सम्बन्ध में पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। ऐसे विधान को काम में लाने का विचार भी किया जा रहा है जिस से भाग ग राज्य अपना पूंजी आयव्ययक बना सकें।

(ख) राज्य मंत्रालय की १९५२-५३ की कार्यविधि पर की रिपोर्ट के पैरा ७८ में मुख्य विचारार्थ बातों का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) व्यवहार की दृष्टि से तो भाग ग राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में बताई गई सभी बातों के लिये स्थायी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है।

सुरक्षा के उपाय

*१६८. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के टेहरी-गढ़वाल जिले से लगी हुई तिब्बत की सीमा पर सरकार द्वारा कोई सुरक्षा के उपाय किये गए हैं ?

(ख) क्या सरकार का सीमा क्षेत्र को मिलाने वाली, मोटर गाड़ियों के चलने योग्य, सड़कें बनाने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सरकार ने भारत के भूमि-सीमान्तों की जिसमें उत्तर प्रदेश के जिला टेहरी-गढ़वाल से लगी हुई विशेष सीमा भी सम्मिलित है, सुरक्षा बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय किए हैं। आवश्यक सुरक्षा उपायों के किए जाने का यह अर्थ नहीं होता कि सीमा पर किसी उल्लंघन का सचमुच भय है। स्वभावतः ऐसे किए गए उपाय प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ स्थानों पर यह कार्य सशस्त्र पुलिस द्वारा भी किया जाता है।

(ख) इन विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना देना लोकहित में अच्छा नहीं होगा।

पुरातत्व सम्बन्धी प्राचीन वस्तुयें

*१६९. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में हजारी बाग के निकट सेखा गांव से कुछ पुरातत्व संबंधी तथा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन वस्तुओं के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे प्राचीन वस्तुएं, जिनकी सूचना मिली है, किस प्रकार की हैं ?

(ग) इन प्राचीन वस्तुओं के स्थान की रक्षा करने के लिए अभी तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). उक्तउक्त स्थान पर लगभग २० वर्ष पूर्व कुछ ब्राह्मणी देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियों वाले, जिनमें एक सूर्य की मध्ययुगीन मूर्ति है, दो छोटे वर्तमान कालीन मंदिरों के पाये जाने की सूचना मिली है। उसी के समीप एक ऊंचे स्थान पर ईंट की नींव के चिन्ह भी पाये गए हैं। इन से कुछ सौ फीट की दूरी पर हाल ही में खेतों के दौरान में एक पत्थर की द्वार की चौखट उमामहेश्वर की एक टूटी हुई मूर्ति के निचले भाग के सहित प्राप्त हुई है।

(ग) वे ध्वंसावशेष किसी ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी महत्व के नहीं हैं और इस लिए उस स्थान की रक्षा आवश्यक नहीं है।

शस्त्रास्त्रों का कारखाना, कानपुर

*१७०. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कानपुर के एक शस्त्रास्त्रों के कारखाने में से कुछ का एक बहुत बड़ी मात्रा लापता पाई गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई थी ?

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). छोटे शास्त्रास्त्रों के कारखाने कानपुर में मार्च १९५३ में हल्दू तख्तों के लगभग ६,११८ घन फीट की कमी प्रगट हुई थी। क्षति की परिस्थितियों की जांच और वास्तविक कमी को निर्धारित करने के लिये एक जांच मंडली बनाई गई थी। उस मंडली ने यह स्थापित किया है कि ५२,९९१ रुपये के मूल्य की ६,६१५·६० घन फीट की क्षति हुई है। उनका विचार है कि कुछ कर्मचारी लापरवाह रहे हैं और संभवतः इस कमी के उत्तरदायी हैं। उनके विचार से यदि सारी नहीं तो कमी के कुछ भाग का कारण, दस्तावेजों से उचित रूप में न मिलाए हुए मात्राओं का स्टाक में लिया जाना, हो सकता है।

(ग) भंडारों से संबंधित छै कर्मचारी निलम्बित कर दिए गए थे। सात व्यक्तियों के विरुद्ध दोषारोप लगाए गए थे। एक जांच न्यायालय ने अभी अभी अपनी कार्यवाहियों समाप्त की है और उसका प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा रहा है। अपराधी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

परिसीमन आयोग

*१७१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने अब तक परिसीमन आयोग के प्रस्तावों पर अपनी आपत्तियां भेजी हैं ?

(ख) उनमें से कितनी स्वीकार कर लीं गई हैं ?

(ग) कितनी अस्वीकार कर दी गईं हैं ?

(घ) उनके अस्वीकार किए जाने के क्या आधार हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तीन, अर्थात् सौराष्ट्र, विन्ध्य प्रदेश और दिल्ली।

(ख) और (ग). सौराष्ट्र के संबंध में सुझाव अभी तक विचाराधीन हैं। जहां तक विन्ध्य प्रदेश और दिल्ली का संबंध है उनके सुझाव अस्वीकार कर दिए गए हैं।

(घ) परिसीमन आयोग ने उनके अस्वीकार किए जाने के कोई कारण नहीं दिए हैं, और सरकार को कारण नहीं ज्ञात हैं।

राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब

*१७२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह तथ्य है कि मार्च १९५१ में पश्चिम बंगाल सरकार को संघ सरकार द्वारा यह निदेश दिया गया था कि वह उसके अभिकर्ता के रूप में ईडेन गार्डेन, कलकत्ता, में कुछ भूमि राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब को एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए पट्टे पर दे दे ;

(ख) क्या उक्त पट्टे को ९९ वर्ष के लिए एक रुपया वार्षिक किराये पर देने के लिए निदेश दिया गया था ; और

(ग) क्या उसके बाद किसी समय संघ सरकार ने उक्त पट्टे के विषय में अपने विचार बदल दिए थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मार्च १९५१ में पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि ईडेन गार्डेन्स में सेना की भूमि का वह भाग जिसका पहले ही से क्रिकेट के खेल के मैदान के रूप में उपयोग हो रहा है, एक स्टेडियम बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब को दिया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय क्रिकेट कल्ब द्वारा ९९ वर्ष के लिए एक प्रारूप पट्टा भी भेजा गया था। यह राज्य सरकार द्वारा अपने उस मूल्य पत्र के साथ, जिसमें कुछ और शर्तें जोड़ देने का प्रस्ताव था, भारत सरकार को भेज दिया गया था। राज्य सरकार के सुझाव स्वीकार कर लिए गए थे।

(ग) जी नहीं।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

*१७३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वे देश जिनके साथ भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् नियमित सम्बन्ध रखती है ;

(ख) अब तक ऐसे संबंधों के विकास के लिए किए गए उपाय ; और

(ग) क्या पाकिस्तान, लंका, बर्मा, लोकतंत्र चीन, रूस और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

सचिवालय कर्मचारियों के कल्याण तथा सुविधाओं सम्बन्धी समिति

*१७४. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ फरवरी १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि क्या उसके बाद से सचिवालय कर्मचारियों के कल्याण तथा सुविधाओं संबंधी समिति बना दी गई है और अब काम कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस समिति द्वारा कर्मचारियों के लिए कौन से साहित्यिक, सामाजिक और मनबहलाव के काम किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) वह समिति सारे सचिवालय के लिये खेल कूद, सामाजिक, नाटक संबंधी तथा साहित्यिक कार्यों, कैन्टीन आदि के रूप में साहित्यिक, सामाजिक तथा मनबहलाव के कार्य शुरू करेगी। इन कार्यों के विस्तृत विवरणों को मंत्रालयों के साथ सलाह करके अन्तिम रूप दिया जायेगा।

डालर की कमी

*१७६. **श्री राघवय्या** : (क) क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टर्लिंग क्षेत्र मे डालर की कुल कमी कितनी है ?

(ख) उस कमी में भारत का अंशदान कितना है ?

(ग) उसमें ब्रिटेन का अंशदान क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) स्टर्लिंग क्षेत्र में डालर की कमी अथवा आधिक्य का सब से अच्छा अनुमान उस क्षेत्र के सोने और डालरों की केन्द्रीय रक्षित निधियों के स्तरों में परिवर्तनों से लग सकता है। १९५२ में रक्षित निधियों में ४९८० लाख डालरों की कमी हो गई थी। १९५३ के प्रारम्भ से जून के अंत तक रक्षित निधियों में ५२१० लाख डालर की वृद्धि हो गई है।

(ख) केन्द्रीय रक्षित निधियों में से १९५२ में भारत ने कुल ११८० लाख डालर निकाले थे। जनवरी-जून, १९५३ में उन रक्षित निधियों में उसका अंशदान अनुमानतः ९० लाख डालर था।

(ग) ब्रिटेन की १९५२ में डालर की कमी ३८३० लाख डालर थी । जनवरी-जून, १९५३ के आंकड़े ब्रिटेन ने अभी तक प्रकाशित नहीं किए हैं ।

बैंकों द्वारा भुगतान का स्थगन

*१७७. **श्री पी० एन० राजभोज** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किया सरकार को पता है कि श्री बैंक लिमिटेड, कलकत्ता तथा पायोनियर कमरशल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ने दिसम्बर १९४६ से भुगतान को स्थगित कर दिया है और उसी तिथि से परिसमापन में आ गये हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शासकीय परिसमापकों ने अभी तक बैंकों और उनकी शाखाओं में जमा करवाई हुई रकमों के लौटाने के लिये कोई योजना निर्धारित नहीं की है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क), (ख) तथा (ग). रिज़र्व बैंक के पास प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता के उच्च न्यायालय द्वारा ३ अगस्त १९४८ को, और ३० जून १९४७ को क्रम से श्री बैंक लिमिटेड, और पायोनियर कमरशल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता को बन्द करने की आज्ञा दी गई थी । निश्चित तिथियों का, जिनको इन बैंकों ने भुगतान स्थगित किया, पता नहीं है ।

इन बैंकों के परिसमापक अभी तक साहूकारों को कोई लाभांश घोषित करने की स्थिति में नहीं हैं । जैसी सूचना उनके द्वारा दी गई है, उसके अनुसार, बैंकों की प्राप्त की जाने योग्य निधि शून्य थी, और जो कुछ रकम प्राप्त की गई थी, वह परिसमापन के खर्चों में व्यय कर दी गई ।

इन परिस्थितियों के प्रकाश में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिसमापकों की नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हुई थी, और उन्हें इसके नियंत्रण में काम करना था, अतः भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है ।

प्रदर्शिनी

*१७८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रूस में दिखाई जाने वाली कला प्रदर्शिनी की ओर से चार व्यक्तियों की समिति भेजी गयी है ?

(ख) इस प्रकार की समिति और उस प्रदर्शिनी के भेजने का क्या अभिप्राय है ?

(ग) प्रदर्शिनी की ओर से समिति का यात्रा-कायक्रम और प्रस्तावित खर्च क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) पांच कलाकार प्रदर्शिनी के साथ हैं ।

(ख) रूसी कला प्रतिनिधि-मंडल, जो १९५२ में भारत आया था, उसके आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्रदर्शिनी भेजी गई थी । उस प्रतिनिधि मंडल में पांच सदस्य थे, और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि इसी प्रकार का प्रतिनिधि मंडल भारत द्वारा भेजा जाय । इन कलाकारों से प्रदर्शिनी के संगठन में सहायता, तथा उस देश के कलाकारों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की आशा है ।

(ग) जब तक प्रदर्शिनी रूस में रहेगी उसके सारे खर्च रूसी कलाकार संघ सहन करेगा । भारत सरकार परिवहन और दूसरे आनुषंगिक व्यय, अधिकतम ४०,००० रुपए तक सहन करने के लिए सहमत है ।

प्रदर्शिनी का कार्यक्रम रूसी-कलाकार संघ के परामर्श के साथ प्रतिनिधि मंडल द्वारा निर्धारित किया जायगा ।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

*१७९. **श्री पी० एन० राजभोज** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को, जिनकी तीन या अधिक वर्षों की सेवा है, मूलभूत आधार पर अन्तर्निधान करने के लिए आदेश दिये हैं ?

(ख) क्या यह आदेश भारत सरकार के पैसों पर भी लागू होते हैं, जो आधीनस्थ कार्यालय हैं ?

(ग) इन ऊपर-निर्देशित आदेशों के आधीन अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी स्थायी किये गए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां । २५ मई १९४८ को एक आदेश दिया गया था, कि अस्थायी कर्मचारी जो अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं और जिनको ३१ दिसम्बर १९४७ तक भारत सरकार के सचिवालय या संलग्न-कार्यालयों में भरती किया गया था, और जो अपने पदों के लिए शिक्षा की दृष्टि से भी योग्य थे, उनको जिन ग्रेडों में वे नियोजित थे, उन्हीं में सीधी भरती के लिए अधिकतम १२ १/२ प्रतिशत रिक्तियों के लिए स्थायी बनने की अर्हता दी जाय, परन्तु यदि उन्होंने कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है, और उनकी सेवा तत्सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा संतोषजनक समझी गयी है ।

(ख) यह आदेश भारत सरकार के प्रेसों और केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू नहीं होगा ।

(ग) इस आदेश के आधीन ३८ सहायक और २१८ क्लर्क स्थायी पदों पर नियुक्त किये गये हैं । उन में से अधिकतर व्यक्ति पहले ही स्थायी बना दिये गये हैं, परन्तु कुछ मामलों में वास्तविक स्थायीकरण के लिए परीक्षण काल की संतोषजनक पूर्णता अथवा अपेक्षित टाइप परीक्षण को पास करने की प्रतीक्षा की जाती है ।

काश्मीर में पाकिस्तानी यात्री

*१८०. **श्री बीरबल सिंह** : क्या **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) काश्मीर में गत वर्ष कितने पाकिस्तानी आए और आबाद हुए ;

(ख) क्या इस वर्ष भी पाकिस्तान से कोई यात्री वहां आए थे ; और

(ग) यदि आए थे तो उनकी संख्या ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क), (ख) तथा (ग). गत वर्ष केवल एक यात्री और इस वर्ष एक यात्री के अतिरिक्त, जिनको विशेष कारणों से राज्य की यात्रा करने की आज्ञा दी गई थी, किसी भी पाकिस्तान के राष्ट्रजन को राज्य में यात्रा के लिए आने और बसने की आज्ञा नहीं दी गई । ५२ काश्मीरी, जो पाकिस्तान में थे, उनको राज्य में वापिस आने और बस जाने की १९५२ में आज्ञा दी गई थी । इस वर्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या ७ है ।

राष्ट्रीय-नमूना-परिमाप-निदेशालय

८१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री इस मंत्रालय के राष्ट्रीय-नमूना-परिमाप-निदेशालय में नियोजित प्राधिकारियों और दूसरे व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उनके विभिन्न वेतन और दूसरे परिलाभ क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

विवरण पत्र में दिखाई गई वेतन-श्रेणी के अतिरिक्त, नियोजित कर्मचारियों को

मंहगाई, घर का किराया तथा अन्य दूसरे भत्ते भी, जो समय समय पर, भारत सरकार के नियमों के अधीन स्वीकृत होते हैं, मिलने का अधिकार होता है ।

सम्पदा-शुल्क का आरोपण

८२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्थापित सम्पदा-शुल्क लगाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) क्या पद पूरित कर दिये गये हैं, और यदि ऐसा है, तो प्राधिकारियों और दूसरे श्रेणी के कितने पद पूरित किये गये हैं ?

(ग) उनके वेतन-क्रम तथा दूसरे परिलाभ क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) प्रस्तावित सम्पदा-शुल्क लगाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये ४,४२,२०० रुपये का प्रबन्ध इस वर्ष के बजट में किया गया है ?

(ख) तथा (ग). सदन-पटल पर विवरण पत्र रखा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

प्रादेशिक तथा राजनीतिक निवृत्ति वेतन

८३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या **राज्य** के मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने व्यक्ति प्रादेशिक तथा राजनीतिक निवृत्ति-वेतन की सूची पर हैं ?

(ख) क्या सरकार सदन-पटल पर इन प्रादेशिक तथा राजनीतिक निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रीयता, निवृत्ति-वेतन-क्रम आदि दर्शानेवाला विवरण-पत्र रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) लगभग ८,५०० ।

(ख) हां, परन्तु एकत्रीकृत सूची तैयार करने में समय लगेगा, क्योंकि अधिकतम निवृत्ति-वेतनों का प्रशासन संघ सरकार की ओर से राज्य सरकारें करती हैं ।

भारतीय नागरिकों को उपाधियां

८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के अवसर पर जिन भारतीय नागरिकों तथा भारतीय सरकारी नौकरों को उपाधियां दी गईं उन की संख्या कितनी है; तथा

(ख) जिन सरकारी नौकरों को उपाधियां दी गईं वे भारतीय नागरिक हैं या नहीं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारत स्थित किसी भी भारतीय नागरिक को राज्याभिषेक के अवसर पर दी गई उपाधि से सरकार अवगत नहीं है ।

(ख) नहीं, वे पदाधिकारी अंग्रेज हैं जो ऋण रूप में अस्थायी तौर से भारतीय सशस्त्र सेना में काम कर रहे हैं ।

नजरबन्द लोग

८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने नज़रबन्द लोग जेलों में हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : ३० जून १९५३ को जो कि अन्तिम तिथि है जिस तक की सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध है, भारत में १८९ नज़रबन्द लोग थे ।

पटियाला बैंक लिमिटेड

८६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला बैंक लिमिटेड एक बैंक समवाय है ;

(ख) क्या भारत का रिज़र्व बैंक लिमिटेड इस पर वैसा ही नियंत्रण रखता है जैसा अन्य बैंक समवायों पर; तथा

(ग) यदि नहीं तो सरकार पटियाला बैंक को अन्य बैंकों की श्रेणी में लाने के लिए क्या कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गूहा) : (क) पटियाला का बैंक (न कि पटियाला बैंक लिमिटेड) इस समय पैप्सू राज्य की विभागीय कार्यवाही है । यह संस्था बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ की धारा ५ (१) (ख) में यथा परिभाषित बैंक का कार्य कर रही है । यह उक्त अधिनियम की धारा ५ (१) (घ) को साथ पढ़ कर धारा ५ (१) (ग) में परिभाषित बैंक समवाय नहीं है । और इस लिए इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस विषय पर राज्य सरकार विचार रही है ।

प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत आयुक्त

८७. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देहली राज्य के वर्तमान प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत आयुक्त के विरुद्ध कतिपय आरोपों की विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ का आदेश दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या पूछताछ निष्पादित हो गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

राष्ट्रीय बचत योजना

८८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली राज्य में वर्ष १९५२-५३ में ५ रु०, १० रु०, १०० रु०, १००० रु० तथा ५००० रु० के अभिधान के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रुप में राष्ट्रीय बचत योजना में कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) देहली राज्य के प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत संस्थापन में पूंजी लगाने वालों ने १०० से ५०००रु० तक की १० वर्षीय सरकारी बचत उपनिधियों में कितनी पूंजी लगाई है;

(ग) वर्ष १९५२-५३ में देहली की राष्ट्रीय बचत संस्था पर कुल कितना व्यय हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) वर्ष १९५२-५३ में इन अभिधानों की कुल बिक्री क्रमानुसार ६,७२० रू० ५१,४२० रुपए, ९,१२,१०० रु०, ४८,९४,००० रु० तथा ५८,००,००० रु० है ।

(ख) अभिधान द्वारा पूंजी लगाने के आंकड़े उपलब्ध नहीं परन्तु देहली राज्य में वर्ष १९५२ -५३ में सरकारी बचत उपनिधियों के प्रमाण पत्रों की कुल बिक्री लगभग ५५ लाख रुपए है ।

(ग) लगभग ८४,००० जो कुल के आधे प्रतिशत से कम हैं ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

८९. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन पर इसके आरंभ होने से अब तक, वेतन, भत्ते और परामर्शदात्री बोर्डों के सदस्यों के अन्य व्यय के सहित यदि कोई हो, के

विभिन्न शीर्षकों के अधीन वर्ष प्रति वर्ष संचालन में वार्षिक व्यय क्या हुआ है ।

(ख) प्रति वर्ष विस्थापित व्यवसायिक व्यक्तियों को कितनी राशि ऋण पर दी गई ;

(ग) पुनर्शोधन में असफलता के कारण ऋण लेने वालों से कितने व्यवसायिक समवाय अब तक प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिए हैं;

(घ) कितने ऋण लेने वालों के विरुद्ध शोधन की असफलता के कारण दावे किए गए और उन में कितने दावे निलम्बित तथा कितनों का निर्णय हो चुका है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) प्रशासन के सदस्यों तथा परामर्शदात्री बोर्डों इत्यादि के सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य खर्चों के विभिन्न शीर्षकों के अधीन मई १९५३ तक वर्ष प्रति वर्ष पुनर्वास वित्त प्रशासन पर किए वार्षिक व्यय का विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) प्रशासन द्वारा ऋण लेने वालों को दी कई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
१९४८	७.६० रु०
१९४९	११९.७६ रु०
१९५०	८३.२३ रु०
१९५१	१७३.१७ रु०
१९५२	१४९.४८ रु०
१९५३ (३०.६.५३ तक)	८९.७९ रु०
कुल . .	६२३.०३ रु०

(ग) शोधन में असफलता के कारण किसी व्यवसायिक समवाय पर अधिकार नहीं किया गया । एक मामले में एक ऋण लेने वाला बिना उत्तराधिकारी के मर गया, जिस के फलस्वरूप प्रशासन को मृत की सम्पत्ति पर अधिकार करना पड़ा । इस मामले में १३००० रुपए का ऋण दिया गया था । अन्त में प्रशासन द्वारा बेचने पर सम्पत्ति ३,४०० रु० की हुई है ।

(घ) कोई अभियोग नहीं चलाए गए । पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम १९४८ की धारा १४ के अनुसरण में प्रशासन कलेक्टरों द्वारा सब वसूली करता है ।

कलेक्टरों को अब तक भेजे गए कुल मामले	५७१
कुल मामले जिनका निर्णय किया गया	२०५
शेष	३६६

मुख्य प्रशासक, पुनर्वास वित्त प्रशासन

९०. डा० एम० एम० दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन के मुख्य प्रशासक का वेतन, भत्ते सहित यदि कोई हो तो, और उस की सेवा की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) क्या वर्तमान पदाधिकारी की सेवा की शर्तों में पहिले पदाधिकारी की शर्तों से भिन्न कोई परिवर्तन किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख) एक तुलनात्मक विवरण, जिस में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय मुख्य प्रशासक श्री रच्छपाल और श्री राम गोपाल का भत्ते सहित वेतन तथा सेवा की शर्तें सविस्तार दी हुई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

वर्तमान मुख्य प्रशासक श्री पी० सी० दास गुप्ता को २९ जुलाई, १९५३ से ही

नियुक्त किया गया है और उन की सेवा की शर्तें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

पुनर्वास वित्त प्रशासन (हानि)

९१. डा० एम० एम० दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन को आज तक उन ऋणों के कारण जिन्हें कि व्यवसाय के बन्द हो जाने के कारण अथवा उस व्यवसाय के प्रशासन द्वारा सम्भाल लिये जाने के कारण वसूल नहीं किया जा सका कितनी हानि हुई ;

(ख) ऋण लेने वालों के साथ मुकदमेबाज़ी में आज तक कितनी राशि व्यय हुई ;

(ग) मुकदमेबाज़ी के फलस्वरूप ऋण लेने वालों से जो व्यापारिक समवाय ले लिये गये हैं उन्हें चलाने के लिये प्रशासन ने यदि कोई व्यवस्था की है, तो वह क्या है ;

(घ) प्रशासन ने ऋण लेने वालों द्वारा ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उन से जो व्यापारिक समवाय ले लिये थे उन में से यदि कोई बेच दिये गये हैं तो उन की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस प्रकार के विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) प्रशासन को अब तक जो हानि हुई है इस समय उस का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

कतिपय मामलों में समाहर्त्तागण शेष ऋण को किस्तों में वसूल करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। और कई अन्य मामलों में मूल ऋण लेने वालों से ऋण की शेष राशि को वसूल करने के लिये उन के प्रत्याभूति देने वालों से कहना पड़ेगा। पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई अचल सम्पत्ति का जो मूल्यांकन किया गया है उसके आधार पर तैयार किये गये दावों का जो प्रतिकर दिया जायेगा उस से भी प्रशासन के ऋण को वसूल किया जा सकेगा। अतः वास्तविक हानि कितनी होगी इस की भविष्यवाणी करना इस समय बहुत कठिन है। १९५२ के वार्षिक आयव्यय-विवरण पत्र में अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये (१९५२ के अन्त तक) २०,७३,९०० रुपये की राशि इकट्ठी रख दी गई है।

(ख) 'प्रमाणपत्र प्रक्रिया' के मामलों में समाहर्त्ताओं के समक्ष प्रशासन के हितों की रक्षा के लिये प्रशासन अब तक ३,००० रुपये व्यय कर चुका है।

(ग) प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है।

(घ) तथा (ङ). प्रशासन ने ऋण न चुका सकने के कारण किसी व्यापारिक समवाय को न तो लिया है और न ही बेचा है। एक मामले में ऋण लेने वाला मर गया था और उस का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः प्रशासन को मृत व्यक्ति की सम्पत्ति सम्भाल लेनी पड़ी। इस मामले में १३,००० रुपये का ऋण दिया हुआ था। अन्त में प्रशासन ने उस की सम्पत्ति को ३४,००० रुपये में बेच दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के ऋण पर ब्याज

९२. श्री नानादास : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अब तक जो ऋण दिये हैं उन पर सब से अधिक ब्याज की दर कितनी लगाई गई है और यह किस देश से लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): भारत को दामोदर घाटी निगम परियोजना

(द्वितीय दामोदर घाटी निगम ऋण) के लिये १९५ लाख डालर का ऋण और यूगोस्लाविया को ३०० लाख डालर का ऋण ४ ७/८ % व्याज पर, ये दोनों ऋण इस वर्ष के आरम्भ में दिये गये थे और २५ वर्ष में चुकाये जायेंगे ।

शिक्षा सम्बन्धी विकास योजनाओं के लिये अनुदान

९३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कि १९५२-५३ में शिक्षा सम्बन्धी विकास की योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदानों से पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया है ;

(ख) इस कारण प्रत्येक राज्य के पास कितनी राशि बच गई है; और

(ग) अनुदानों को पूर्ण रूप से प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) । राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्यम वर्ग के परिवारों का आयव्ययक (नमूना पर्यालोकन)

९४. **श्री अजमद अली** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने किन किन केन्द्रों में मध्यम वर्ग के परिवारों के आय-व्ययकों का नमूना पर्यालोकन किया है ?

(ख) पर्यालोकन के मुख्य मुख्य परिणाम क्या निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) . केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर १९४५ से अगस्त १९४६ तक की अवधि में केवल अपने ही कर्मचारियों के मध्यम वर्ग के परिवारों के आय-व्ययकों का नमूने के रूप में पर्यालोकन किया था । यह पर्यालोकन बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली इन चार प्रमुख नगरों तथा बम्बई प्रान्त, मद्रास प्रान्त, बंगाल तथा आसाम, बिहार तथा उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और मध्य प्रान्त के सात अन्य प्रादेशिक खण्डों में किया गया था । इस जांच का वृत्तान्त पुस्तकालय में मिल सकता है ।

दिल्ली में अजायब घर

९५. **श्री धूसिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में कोई अजायबघर बनाने का विचार है ;

(ख) इस का वास्तविक निर्माण कब से आरम्भ होगा ; और

(ग) क्या इस कार्य को ठेकेदारों द्वारा करवाया जायेगा या सरकार स्वयं करेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् । नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अजायबघर बनाने का विचार है ।

(ख) अजायबघर के विभिन्न विभागों के लिये कितना स्थान चाहिये इस बात का निश्चय करने के लिये तथा भवन के लिये एक नकशा तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है । सरकार समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे ध्यान में रखते हुए इस विषय में आगे और कार्यवाही करेगी ।

(ग) इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

इम्फाल में डाकू

९६. **श्री एल० जे० सिंह**: (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मई, १९५३ से इम्फाल नगर के क्षेत्र में एक डाकुओं का गिरोह काम कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो लोगों को डाकुओं से बचाने के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

(ग) अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ?

(घ) गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से यदि कोई शस्त्र मिले हैं तो वे क्या हैं ?

(ङ) कुल सम्पत्ति की अनुमानित राशि कितनी है ?

(च) सरकार को इस में कहां तक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और यह सहयोग किस प्रकार का है ?

(छ) डाकुओं के इस कष्ट को दूर करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मई, १९५३ में इम्फाल के उपनगर में डाकों की तीन घटनायें हुई थीं; उस के बाद से वहां कोई घटना नहीं हुई है ।

(ख) कुछ गिरफ्तारियां की गई थीं और पुलिस नियमित रूप से गश्त करती है । इम्फाल नगर के चारों ओर १४ ग्राम प्रतिरक्षा दल भी बनाये गये हैं ।

(ग) अभी तक १५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(घ) एक काम में आने वाला स्टेन गन और २३ कारतूस पकड़े गये थे ।

(ङ) ४१३९ रुपये २ आने ३ पाई के मूल्य की सम्पत्ति चुराई गई थी ।

(च) लोगों ने ग्राम प्रतिरक्षा दल बना कर सहयोग दिया है जो कि पुलिस की गश्त तथा उस के अन्य कार्यों में उस से सहयोग करते हैं ।

(छ) मई, १९५३ के पश्चात् कोई डाका नहीं पड़ा है ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त

९७. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ३ जून, १९५३ के 'अमृतबाज़ार पत्रिका' के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस के सिलचर स्थित सम्वाददाता से प्राप्त एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने, जो कि हाल में लुशाई पहाड़ियों के ज़िले के प्रधान स्थान ऐजल गये थे कछार और लुशाई पहाड़ियों के ज़िलों के उपायुक्तों से, त्रिपुरा, कछार, मनीपुर, लुशाई पहाड़ियों, उत्तरी कछार, मिकिर पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों को मिला कर बनाये जाने वाले प्रस्तावित भाग 'ग' राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में बातचीत की थी ?

(ख) क्या सरकार इस समाचार की सत्यता को स्वीकार करती है और यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) यह समाचार ग़लत है । त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त का ऐज़ल जाने का उद्देश्य लुशाई पहाड़ियों के ज़िलों में प्रयोग किये जाने वाले प्रशासनात्मक तरीक़ों का अध्ययन करना था ।

ब्रेन गनों का निर्माण

९८. **श्री गोपाल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह

सत्य है कि अब भारत में ब्रेन गनें बनाई जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या ये निजी सार्थों द्वारा बनाई जाती हैं या सरकारी शस्त्रास्त्र के कारखानों द्वारा ?

(ग) क्या इस उत्पादन से भारतीय सशस्त्र सेना की सम्पूर्ण आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी हां ।

(ख) केवल सरकारी शस्त्रास्त्र के कारख़ाने में ?

(ग) जी हां ।

"काबली वाला" (साहूकारी)

९९. श्री डी० एन० सिंह : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काबलीवालों को भारत में साहूकारी करने का अधिकार विधि द्वारा प्राप्त है ?

(ख) क्या उनको २ आने प्रति रुपया मासिक दर पर ब्याज लेने का अधिकार भी विधि के अनुसार प्राप्त है ?

(ग) यदि ऐसा है तो भारतीय साहूकारों के विपरीत इन विदेशियों के साथ ऐसा अनुकूल व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जहां तक पता चलता है भारत के किसी भी भाग में किसी वर्ग विशेष के लोगों को केवल राष्ट्रीयता जैसे कारण पर रुपया उधार देने का व्यवसाय निषेध नहीं है ।

(ख) 'साहूकार' तथा 'साहूकारी' राज्य का विषय होने के कारण, अनेक राज्यों द्वारा ऋण देने के व्यवसाय को नियमित रूप से चलाने के लिये विधान पारित हो चुका है । ऋण दाताओं द्वारा वसूल की जाने वाली उच्चतम दरें संविहित रूप से निश्चित कर दी गई हैं । कहीं भी उच्चतम दर २ आने प्रति रुपया मासिक नहीं है । रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया तथा राज्य सरकारों का ध्यान भाग (क) में वर्णित वर्ग द्वारा वसूल की जाने वाली संवृद्धि ब्याज दरों की ओर आकृषित किया जा रहा है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता :

सोने की खानें

१००. पंडित एम० बी० भार्गव : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने की खानों में वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में सोने की कुल मात्रा तथा उनके द्वारा उत्पादित सोने का मूल्य क्या था ?

(ख) इन खानों में से निकलने वाले सोने का आनुपातिक मूल्य क्या था ?

(ग) किन अन्य भूभागों में सोने के लिये भूतत्व परिमाप किया जा रहा है ?

(घ) इस परिमाप के परिणाम क्या हुऐ हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ) एक विवरण जिसमें वांछित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

बुनियादी शिक्षा

१०१. श्री बाल्मीकि : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य को प्राइमरी से ले कर स्नातकोत्तर सीमा तक सभी राज्यों में गहन शिक्षा सम्बन्धी विकास की योजना के अन्तर्गत इसकी प्रविधि तथा अभ्यास के विकास के लिये की जाने वाली कार्यवाहियां ; तथा

(ख) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा इस योजना की लागत में बंटाया जाने वाला अंश ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]**

चौर्यानयन

१०२. श्री बीरेन दत्त : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चौर्यानयन करने वालों के गिरोह निषिद्ध वस्तुओं सहित रात में अगरतला शहर में परेड किया करते हैं ;

(ख) क्या रात में जनता को धमकी दिया करते हैं और अपने कामों में उन से सहायता करने के लिये कहते हैं ;

(ग) क्या कुछ भागों में इन गिरोहों के कारण सामान्य जीवन में कुछ बाधा पड़ती है ; तथा

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) नहीं ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

१०३. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान, सिन्ध या पूर्वी पाकिस्तान आदि से कितने विस्थापित लोगों को वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा ऋण दिया गया था ?

(ख) ऋण का भुगतान कितनी क़िश्तों में किया जायगा ?

(ग) इस पर वसूल की गई ब्याज की दर क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) प्रशासन वित्तीय वर्ष के अनुसार आंकड़े नहीं रखता है, और इसलिये ऋण-आवेदन पत्रों की कुल संख्या जो १९५१, १९५२ तथा ३० जून, १९५३ तक स्वीकृत हुई है, नीचे दी गई है :

वर्ष	पश्चिमी पाकिस्तान सिन्ध को निकाल कर	सिन्ध	पूर्वी पाकिस्तान	योग
१९५१	१०८८	१२६१	१५३४	३८८३
१९५२	१२४०	१२२०	९४९	३४०९
१९५३ (३०-६-५३ तक)	८७२	६६२	७४३	२२७७

(ख) सामान्यतः ऋणों का भुगतान ८ वार्षिक क़िश्तों में किया जा सकता है । "ठेके" के व्यापार के लिये ऋण के सम्बन्ध में उनका भुगतान ५ वार्षिक क़िश्तों में किया जा सकता है तथा "यातायात" सम्बन्धी व्यापार में भुगतान ४८ मासिक क़िश्तों में किया जा सकता है ।

(ग) ऋण पर वसूल की गई ब्याज दर ६ प्रतिशत वार्षिक है जिसमें १ प्रतिशत छूट दी जाती है यदि क़िश्त का भुगतान नियत दिनांक पर या उससे पूर्व किया जाता है ।

आयकर

१०४. श्री सैय्यद अहमद : क्या **वित्त** मंत्री उन व्यक्तियों अथवा फ़र्मों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन पर, आय-कर (१) खण्डवा क्षेत्र में होशंगाबाद ज़िले से और (२) उस क्षेत्र में खण्डवा जिले के खण्डवा भाग में, लगाये गये हैं।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : खण्डवा क्षेत्र में होशंगाबाद ज़िले से कर लगाये गये लोगों की संख्या ७७२ तथा खण्डवा ज़िले के खण्डवा भाग की संख्या ५७९ है ।

पिछड़ी जातियों का आयोग

१०५. श्री मुनिस्वामी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों के आयोग ने हमारे देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करने में कहां तक प्रगति की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : आयोग जिसने अपना कार्य १ मार्च १९५३ से प्रारम्भ किया है, अभी तक हैदराबाद तथा मैसूर राज्यों का दौरा किया है ।

राष्ट्रीय भाषा

१०६. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १३ वर्ष में राष्ट्रीय भाषा के प्रचार के विषय में श्री गाडगिल ने जो योजना बनाई है क्या सरकार का ध्यान उसकी ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने श्री गाडगिल द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को स्वीकार किया ह या कि इस प्रयोजन के लिये कोई अन्य कार्यक्रम बनाया है; तथा

(ग) यदि बनाया है तो उसकी मुख्य बात क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) (ख) और (ग), यह योजना तथा और बहुत सी योजनायें अख़बारों में छपचुकी हैं। सरकार ऐसे सुझावों से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है। एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है जिससे पता लग जायगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]**

सचिवालय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुख-सुविधायें

१०७. चौ० रघुवीर सिंह : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि क्या सरकार सचिवालय के कर्मचारियों को सुख-सुविधायें देने का विचार कर रही है ?

(ख) क्या सुख-सुविधाओं के कुछ विस्तृत विवरण अभी तक किये जा चुके हैं ?

(ग) इन विवरणों को कार्यान्वित करने के लिये कोई समिति की स्थापना की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) हां ।

(ख) और (ग). सचिवालय कर्मचारी हितकारी तथा सुख-सुविधा समिति अब बन गई है तथा सुख-सुविधाओं का विस्तार एवं अन्य सुविधाएं जो दी जाने वाली हैं, उन पर संगठित रूप में कार्य किया जा रहा है ।

भूतपूर्व कर्मचारियों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

१०८. प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा भूतपूर्व कर्मचारियों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से १९५२ के अन्त तक व्यय की गई धन राशि ; तथा

(ख) वे मद जिन पर यह धन व्यय किय गय है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) पंजाब युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि से ३१ दिसम्बर १९५२ तक कुल व्यय किय गय धन २६,६२,२०९ रुपये १३ आने १ पाई था।

(ख) एक विवरण जिसमें व्यय किये गए धन का विस्तारपूर्वक वर्णन दिया हुआ है सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

अल्प बचत योजना

१०९. श्री एम० एल० द्विवेदी : (क) क्या **वित्त** मंत्री भारत सरकार की अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे :

(ख) क्या यह योजना स्थायी रूप धारण करने वाली है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्या कुछ निर्णय इस संबंध में किया जा चुका है या होने वाला है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अल्प बचत योजना में १. ७. १९५३ को कार्य करने वाली कर्मचारियों की कुल संख्या ६९३ थी।

(ख) और (ग). अल्प बचत योजना को स्थायी रूप देने का विचार है। इस संगठन को स्थायी बना देने का प्रश्न विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय

११०. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रश्न पर पूर्णतया विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञों का इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत हुआ है ?

(ख) यदि भाग "क" का उत्तर नकारात्मक हो इस प्रतिवेदन की उपलब्धि कब तक सम्भव है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
५ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
On [illegible]
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

औचित्य प्रश्न

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : क्या मैं एक औचित्य प्रश्न पर खड़ा हो सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जब तक मुझे इसकी पूर्वसूचना न दी जाये सदन के कार्य में बाधा नहीं डाली जा सकती। जो पहले हो चुका है और जो होने वाला है इन के बीच औचित्य प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या नियम २९१ के अधीन प्रत्येक सदस्य का औचित्य प्रश्न करने का अधिकार नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बीच के खाली समय में औचित्य प्रश्न नहीं हो सकता। यह सदन की किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में होना चाहिये। माननीय सदस्य किस नियम के अधीन औचित्य प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : नियम २९१ के अधीन, क्या यह मूलाधिकार नहीं है कि एक सदस्य किसी समय औचित्य प्रश्न कर सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है कि सदन में विचाराधीन विषय पर औचित्य प्रश्न रखा जा सकता है। इस लिये मैं माननीय सदस्य को औचित्य प्रश्न रखने की अनुज्ञा नहीं दूंगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन तथा विवरण

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अनुसरण में निम्नलिखित प्रलेखों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं ; अर्थात्

(१) ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हुए अर्द्ध-वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन ;

(२) ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारों का विश्लेषण ;

(३) वर्ष १९५२ में मांगे गये ऋणों का विवरण ; और

(४) ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हुई कालावधि के लिये कालातीत किश्तों का विवरण।

[**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या ४ ओ० ४ (३५)**]

औचित्य प्रश्न

श्री फ्रैंक एन्थनी: श्रीमान्, क्या मैं औचित्य प्रश्न रख सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर ?

श्री फ्रैंक एन्थनी: जी नहीं, वरन् इस नियम पर ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । सदन पटल पर रखे गये विषय के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न हो सकता है । सदस्यों के सामान्य अधिकारों के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न तभी हो सकता है जब कोई वैसा प्रस्ताव विचाराधीन हो । कोई सदस्य अकस्मात् कोई प्रस्ताव सदन में नहीं रख सकता जिस पर अध्यक्ष अथवा सदन के निर्णय की आवश्यकता हो । इस के लिये पूर्वसूचना आवश्यक है ।

श्री ए स० एस० मोरे (शोलापुर): श्रीमान्, किस नियम के अधीन ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है । विषयों के लिये अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न हो सकता है । सदन के समक्ष लाये जाने वाले विषय प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव तथा अन्य ऐसे प्रस्ताव हैं । इन के लिये अध्यक्ष की पूर्व-अनुज्ञप्ति चाहिये ।

मुझ से अकस्मात् यह नहीं पूछा जाना चाहिये कि किस नियम के अधीन किसी माननीय सदस्य को कोई विषय प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है अथवा नहीं । माननीय सदस्य को यह बताना चाहिये कि वह किसी विशेष नियमाधीन विषय प्रस्तुत करने और बोलने का अधिकार रखता है । अन्यथा बोलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं नियम बताना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहता। यदि माननीय सदस्य मेरा ध्यान किसी विशेष बात की ओर दिलाना चाहते हैं तो वे मुझे लिख सकते हैं अथवा आकर मुझ से बात कर सकते हैं ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): कल कतिपय माननीय सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना था जिस समय उसे बैठ जाने की आज्ञा दी गई । अब क्योंकि नियमों के अधीन प्रत्येक सदस्य को औचित्य प्रश्न करने का अधिकार है, उस के सम्बन्ध में माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न रखना चाहते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, मैं नियम उद्धरित कर दूं । नियम २९१ में कहा गया है कि :

> "(१) कोई सदस्य अध्यक्ष के निर्णय के लिये किसी भी समय औचित्य प्रश्न कर सकता है ।"

आप का निर्णय इस नियम के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय स्पष्ट है । इस नियम की परिभाषा यह है कि औचित्य प्रश्न किसी समय विचाराधीन विषय पर ही किया जा सकता है । कल मैं ने यही कहा था कि जब एक विषय समाप्त हो चुका है और दूसरा आरम्भ होने वाला है तो यह विषय नहीं लाया जा सकता । यदि माननीय सदस्य को उस पर आपत्ति थी तो उस समय औचित्य प्रश्न रखा जाना चाहिये था। मैं सदस्यों से दूर नहीं हूं। यदि

वे आकर बात नहीं कर सकते और अपना दृष्टिकोण नहीं बता सकते तो वे लिख सकते हैं। अकस्मात् लाये गये विषय पर सारा दिन भी बात करें तो मैं उन पर विचार नहीं कर सकता। मैं सदन की कार्य व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहता। माननीय सदस्य सदा मुझे मिल सकते हैं अथवा मुझे लिख सकते हैं। मेरे लिये सदन में दिये गये निर्णय को बदलना सम्भव है। यदि माननीय सदस्य मुझे यह सूचना दें कि वे ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं आज अथवा परसों उस पर चर्चा रख सकता हूं। परन्तु, उन्हें विदित होना चाहिये कि हमें कार्य सूची में दिये गये विषयों पर विचार करना होगा। यदि मुझे सूचना दी गई होती और यदि मैं विषय को समझने में अपने को असमर्थ पाता तो विधि मंत्री को स्थिति समझाने के लिये कहता। इस लिये मैं चाहता हूं कि पूर्व-सूचना दी जानी चाहिये। यदि माननीय सदस्य मुझे यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नियम की परिभाषा के अनुसार कोई विषय किसी समय भी उठाया जा सकता है तो मैं विषय पर विचार करने के लिये तैयार हूं। माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में लिखें।

श्री ऐ० के० गोपालन: आप से बात करने और मिल लेने और एक माननीय सदस्य के अधिकार के बीच अन्तर है। अधिकार के सम्बन्ध में यदि आप किसी सदस्य को औचित्य प्रश्न नहीं रखने देते तो आप उस के साधारण अधिकार पर आघात कर रहे हैं। नियम के गलत अर्थ लिये गये हैं और यदि आप हमें औचित्य प्रश्न करने का अधिकार नहीं देते तो मैं विरोधस्वरूप सदन से उठ कर जाता हूं।

(श्री ए० के० गोपालन और कुछ और माननीय सदस्य सभा से चले गये)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

१. बीमा अधिनियम अधिसूचना।

२. **भारत तथा इंगलिस्तान की सरकारों में वित्तीय समझौता।**

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ११४ की उप-धारा (३) के अधीन वित्त-मंत्रालय की अधिसूचना सं० १०२ आई० एफ० (१)।५२ दिनांक ४ फ़रवरी, १९५३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० स-८७/५३]** मैं भारत तथा इंगलिस्तान सरकार के बीच वित्तीय समझौते की एक प्रति भी पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० ७-ए १ (२१)]**

(१) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन।**

(२) **मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अधीन अधिसूचना।**

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८ के खण्ड (२) के अधीन वर्ष १९५२ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० ४-ए-४(१)]**

मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम १९५२ की धारा ११, उप-धारा (२) के अनुसरण में गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० १८/१२/५३-पब्लिक दिनांक १० जून, १९५३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ को अग्रेतर संशोधित करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह सर्वथा साधारण विधेयक है और मैं इसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम में किये जाने वाले तीन प्रधान परिवर्तनों की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पहला परिवर्तन केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम अधीन स्थापित रेशम बोर्ड के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में है । पहले बोर्ड के कार्यों का सम्बन्ध केवल कच्चे रेशम से था जैसा कि माननीय सदस्य भली प्रकार समझ सकते हैं रेशम के उद्योग में विभिन्न स्थितियां होती हैं और हम ने विचार किया कि यदि हम ने कच्चे रेशम के विकास से भिन्न अन्य स्थितियों को पृथक् रखा तो रेशम के उद्योग के विकास का प्रयोजन सफल नहीं हो सकेगा । शहतूत उगाने से ले कर रेशम के तन्तु बुनने तक विभिन्न प्रक्रम होते हैं । इस परिवर्तन द्वारा रेशम बोर्ड रेशम उद्योग के विभिन्न प्रक्रमों में कार्य कर सकेगा ।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया जाना है, यह है कि रेशम के बोर्ड के वर्तमान विधान के अनुसार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बोर्ड का सभापति है । मंत्री के सभापति होने से कई बार अनियम हो जाने की संभावना है । वह रेशम उद्योग के सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णयों के लिये अन्तिम प्राधिकारी है । यदि वह इस बोर्ड का सभापति भी रहे जिसे रेशम के उद्योग की प्रगति के लिये साधन ढूंढने का कार्य सौंपा गया है, तो यह सम्भव है कि अन्ततः वह ऐसे निर्णय करे जो रेशम के बोर्ड की सिफ़ारिशों से भिन्न हों । इस अनियम को दूर करने के लिये हम ने यह उपबन्ध किया है कि इस बोर्ड का सभापति मंत्री न रहे । सदन इसे स्वीकार करेगा कि इसके द्वारा बोर्ड के कार्य में अधिक सुविधा हो सकेगी ।

तीसरे हम ने उन विषयों को बढ़ा दिया है जिन पर बोर्ड को कार्य करना है और यह परिवर्तन मूल अधिनियम की धारा ३, खण्ड ८ द्वारा संशोधन कर के किया गया है । बोर्ड के कार्यों की सूची में बढ़ाये गये विषयों की ओर विस्तार पूर्वक ध्यान दिलवा कर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

यह तीन मुख्य परिवर्तन हैं । मैं समझता हूं कि इन के लिये अधिक युक्ति की आवश्यकता नहीं । यदि चर्चा में कुछ बातें कही जायेंगी तो मुझे उत्तर में केवल उनका निर्देश करके प्रसन्नता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ को और संशोधित करने के लिए विधेयक विचाराधीन किया जाये ।"

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं ने हिसाब लगाया है कि रेशम उद्योग पर देश के लगभग २० लाख आदमी निर्भर हैं । यह कुटीर व छोटे पैमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है । हमें शिकायत है कि सरकार अब तक इस की घोर उपेक्षा करती रही है । युद्धकाल में इस उद्योग ने कुछ उन्नति की थी । युद्ध के बाद केन्द्रीय रेशम बोर्ड बनाया गया था । किन्तु इस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में स्वयं यह बात मानी है कि सीमित संसाधनों के कारण यह अब तक कुछ नहीं कर सका । इस ने केवल युद्धकाल में की गई प्रगति को बनाये रखा है ।

*राष्ट्रपति की सिपारिश पर प्रस्तावित ।

कच्चे रेशम के वर्तमान उत्पादन से देश की केवल ५० प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है। इस के अतिरिक्त रेशम बुनने के उद्योग का प्रश्न भी है। मैं पश्चिमी बंगाल के एक ऐसे ज़िले से आया हूं जो कि रेशम बुनने के उद्योग के लिये प्रसिद्ध है और मैं कह सकता हूं कि वहां के बुनकर विनाश के मुंह में जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि राज्य म इस उद्योग का ध्यान रखना मुख्यत: राज्य सरकार का कर्तव्य है। किन्तु इस विषय में केन्द्रीय सरकार की नीति पर भी बहुत कुछ निभर है, क्योंकि आयात निर्यात, विदेशी बाज़ार ढूंढना और रेशम उद्योग को एक लाभयक्त उद्योग बनाना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है।

रेशम बोर्ड की रिपोर्ट मैं ने बहुत सावधानी से पढ़ी है। इस में यह नहीं बतलाया गया कि कोयों के सुधार के लिये क्या किया गया है। हमारे कोयों से बहुत कम रेशम निकलता है। जब तक कोयों की क़िस्म अच्छी नहीं होगी, उत्पादन व्यय में कमी नहीं हो सकेगी।

कच्चे रेशम का उत्पादन व्यय इतना बढ़ गया है कि हम जापान के साथ मुक़ाबला नहीं कर सकते। नक़ली रेशम से और भी ख़तरा पैदा होता है। मेरे विचार में सरकार को इस अवस्था पर नक़ली रेशम के उत्पादन या आयात को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

रेशम बोर्ड कच्चे रेशम की कुछ क़िस्मों पर लागये गये उपकर से ही अपन लिये कुछ राशि इकट्ठी कर सकेगा। किन्तु उद्योग में वास्तविक सुधार करने के लिये और कच्चा रेशम पैदा करने वालों, कोया पालने वालों और रेशम बुनकरों को विनाश से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड को प्रत्यक्ष अनदान दे कर इस के संसाधनों में वृद्धि करे।

अब मैं बोर्ड के संघटन के मामले को लेता हूं। इस विधेयक के द्वारा बोर्ड का पुनर्संघटन अपेक्षित है। किन्तु प्रतीत होता है कि मनोनीत करने की सारी शक्ति सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। विरोधी पक्ष को संतुष्ट करने के लिये, श्रम को एक स्थान दिया गया ह। दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व के बारे में जो खंड हैं, वे बिलकुल अस्पष्ट हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। मंत्री यह प्रस्ताव करेगा कि अध्यक्ष महोदय जिस तरीक़े से चाहें, दो या अधिक सदस्यों का निर्वाचन करा दें। सरकार का इस चुनाव में कोई हाथ नहीं होगा।

श्री टी० के० चौधरी : बोर्ड के संघटन के बारे में एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो दोनों व्यक्ति ऐसे मनोनीत कर सकती है, जो कि पदाधिकारी हों। इस सम्बन्ध में सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि चूंकि इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक संगठित नहीं हैं और वे फैक्टरी श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिये उत्पादकों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व अवश्य देना चाहिये। इसलिये सरकार को विधेयक के पुनर्संघटन सम्बन्धी खंड में तदानुसार संशोधन कर देना चाहिये।

श्री करमरकर : क्या माननीय सदस्य उपखंड (१) में उल्लिखित उत्पादकों को दिये गये प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं हैं?

डा० एम० एम० दास : यह बहुत कम है।

श्री टी० के० चौधरी : मुझे मद्रास, बंगाल, आसाम और बिहार राज्यों को दिये गये प्रतिनिधित्व की विशेष चिन्ता

[श्री टी० के० चौधरी]

है। वहां उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से सदस्य बनाना चाहिये।

मेरा एक सुझाव और है वह यह है कि कोया पालने वालों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। बुनकरों की तरह इन को भी भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है यदि आप वास्तव में रेशम उद्योग म सुधार करना चाहते हैं, तो आप को पहले कोयों का सुधार करना चाहिये। कोया पालने वालों को आधुनिक तरीक़ों से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उन की संस्थाओं को इन बोर्डों में प्रतिनिधित्व देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार मनोनीत कर के ऐसा कर सकती है।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : और आसाम के सम्बन्ध में ? क्या वहां कीड़े नहीं पाले जाते हैं ?

श्री टी० क० चौधरी : कीड़े पाले तो जाते हैं परन्तु शहतूत के वृक्षों का वहां इतना महत्व नहीं है। आसाम में तो अधिकतर भूगा और एरी रेशम बनाया जाता है। अतः मेरा विचार है कि बोर्ड में कीड़े पालने वालों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। मेरे संशोधन से सरकार को ऐसे तीन प्रतिनिधि नामनिर्देशित करने का अधिकार प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि सरकार मे। संशोधन स्वीकार कर लेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मेरे माननीय मित्र ने जो सुझाव दिये हैं उन में से अधिकांश से मैं सहमत हूं। मेरा बराबर यही कहना रहा है कि रेशम उद्योग के सम्बन्ध में मंत्रालय अत्यधिक उपेक्षा दिखा रहा है। आज इस उद्योग पर संकट आया हुआ है और यदि कोई प्रभावशाली तथा सामयिक कार्यवाही नहीं की गई तो उद्योग को बचाना बहुत कठिन हो जायगा।

इस उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या बीस लाख बनाई गई है, परन्तु यह संख्या ग़लत है, कम से कम तीस लाख व्यक्ति इस से जीवन निर्वाह करते हैं। आजकल योजना का युग है और भारत सरकार स्वयं अपनी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने को उत्सुक है। परन्तु दुर्भाग्य से रेशम उद्योग के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है और न कोई प्रस्थापनायें ही हैं। सब से अधिक खेद की बात यह है कि इस उद्योग के सम्बन्ध में माननीय मंत्री से जो आशायें थीं उन पर उनकी उपेक्षा के कारण तुषारापात हो गया है।

इस उद्योग की अनेकों समस्यायें हैं। शहतूत उगाने वालों को ही लीजिये, उनको घोर निराशा हुई है, वह अब न शहतूत उगाना चाहते हैं और न कीड़े पालना चाहते हैं क्योंकि उन को उन का जो मूल्य मिलता है वह उन के उत्पादन परिव्यय से कम होता है। कच्चे रेशम की कमी की बात करते समय हमें उस निराशा का ध्यान रखना चाहिये जो कीड़ा पालने वालों को सरकार के रवैये से हुई है। यदि हमें कच्चे रेशम के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होना है तो सरकार को अधिक शहतूत उगाने तथा कीड़े पाले जाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना होगा। उत्पादन परिव्यय को कम करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है। परन्तु इस सब में बहुत अधिक व्यय होने की सम्भावना है। राज्य सरकारें असहाय हैं क्योंकि उन की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक है, अतः केवल केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में कुछ कर सकती है।

रेशम का धागा बनाये जाने के उद्योग की भी यही स्थिति है। फ़ैक्टरियां तो कई

हैं परन्तु वह पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रही हैं। यदि वह पूरे ज़ोर से काम करें तो माल बहुत जमा हो जायगा क्योंकि माल की खपत की कोई सुविधायें नहीं हैं। रेशम व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्ति एक सुसंगठित बाजार न होने की शिक़ायत कर रहे हैं। मैसूर में ऐसा आन्दोलन बहुत दिनों से चल रहा है, और मेरा अपना विचार है कि कच्चे रेशम की बिक्री के लिये कोई नियंत्रित मंडी होना आवश्यक है। सारे भारत में यह अवस्था है कि रेशम उगाने वालों को अपना माल दलालों को बेच देना पड़ता है, यह दलाल उत्पादक तथा ख़रीददार दोनों से दलाली खाते हैं और अच्छा पैसा बना लेते हैं। कौलेगल में रेशम उद्योग इसीलिये समाप्त प्रायः हो गया क्योंकि वहां उत्पादकों के पास धन की कमी है और यदि वह रेशम का कपड़ा बनाते भी हैं तो उसकी कोई मांग नहीं है। अनेकों खड्डियां बेकार पड़ी हैं और बुनकर भूखों मर रहे हैं। अतः सरकार का सर्व प्रथम कर्तव्य रेशम उद्योग के लिये एक मंडी बनाये जाने के प्रश्न पर विचार करना है। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यवाही करें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि केवल रेशम बोर्ड के पुनः संघटन से ही काम नहीं चलेगा। चार पांच वर्ष से यह बोर्ड है परन्तु कुछ रिपोर्टें निकालने और कुछ सिफ़ारिशें करने के अतिरिक्त उस ने कुछ भी नहीं किया है और न उसकी नियमित बैठकें ही होती हैं क्योंकि माननीय मंत्री जो कि बोर्ड के सभापति हैं, रेशम उद्योग के प्रति पूर्णरूप से उदासीन रहे हैं। जब वह इस विधेयक के द्वारा और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे बहुत संशय होता है। इस की क्या प्रत्याभूति है कि केन्द्र को यह अधिकार दिये जाने के बाद रेशम उद्योग को सहायता प्राप्त होगी और उस की दशा सुधरेगी ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह निश्चित आश्वासन दें कि रेशम उद्योग को और अधिक सहायता दी जायेगी। गत तीन वर्षों में रेशम बोर्ड को कोई ६$\frac{1}{2}$ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है और १२ लाख की अग्रेतर सहायता और दी जाने को है। परन्तु यह ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। यदि रेशम उद्योग को एक लाभप्रद स्थायी उद्योग बनाना है तो यह आवश्यक है कि केन्द्र की ओर से और अधिक अनुदान दिया जाये।

पर्षद के संघटन के सम्बन्ध में मेरे पूर्ववक्ता ने कुछ त्रुटियां बताई थीं। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि उक्त पर्षद् के अधिकांश सदस्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्र के मनोनीत व्यक्ति होंगे और बहुत कम सदस्य संसद् द्वारा चुने जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इस उद्योग में संलग्न विभिन्न संस्थागों को विश्वासित प्रतिनिधान दिया जाना चाहिये। इस से विभिन्न संस्थाओं को अपनी समस्यायें उपस्थित करन में सहायता मिलेगी। अतः मेरा सुझाव है कि पर्षद् में कुछ व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने की अपेक्षा विभिन्न संस्थाओं से अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा जाये और उन के अभ्यंश निश्चित कर दिये जायं। जहां तक इन सदस्यों के कार्यकाल का सम्बन्ध है उसे स्वयं अधिनियम में ही निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

जहां तक रद्दी रेशम सम्बन्धी सरकार की नीति का प्रश्न है मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार रद्दी रेशम के अधिकांश भाग को विदेशों को निर्यात कर रही है। मेरा सुझाव ह कि इस रद्दी रेशम को देश में ही कलाबत्तू बनाने के लिय काम में लाय;

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

जाये। यह उद्योग केवल मैसूर में ही है और वहां भी मत प्रायः सा होता जा रहा है। मेरा सुझाव ह कि और अधिक फ़ैक्टरियां स्थापित की जायें और कते हुये रेशमी धाग से रेशमी कपड़ा बनाया जाये। यह कपड़ा शुद्ध रेशमी कपड़े से सस्ता होगा और इस लिये बाज़ार में इसकी मांग भी अधिक होगी। अतः रद्दी रेशम को बाहर भेजने के स्थान पर उसे यहीं काम में लाये जान की योजना बनाई जानी चाहिये।

इस समय नक़ली तथा असली रेशम के मध्य बहुत प्रतियोगिता हो रही ह उधर खड्डी और शक्ति करघों में होड़ लगी हुई है। सरकार को किसी न किसी तरह इस संघर्ष को समाप्त करना ही है। सरकार एक ओर तो नक़ली रेशम, रेयान तथा मिश्रित वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है दूसरी ओर वह असली रेशम के उद्योग को भी बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है। किसी उद्योग को भी बन्द नहीं किया जा सकता है पर ो भी इस प्रति योगिता को नियमित तो किया ही जा सकता है। दूसरी बात किसी प्रकार का वर्गीकरण या मुहर लगाने जैसा काम नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। मुहर छापने की प्रणाली चालू की जाये और विभिन्न प्रकार के रेशमों पर मुहर लगाई जाये। नक़ली रेशम को असली कर के बेचा जा रहा है इसलिये वर्गीकरण तथा मुहर छापने की प्रणाली चालू की जायें। अभी तक रेशम उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति उदासीन सी रही ह, मेरा निवेदन है कि यह नीति बदल दी जाये।

डा० एम० एम० दास : मुर्शिदाबाद से आगे मेरे मित्र श्री चौधरी ने इस उद्योग के सम्बन्ध में काफ़ी कुछ कहा है। यद्यपि मैं उन के विचारों से सहमत नहीं हूं तो भी जहां तक नक़ली रेशम का सम्बन्ध है मैं उन के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। आज नक़ली रेशम असली रेशम का प्रबल शत्रु बन गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस मामले पर सावधानी से विचार करे और 'नक़ली रेशम' नाम पर ही प्रतिबन्ध लगा दे जिस से कि इसे नक़ली धागों के लिये काम में न लाया जाये।

रेयान उद्योग हमारे देश का एक नया उद्योग है और जनता को धोखा देने के लिये उसे नक़ली रेशम उद्योग नाम दे दिया गया है। रेशम को एक कीड़ा बनाता है और रेयान एक बनास्पतिक पदार्थ है, दोनों में क्या समानता हो सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता हैं। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह रेयान उद्योग के लिये 'नक़ली रेशम' नाम दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये। सरकार इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करे।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने माननीय मंत्री पर उद्योग के प्रति उपेक्षा दिखाने का आरोप लगाया है। यह मैं जानता हूं कि सरकार को इस उद्योग के बारे में जो कुछ करना चाहिये था उसे करने में वह असमर्थ रही है परन्तु तो भी इस सदन के माननीय मंत्रियों पर उपेक्षा का आरोप लगाना ग़लत है। मेरे मित्र ने बाज़ारों की कमी की ओर ध्यान दिलाया है, परन्तु रेशम बोर्ड की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि गत तीन या चार वर्षों में सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रेशम के कोयों की मंडियां बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है। इसके लिये उसने अनुदान भी दिये हैं।

श्री टी के० चौधरी: ये मंडियां रेशम के लिये हैं, कोयों के लिये नहीं। रेशम और कोये में अन्तर है।

डा० एम० एम० दास : यदि हम युद्ध पूर्व, युद्ध काल अथवा युद्ध पश्चात् की रेशम उद्योग की स्थिति को देखें तो हमें मालूम होगा कि पहले दो वक्ताओं द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं। रेशम उद्योग को सन १९३४ में संरक्षण दिया गया था। युद्ध काल में जब कि रेशम का आयात बन्द हो गया था तो पैराशूट इत्यादि बनाने के लिये रेशम की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी। रेशम उद्योग इस मांग से चेत गया और युद्ध काल में इसका अधिकतम उत्पादन हुआ। रेशम बोर्ड सन् १९४९ में नियुक्त किया गया। युद्ध के पश्चात् उत्पादन घटा नहीं है बल्कि बढ़ ही गया है। अतः माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप कुछ ग़लत मालूम होते हैं।

गत चार वर्षों में रेशम बोर्ड न अपने सीमित संसाधनों के आधार पर उद्योग का विकास करन का प्रयत्न किया है। सन् १९४८ के अधिनियम में अटेरी हुये तथा कते हुये रेशम पर लगाये गये शुल्क को अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक नहीं समझा। इस कारण बोड को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये नगण्य अनुदान से ही अपने कठिन कार्य को पूरा करना पड़ा। गत चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनदान कोई १० लाख रुपया है। इस में से ६,८४,००० रुपया तो सन् १९५३ तक रेशम उत्पादक राज्यों में बांट दिया गया है और शेष १,५७,००० रुपया इस वर्ष बांटा जायगा। क्योंकि उत्पादन बढ़ गया है इस से यह कहा जा सकता है कि बोर्ड अपने कार्य में असफल नहीं रहा है। उसके द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से अनुभवी व्यक्ति छोटी मशीनों को कुटीर उद्योग की भांति काम में ला कर उत्पादन कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह आसाम के उस व्यक्ति को, जिस न दो मशीनें आविष्कार की हैं, एक लपेटने की और दूसरी बुनने की, उपयुक्त पारितोषिक दे। यह मशीनें इस उद्योग के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

गत चार वर्षों में सरकार और रेशम बोड को रेशम उद्योग के विकास कार्यक्रम में पड़ने वाली विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह कठिनाइयां सन् १९४८ के मूल अधिनियम में संशोधन करके हटाई जा सकती हैं। प्रस्तुत विधान इसी उद्देश्य से बनाया गया है। सब से महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि रेशम बुनाई उद्योग रेशम बोर्ड अधिनियम में शामिल किया जाये। यदि ऐसा न किया गया तो रेशम बोर्ड उद्योग सम्बन्धी अपनी योजनाओं को सन्तोषजनक रीति से पूरा नहीं कर सकेगा। रेशम बोर्ड ने अपनी जून १९५० तथा जनवरी १९५१ की बैठकों में एक संकल्प के द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह सिफ़ारिश की थी कि रेशम बुनाई उद्योग भी कच्चे रेशम उद्योग का ही एक भाग है और इसलिये उसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिये। परन्तु उस समय केन्द्रीय सरकार ने इस सिफ़ारिश को नहीं माना था। इस विधेयक में उसे मान लिया गया है इसलिये इस विधेयक के प्रस्तावक को धन्यवाद देते हैं।

दूसरा सुझाव रेशम बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में है। संसद के दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है और श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरी शिकायत यह है कच्चा रेशम तैयार करने वालों को दिया गया प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। कच्चा रेशम तैयार करने वाले इस उद्योग के आधार हैं और उन्हीं के बलबूते

[डा० एम० एम० दास]

पर ही सारे उद्योग को आधारित किया जाना चाहिये । परन्तु उन को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया ह, बोर्ड के ३६ सदस्यों में से उनकी संख्या केवल तीन है । अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह कच्चा रेशम तैयार करने वालों की शिकायतों को दूर करें ।

दूसरी बात बोर्ड के व्यय पर संसद् का वित्तीय नियंत्रण होने के सम्बन्ध में है । इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि अटेरे हुये तथा कते हुये रेशम पर लगाये गये उपकर से होन वाली आय को भारत की सचित निधि में जमा कराया जाय । क्योंकि अभी केन्द्रीय सरकार ने इस उपकर को लेना शुरू नहीं किया है इसलिये अभी इस उपबन्ध का कोई प्रभाव नहीं है । परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसे उपबन्ध बनाये जायें जिस से कि इस सदन को रेशम बोर्ड, चाय बोर्ड इत्यादि जैसे स्वायत्तशासी निकायों पर अपना वित्तीय नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो सके । सरकार द्वारा लगाये गये विभिन्न उपकरों से कोई ७० या ८० करोड़ रुपये की आय होती है । यह सारा धन चाय बोर्ड, रेशम बोर्ड जैसे स्वायत्तशासी निकायों को दे दिया जाता है । पहले इन के व्यय किये जाने पर विधान सभा का कोई नियंत्रण नहीं था परन्तु अब कुछ कुछ नियंत्रण होता जा रहा है ।

इस उपकर द्वारा हुई आय के भारत की संचित निधि में जमा कर दिये जाने के कारण उसे केवल अनुदानों की मांगों के रूप में ही निकाला जा सकता है, इसलिये बजट के अवसर पर इस सदन को व्यय के सम्बन्ध में आलोचना करने का अवसर मिलेगा । व्यय पर संसद् का वित्तीय नियंत्रण दो तरह से रहता है, एक तो तब जब कि व्यय के लिये रकम अनुदानों की मांगें की जाती है और दूसरे यह जब कि सदन अपनी लोक लेखा समिति के द्वारा उस की जांच कराता है । उक्त समिति महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और महालेखापाल व्यय हुये धन के हिसाब की जांच करता है । प्रस्तुत विधेयक में केवल एक ही रोग का निदान किया गया है । व्यय के सम्बन्ध में सदन को बजट के अवसर पर अनुदानों की मांगें किये जाने पर चर्चा करने का सुयोग मिलेगा और यह कार्यवाही धन के व्यय किये जाने से पूर्व ही की जायेगी । परन्तु क्योंकि इस विधेयक में महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षण का अधिकारी नहीं बनाया गया है इसलिये व्यय सम्बन्धी सारी बातें लोक लेखा समिति के समक्ष नहीं आयेंगी । महालेखापरीक्षक को सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखों की परीक्षा करने का अधिकार होना चाहिय । यही बात मैं ने चाय विधेयक पर हुई चर्चा के अवसर पर भी कही थी और स्वयं श्रीमान् ने ही, जो कि उस समय पीठासीन थे माननीय मंत्री को यह सुझाव दिया था कि चाय बोर्ड के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षक के द्वारा किया जाना चाहिये । यहां भी वही बात है और महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षा का दायित्व नहीं दिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार महालेखापरीक्षक और लोक लेखा समिति से इतना क्यों घबराती है । यह स्थिति दूर की जानी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उद्योग विभाग के मंत्री जी जो तरमीम (संशोधन) सिल्क बोर्ड पर लाये हैं इस का मैं स्वागत करता हूं । उन का ध्यान मैं इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि सिल्क बोर्ड की स्थापना १९४९ में जब हुई उस के बाद किसी क़िस्म का ख्याल टसर कोसा की

जो इंडस्ट्री है उस की तरक्की की तरफ़ नहीं गया। आज जो यह कोसा टसर की इन्डस्ट्री है उसका हिन्दुस्तान के कई भागों में ज़ोरों से व्यापार होता है। अगर उस के ऊपर आप अपनी ज़रा निगाह डालें तो आप को मालूम होगा कि हर प्रान्त में कितनी ज्यादा तादाद में टसर या कोसा हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है और साथ ही साथ हिन्दुस्तान के बाहर भी भेजा जाता है। मैं यह कहूंगा कि आप जो तरमीम लाये हैं उस में कोसा टसर को भी शामिल करना चाहिये ताकि जो वहां के टसर कोसा का काम करने वाले लोग हैं और जो इस उद्योग धन्धे में लगे हुये हैं, उन को इस से प्रोत्साहन मिले कि वे अपने इन धन्धों में लगे रहें। इस वक्त देश में जो बेकारी चारों तरफ़ ज़ोरों से बढ़ रही है उस पर भी आप गौर से ध्यान देवें। अगर इस सिल्क बोर्ड की तरमीम में कोसा टसर को शामिल नहीं किया तो मैं समझता हूं कि उस से बेकारी बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी और कोसा टसर के जो व्यापारी हैं उन लोगों को और जो इस का काम करने वाले हैं उन को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा और एक नई समस्या सरकार के लिये खड़ी हो जावेगी।

मैं आप का ध्यान इस सम्बन्ध में ख़ास कर मध्य प्रदेश के उन जगहों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जहां कि सब से ज्यादा तादाद में टसर कोसा पैदा किया जाता है, कटघोरा, छरी, चांदा, खोखरा, बलौदा, सारंगगढ़, जांजगीर, रायगढ़ इत्यादि जगहों में काफ़ी तादाद में कोसा टसर बनता है। मैं तो मंत्री महोदय से इस बात की भी प्रार्थना करूंगा कि दूसरे प्रान्तों की जो सरकारें हैं उन को लिखें, और मालूम करें वहां पर मर्दुमशुमारी (जनगणना) कर के कि आखिर कोसा टसर बनाने वाले वहां कितने हैं। यह मर्दुमशुमारी मालूम करने पर जहां तक हो सके उन की जो रजिस्टर्ड संस्थायें हों उन को भी इस बोर्ड में नुमाइन्दगी (प्रतिनिधित्व) देनी चाहिये। इस के देखने से मालूम होता है कि बिल में उन का कोई भी नुमाइन्दा नहीं लिया गया है। अगर उन लोगों को भी इस में रिप्रैज़ेन्टेशन देंगे तो वे अपने ख्यालात उस कमेटी में रख सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आप से यह कहूंगा कि यह जो कोसा टसर के उद्योग धन्धे हैं उन को आप मरने न दें। यह एक बहुत बड़ा उद्योग धन्धा है जिससे हज़ारों आदमियों की हर प्रान्त में गुज़र होती है जैसे आसाम, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। अगर इस को इसी तरह छोड़ दिया जायगा तो यह जो कोसा टसर का उद्योग धन्धा है वह मर जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बिल में इस तरह की तरमीम लाने की कोशिश करें जिससे उन के जो नुमाइन्दे हैं उन लोगों को भी इस में जगह मिल जाय।

इन शब्दों के साथ मैं जो यह तरमीम लाई गई है उस का स्वागत करता हूं।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : हमारे सामने समस्या है कुटीर उद्योग को मिल उद्योग के मुक़ाबले में जीवित रखने की। मेरा निवेदन यह है कि सरकार रेयान के आयात पर इतना नियंत्रण करे जिस से कि कच्चे रेशम उद्योग को उसका नियत स्थान प्राप्त हो सके। रेयान के आयात पर नियंत्रण करना सम्भव है या नहीं यह बात सरकार के सोचने की है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कच्चे रेशम के उद्योग को कुटीर उद्योग निधि में से सहायता क्यों नहीं दी जाती है यद्यपि कच्चे रेशम का अधिकतर वस्त्र खड्डी पर बुना जाता है खड्डी उद्योग कुटीर उद्योग है। अतः बुनकरों को न केवल रेशम बोर्ड से ही अपितु खादी बोर्ड से भी सहायता दी जानी चाहिये।

[श्री के० सी० सोधिया]

सरकार पर इस उद्योग के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया गया है। इस बोर्ड में कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाले सभी राज्यों तथा उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले सभी हितों का प्रतिनिधित्व होने के कारण यह बोर्ड अपना कार्य स्वयं करने में समर्थ है। यदि बोर्ड स्वयं काम नहीं करता है तो सरकार उस की सहायता नहीं कर सकती है। पुराने अधिनियम के अनुसार माननीय मंत्री उक्त बोर्ड के सभापति होते थे, परन्तु माननीय मंत्री के बहुत व्यस्त होने के कारण वह इस बोर्ड की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकता है, इसीलिये इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि बोर्ड की देखरेख करने के लिये एक सभापति नियुक्त किया जाये।

बोर्ड में सदस्यों की संख्या २६ से बढ़ा कर ३१ कर दी गई हैं, परन्तु मेरे विचार से कच्चा रेशम तैयार करने वालों तथा श्रम को दिया गया प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। इसे बढ़ा दिया जाना चाहिये। बोर्ड में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व ११ या १२ है। बोर्ड के विधान के अनुसार राज्यों को दो या चार प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है जिस में से एक अधिकारी होना चाहिये, इसलिये अधिकारियों की संख्या इतनी अधिक है। गणपूर्ति एक तिहाई है और खंड ४ के परादिक के अनुसार अधिकारियों को अपने स्थान पर अन्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर देने का अधिकार है, इस प्रकार यह बोर्ड अधिकारियों का एक तमाशा सा बन कर रह गया है। अतः कोई ऐसा परादिक रखा जाना चाहिये जिस से कि गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने पर बाध्य किया जा सके।

यह संसद् जनता द्वारा राज्य कोष में दिये गये धन की संरक्षक है। अतः यह आवश्यक है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिस से कि संसद् को संचित निधि में से खर्च की जाने वाली प्रत्येक पाई के व्यय पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। डा० दास ने यह सुझाव दिया था कि महालेखापरीक्षक को स्वायत्तशासी बोर्डों के लेखाओं की जांच का उत्तरदायित्व सौंपा जाये। इस प्रकार लोक लेखा समिति भी व्यय पर नज़र रख सकेगी। मेरा सुझाव यह है कि इस सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में सहायक विधानों के लिये एक समिति नियुक्त किये जाने का उपबन्ध है। और उक्त समिति को इस सदन की एक स्थायी समिति होने के कारण, व्यय सम्बन्धी सभी मदों की जांच करने का समय भी मिलेगा। अतः मेरा निवेदन है ऐसे बोर्डों तथा अन्य संस्थाओं के व्ययों की जांच करने के लिये तथा उन्हें नियमित करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये और सभी सहायक विधान उसके प्रभार में दे दिये जायें।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार की नियम-निर्मात्री शक्ति के अनुसार हमें यह प्रयत्न करना है कि बनाये गये सभी नियम स्वीकृति के लिये संसद् के समक्ष रखे जायें, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि चाहे विधेयक कितना ही उदार क्यों न हो सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे कि सारे किये करे पर पानी फिर जाये और अधिनियम की श्रेष्ठता नष्ट हो जाये। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : यह संशोधन विधेयक इस बात का संकेत है कि सरकार रेशम उद्योग में आये संकट से परिचित है। अतएव मैं इसका उस सीमा तक स्वागत करता हूं।

रेशम बोर्ड का कार्य संचालन अत्यन्त असन्तोषजनक रहा है। स्वयं माननीय मंत्री ने गत वर्ष यह स्वीकार किया था कि बोर्ड जिस ढंग से कार्य कर रहा है वह अत्यधिक असन्तोषजनक है। मुझे आशा है कि नव-निर्मित बोर्ड अधिक अच्छे ढंग से कार्य करेगा। परन्तु दुर्भाग्य से इन स्वप्रबन्धी निकायों तथा बोर्डों में कुछ ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे पहले से चली आ रही बातों का ही अनुसरण करते हैं। रेशम उद्योग एक मुख्य उद्योग है, अतः उसे शीघ्र ही सहायता दी जानी चाहिये।

मैसूर आदि स्थानों में कुछ मिलों आदि को छोड़ कर हमारा रेशम उद्योग कुटीर उद्योग है। इस उद्योग के कितने ही पहलू हैं, जैसे, शहतूत के वृक्ष उगाना, रेशम के कीड़े पालना, कोयों का संग्रहण तथा उनमें से रेशम निकालना आदि। ये सब कार्य कुटीर उद्योग के स्तर पर किये जाते हैं। इस उद्योग को सहायता देने के निमित्त यह आवश्यक है कि सरकार इन सब पहलुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

बोर्ड के केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाये जो स्वयं सजगता से कार्य करें और दूसरों को भी सजग रहने की प्रेरणा दे।

भारतीय रेशम का मूल्य लगभग ३० रुपये प्रति पौंड है जो कि इटालियन या जापानी रेशम के मूल्य का लगभग दुगुना है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि हमारे देश में उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा है, हमारे वृक्ष तथा रेशम के कीड़े दोषयुक्त हैं तथा कोयों से रेशम निकालने का ढंग गलत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि रेशम उत्पादन की प्रत्येक अवस्था के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से सलाह दी जाये।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस उद्योग के विकास की—जिस पर कि लगभग ५५,००० परिवार आश्रित हैं—बहुत गुंजाइश है। रेशम उद्योग के संकट का प्रभाव केवल उत्पादकों पर ही नहीं बल्कि उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों पर भी पड़ रहा है। कुछ समय पहले पंडित सुन्दर लाल ने सरकार का ध्यान प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों के बुन-करों की शोचनीय दशा की ओर आकर्षित किया था। पेड्डापुरम तथा कांजीवरम आदि स्थानों में भी रेशम उद्योग का यही हाल है। अतः सरकार को चाहिये कि जल्दी ही कोई क़दम उठाये।

सौभाग्य से रेशम एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी गणना जीवन की 'आवश्यकताओं' में की जा सके। अतः सरकार उद्योग को संरक्षण देने के लिये कुछ सख्त कार्यवाही भी कर सकती है। उदाहरण के लिये, वह आयात पर कर बढ़ा सकती है। यह तो ठीक है कि हम विदेशी रेशम का आयात बिल्कुल बन्द नहीं कर सकते, परन्तु इतना तो किया जा सकता है कि तैयार रेशम का आयात प्रतिषिद्ध कर दिया जाये।

मैं उपकर लगाये जाने का उद्देश्य नहीं समझ सका। यदि इसका कोई उद्देश्य है, तब भी मुझे इसमें सन्देह है कि इसके लिये यह उपयुक्त समय है। हां, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उपकर के रूप में प्राप्त आय भारत की संचित निधि में जमा की जायेगी।

बोर्ड के अध्यक्ष के विषय में मुझे यह कहना है कि वह एक पूर्ण-काल पदाधिकारी होना चाहिये, खंड काल पदाधिकारी नहीं। मैं समझता हूं कि मंत्रालय भी इस बात को मान लेगा।

[डा० रामा राव]

जहां तक बोर्ड में प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि बोर्ड में जो रेशम बुनाई उद्योग का प्रतिनिधि हो वह हथकरघा-जुलाहों का भी प्रतिनिधित्व करे।

विधेयक के खंड ८ के मद (१८) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि नक़ली रेशम भी उस में सम्मिलित कर लिया जाये। रेशम का सब से बड़ा शत्रु नक़ली रेशम है।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि सरकार केवल इस विधेयक के पारित हो जाने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जायगी बल्कि इस उद्योग को समाप्त होने से बचाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करेगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): मैं समझता हूं कि सरकार का शुरू से ही यह इरादा रहा है कि यह उद्योग कुटीर उद्योग के आधार पर कार्य करता रहे। हम इस अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार होने का स्वागत तो करते हैं परन्तु इसके साथ साथ मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। अब इसके क्षेत्र में केवल कच्चा रेशम ही न रह कर सामान्य रेशम उद्योग भी आ जायेगा। देश में कुछ ऐसे कारख़ाने भी हैं जो रेशमी धागे का आयात करके बुनाई करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधेयक ऐसे कारखानों को सहायता देने के लिये अभिप्रेत तो नहीं हैं, परन्तु फिर भी वे इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दे कि वह इस उद्योग का आयोजन किस प्रकार करना चाहती है। मैं हृदय से चाहता हूं कि इस उद्योग का वर्तमान कुटीर उद्योग-रूप ज्यों का त्यों कायम रहा आये।

विपणन प्रत्येक उद्योग का सार होता है। रेशम बोर्ड को रेशम उद्योग के विभिन्न उत्पादों के विक्रय के लिये मंडियां स्थापित करने के तरीक़े पता लगाने चाहियें। यें मंडियां देश के अन्दर तथा बाहर दोनों जगह ढूंढी जायें। बोर्ड को उत्पादकों को यह बतलाते रहना चाहिये कि अमुक मंडी में अमुक क़िस्म लोकप्रिय हो सकेगी।

संसार के अन्य देशों से स्पर्धा करने के लिये सदैव संरक्षण ही आवश्यक नहीं है, हमें कार्यकुशलता को चरमसीमा पर पहुंचाना होगा। वस्तुतः समस्या यह नहीं है कि किसी उद्योग को संरक्षण किस प्रकार दिया जाये, बल्कि यह है कि चरम कार्यकुशलता का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाये। बोर्ड को चाहिये कि वह प्रशिक्षण देकर तथा गोष्टियां आयोजित कर के गांव वालों को यह बतलाये कि वे अधिक कार्यकुशल किस प्रकार बन सकते हैं।

इस विषय में मैं डा० एम० एम० दास द्वारा कही गई एक बात पर ज़ोर डालना चाहता हूं। अच्छे उत्पादन के लिये छोटी छोटी मशीनों का आविष्कार किया जाये और ये मशीनें गांवों में उपलब्ध की जायें। बोर्ड को यह कार्य अवश्य करना चाहिये।

विधेयक के खंड ८ के उपखंड (१८) के सम्बन्ध में जो संशोधन सुझाया गया है, उसके विषय में मुझे यह कहना है कि वैसे तो नक़ली रेशम आज रेशम का बहुत बड़ा स्पर्धक है परन्तु हो सकता है कि भविष्य में यह स्थान किसी अन्य चीज़ द्वारा ले लिया जाये। अतः बोर्ड को यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह ऐसे सब स्पर्धकों के सम्बन्ध में सांख्यकी इकट्ठी कर सके और यदि ऐसा किया जाता है तो फिर उस प्रयोजनार्थ संशोधन होना चाहिये 'और इसके स्पर्धक', ताकि बोर्ड समय समय पर इसके स्पर्धकों का पुनर्विलोकन कर सके।

जैसा कि हम जानते हैं, आज देश में बेकारी बहुत है। बेकारी की समस्या का हल बेकार लोगों को काम देकर ही निकाला जा सकता है। इस रेशम उद्योग में बहुत से शिक्षित नवयुवकों को प्रशिक्षित कर के काम दिया जा सकता है। यदि शिक्षित नौजवान लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें इस उद्योग में काम से लगाया गया तो इससे उन्हें काम भी मिल जायेगा और उद्योग की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

मैं आशा करता हूं कि सरकार शुरू से ही इस बात पर ज़ोर देगी कि बोर्ड इस उद्योग पर कुटीर उद्योग के आधार पर ध्यान दे। मैं तो समझता हूं कि विधेयक का यही उद्देश्य है, और यदि यही उद्देश्य है तो अधिक अच्छा यह होगा कि यह शुरू में ही स्पष्ट कर दिया जाये।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं---इसलिये नहीं कि इसमें बोर्ड के पुनर्निर्माण तथा बोर्ड की सदस्यता सम्बन्धी अनेक परिवर्तन किये गये हैं, परन्तु इसलिये कि इसमें बोर्ड के कार्य-क्षेत्र में विस्तार किये जाने की प्रस्थापना है। जब तक इसका क्षेत्राधिकार केवल कच्चे रेशम तक सीमित था तब तक इससे कोई विशेष आशायें नहीं थीं। परन्तु चूंकि अब इसके क्षेत्र के अन्तर्गत कपड़ा भी आ गया है, अतः बोर्ड के लिये समूचे रेशम उद्योग के क्षेत्र में सुधार करना सम्भव हो सकेगा।

हाल ही में मुझे जापान में कुछ कुटीर उद्योगों को देखने का अवसर मिला था। वहां मैं ने यह देखा कि कुटीर उद्योगों में विपणन संघों का बहुत महत्व है। आधुनिक काल में कोई कुटीर उद्योग विपणन संघों के अभाव में स्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकता। अतः यदि सरकार वास्तव में इस उद्योग का विकास करना चाहती है तो उसे विपणन की समस्या पर पूर्ण ध्यान देना होगा।

जापान में मैं ने जो दूसरी बात देखी वह यह थी कि वहां गवेषणा तथा प्रयोग किये जाने की समुचित व्यवस्था है। यदि आप उद्योग तथा उसके उत्पादों को नवीनतम मांगों के अनुसार नहीं ढालेंगे तो आप उन उत्पादों के विक्रय में वृद्धि होने की आशा भी नहीं कर सकेंगे : अतः यह कार्य या तो बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये या सरकार तथा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाये गये किसी अभिकरण द्वारा। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और रेशम उद्योग में विद्यमान इस कमी को पूरा करेगी।

मैं देखता हूं कि लोगों की यह ग़लत धारणा बन गई है कि आसाम रेशम-उत्पादक राज्य नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोग ऐसा इसलिये समझते हैं क्योंकि वे शहतूत के वृक्षों पर पाले गये कीड़ों से बनाये गये रेशम को ही रेशम समझते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि रेशम-उत्पादन की दृष्टि से भी भारत सरकार आसाम को कोई महत्व नहीं देती। परन्तु वास्तविकता यह है कि आसाम में साधारण लोग भी रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। वहां रेशम का उत्पादन बहुत अधिक है, परन्तु वह सारा का सारा बाज़ार में नहीं आता है। गत चार पांच वर्ष से आसाम सरकार इस उद्योग को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रही है और उसने लगभग चार आने प्रति शहतूत वृक्ष के लिये देने की घोषणा की है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। अब आसाम में शहतूत के पेड़ बहुत संख्या में लगाये जा रहे हैं। आसाम में इस उद्योग के विकास की बहुत गुंजाइश है। यदि आप वास्तव में इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं तो इसके उपाय हैं। यदि आप कुछ चाहते ही नहीं हैं तब तो कुछ नहीं हो सकता।

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

तीसरी बात स्पर्धा के सम्बन्ध में उठाई गई थी। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि आधुनिक युग में कोई भी शक्ति--चाहे वह सरकार ही क्यों न हो--स्पर्धा समाप्त नहीं कर सकती। यदि नक़ली रेशम आज रेशम से स्पर्धा कर रहा है तो आप इसे रोक नहीं सकते। कठिनाई तो केवल यह है कि नक़ली रेशम असली रेशम के नाम से बेचा जाता है। हमें इस बात को रोकना होगा। जो लोग रेशम ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें असली रेशम ही दिया जाये, उन के साथ धोखा न किया जाये। अतएव यदि आप सचमुच इस उद्योग को संरक्षण देना चाहते हैं तो आपको इस बात का उपाय करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति रेशम के नाम से नक़ली रेशम न बेच सके।

एक और बात, जिसकी ओर निर्देश किया गया, यह है कि खंड ४ के परन्तुक में यह कहा गया है कि सरकारी पदाधिकारी बोर्ड में अपने स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति का नामनिर्देशन कर सकता है। मेरे ख्याल में यह बात ग़लत है। इससे बोर्ड उस सदस्य के अनवरत अनुभव का लाभ उठाने से वंचित हो जायेगा। अतः सरकार को इस बात पर भी पुनः विचार करना चाहिये कि किसी एक व्यक्ति को नामनिर्देशन करने का अधिकार दिया जाना कहां तक वांछनीय है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मुझे इस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं बोलना है। मैं हमारे मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करता हूं। इस देश में आर्टीफ़िशियल सिल्क बाहर से जो मंगाई जाती है, अर्थात् नक़ली सिल्क जो मंगाई जाती है उस सम्बन्ध में कई एक सवाल आये और मैं ने मन्त्री महोदय से पूछा था कि इस के लिये मंत्री महोदय क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जो यह नक़ली सिल्क और नक़ली सिल्क का धागा यहां पर इतने ज़ोर से मंगाया जाता है उसका नतीजा यह होता है कि जैसे सब से ज्यादा घी के नाम से वैजीटेबुल (वनस्पति) घी बेचा जाता है, उसी तरह से हमारे मन्त्री महोदय अब सिल्क के नाम से नक़ली धागे की बनाई हुई चीज़, नक़ली चीज़ भेज देते हैं और वह नक़ली चीज़ रेशम के नाम से बिकती है। हमारे यहां भागलपुर में जो जुलाहे हैं वे सब वहां की निपजी हुई टसर बीनते थे और सारे भारतवर्ष में पहले भागलपुर की टसर मशहूर थी और वहां पर इतनी पैदा होती थी, इतने जुलाहे वहां पर इस का काम करते थे कि सारे देश में वह कुछ कुछ बिकती थी। आज यदि वहां जा कर देखा जाय तो केवल यह नक़ली धागा वैजीटेबुल की शक्ल में है। जो हमारी टसर थी वह कहां गयी, इस का कुछ पता नहीं है।

मैं ने मंत्री महोदय का ध्यान ख़ास करके भागलपुर की टसर की ओर दिलाया था कि वहां जो इतनी नक़ली सिल्क जा रही है, उसके लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं और यह जो बाहर से इतनी मंगाई जा रही है, इस के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध डालेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा था कि हां ज़रूर डालेंगे और वे ज़रूर यह चेष्टा करेंगे कि भागलपुर की जो टसर इंडस्ट्री है वह जल्द कामयाब हो और रिवाइव (पुनर्जीवित) हो, परन्तु जैसा कि हमारे सहगल भाई ने कहा कि इस बिल में टसर का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है, उसके लिये तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, जो व्यापार बिहार में इतने ज़ोर से चल रहा है उसका यहां नाम तक नहीं है, यद्यपि हमारे मंत्री महोदय ने हम को आश्वासन दिया था, यह ही हमारे करमरकर साहब ने,

कि वे ज़रूर इसके लिये चेष्टा करेंगे, परन्तु उन्होंने क्या किया, भला वह लोग क्यों ख़ामख्वाह लोगों को आश्वासन देते हैं और क्या वह उन आश्वासनों को याद भी रखते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : कब आश्वासन दिया था ?

श्री झुनझुनवाला : कई बार दिया था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आख़िर इस बोर्ड का मक़सद क्या है सिवाय इसके कि सिल्क इंडस्ट्री की तरक्क़ी करना। जैसा हमारे श्री चेटियार साहब ने पूछा क्या उनका मक़सद, बड़ी मिलें जो नक़ली सिल्क पैदा करती हैं उनकी तरक्क़ी करना है, या जैसा रा सिल्क हमारे देश में और गांवों में तैयार होता है, उसकी तरक्क़ी करना है ? चेटियार साहब का यह सजेश्शन कि इससे हर इंडस्ट्री को मदद नहीं देना चाहिये, मैं उस से सहमत हूं, मैं तो चाहता हूं कि हमारे काटेज इंडस्ट्री द्वारा जो सिल्क यहां पर बनती है, तैयार होती है उससे जो धागे होते हैं, उसी के लिये खास तौर पर यह बोर्ड क़ायम क़िया जाय और यदि हमारे मंत्री महोदय और बोर्ड उस दिशा में कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारे जो तुलसीदास भाई आदि बैठे हैं, वे तो स्वयं अपनी इंडस्ट्री अच्छी तरह से और योग्यता-पूर्वक ठीक से चला लेंगे। पर ग्राम उद्योग को सहायता देने वाला कोई नहीं रहेगा। आप तो बाहर से चीज़ें मंगा करके और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहां पर क़ायम करके हमारी जो काटेज इंडस्ट्री (कुटीर उद्योग) हैं उसको आप एकदम से ख़त्म कर रहे हैं, इसलिये मैं श्री चेटियार के इस सजेश्शन से पूर्णतया सहमत हूं कि यह जो बोर्ड है वह केवल काटेज इंडस्ट्री ही के लिये रहना चाहिये और इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना चाहिये और जितना भी सरकार इसमें इस काम के लिये रुपया दे, वह उसी काम में लगाना चाहिये। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि भागलपुर में जहां कि गांवों में पहले इतनी बड़ी संख्या में जुलाहे काम करते थे, और कितनी सिल्क वहां पर पैदा होती थी, आज वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं इस अवसर पर कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करें और अब से प्रण कर लें कि भागलपुर की बनी हुई सिल्क ही वह पहनेंगे।

श्री देवगम (चैबस्सा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं जिस क्षेत्र से टसर और रा (कच्ची) सिल्क भागलपुर को आती है। अभी अभी हमारे लायक दोस्त कह चुके हैं कि भागलपुर की जो सिल्क इंडस्ट्री है वह बिल्कुल नष्ट प्रायः हो रही है। सिंहभूम से भागलपुर में आ रही है रा सिल्क, यहां सिल्क और टसर पालने के पौधे हैं और टसर आसनगाछ वृक्ष में होती है, लेटिन भाषा में उस का नाम Terminalia Tomentasa (टरमीनेलिया टोमेनटेसा) है। इस के वृक्ष बिहार और उड़ीसा में बहुत संख्या में पाये जाते हैं और यहां के आदिवासियों का यही मुख्य उद्यम रहा है टसर को पालने का। यहां सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है यह रा टसर का बहुत बड़ा बाज़ार है और यहां से बहुत सी टसर बांकुडा और भागलपुर को भेजी जाती है। लेकिन आज वहां पर टसर का काम नहीं होता। केवल रा सिल्क वहां पर पैदा होता है। मेरा सजश्शन (सुझाव) यह है कि सिंहभूम में ही क्यों नहीं इस का केन्द्र बना दिया जाय। वहां के लोग इस का सूत निकालना, कपड़ा बुनना यह सब सीखना चाहते हैं। सरकार इस बात को समझती थी, इस कारण वहां पर दो जगह उस ने टसर फ़ार्म बनाये। एक क़रीब १९०८ में बनाया था, लेकिन अब इस का उपयोग नहीं हो रहा है।

[श्री देवगम]

सन् १९०८ में रोपे हुए आसन गाछ बहुत बड़े हो गये हैं और टसर को पालने लायक बन गये हैं। लेकिन सरकार ने उस काम को छोड़ दिया है, उस स्थान पर बीस, तीस एकड़ में आसन के गाछ लगाये गये थे, अब यह ऐरिया गौशाला को दिया गया और इतने खर्चे से रोपे गये वृक्ष नष्ट हो रहे हैं और जिस उद्देश्य से यह टसर फ़ार्म खोले गये थे, उस काम में अब नहीं आ रहे हैं। सरकार ने इस टसर फ़ार्म को छोड़कर एक दूसरी जगह पर टसर फ़ार्म बनाये और जिस में पन्द्रह, बीस वर्ष की उम्र के आसन के वृक्ष हो गये हैं। दोनों जगह पैडी लैंड (जमीन) को एक्वायर (अर्जित) कर के यह टसर फ़ार्म बना दिये गये हैं, लेकिन उस से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस सम्बन्ध में आवश्यक हिदायतें जारी करे ताकि जिस मतलब से ये टसर फ़ार्म खोले गये थे, उन का उपयोग क्यों न किया जाय और उस में टसर क्यों नहीं पालते हैं ताकि लोग वहां जंगलों में जाकर जहां जहां आसम गाछ है वहां वहां टसर की खेती करते हैं हमारे वह बहुत पुराने आसन गाछ सूख रहे हैं और सूख कर मर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आसन गाछ के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय, आसन गाछ के पौधे जल्दी ही दस, पन्द्रह वर्ष में टसर पालने लायक हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस से तीन लाभ होंगे। एक तो सायल इरोज़न (भूमि का कटाव) जो होता है वह टसर की गाछ लगाने से रोका जा सकता है। टसर के गाछ काटे जाते हैं, डाल काटे जाते हैं जब जब टसर को निकालते हैं। इसलिये जो टसर को पैदा करने वाले लोग हैं उनको आसानी से जाड़े में ईंधन मिल जाता है और सिल्क की भी पैदावार बढ़ती है। इस तरह से तीन काम होते हैं। स्वायल इरोज़न बच जाता है, आसानी से फ्यूल (ईंधन) मिल जाता है और टसर भी मिलता है।

सिल्क बोर्ड के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि लेबर (श्रमिकों) का भी रिप्रेजेन्टेशन हो और साथ ही साथ ट्रेड (व्यापारियों) का भी। व्यवसाय करने वाले लोगों को सिल्क बोर्ड में रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये और उन के साथ मैं प्रोड्यूसर्स को, अर्थात् जो उत्पन्न करने वाले लोग हैं उन को भी वहां पर यथोचित् रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये।

श्री जांगड़े (बिलासपुर,—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज सरकार जो यह विधेयक सामने लाई है उस का मैं स्वागत करता हूं। सरकार के इस विधेयक के लाने से मैं यह अर्थ निकालता हूं कि शायद केन्द्रीय सरकार गृह उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है और यदि इसी उद्देश्य से उस ने इस संशोधन विधेयक को रक्खा है तो हमारे देश के हजारों, हजारों नहीं, लाखों लोगों की बेकारी सहज में दूर हो सकती है। किन्तु दुःख इस बात का है कि आज जिन लाखों लोगों का व्यवसाय चलता था और जिस व्यवसाय के सहारे वह अपने बालबच्चों का उदरपोषण करते थे उन का रोजगार जाता रहा है। मध्य प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, और खास कर पूर्वी ज़िलों में टसर, जिसे हम अपनी भाषा में कोसा कहा करते हैं, उस कोसा के व्यवसाय पर पचास, साठ हजार आदमी काम करते थे। जिस व्यवसाय से लाखों गज कपड़े तैयार होते थे, शादी के समय पर तथा और भी अनेक अवसरों पर लोग कोसा के कपड़े पहिनते थे, और एक कोसा का कपड़ा तैयार हो जाने पर वह पांच छः साल चलता था, वही व्यवसाय हमारा आज गिर गया है और कोसा का कपड़ा देखने को नहीं मिलता है। जिस प्रकार से घी के बदले वनस्पति पर लोगों का आकर्षण

बढ़ गया है, घी के बदले वनस्पति पर सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है क्योंकि सरकार को उस से टैक्स और इन्कम टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा मिल जाता है, उसी प्रकार से सरकार का ध्यान, यद्यपि उस ने सिल्क बोर्ड तैयार कर लिया है, रेयन की ओर और तमाम भड़कीले रेशम की ओर चला गया है। उस की ओर से उन का ध्यान नहीं हटता। यदि हटता तो भड़कीला रेशम और रेयन सूत हमारे देश में क्यों आता ? उन के आने से हमारे देश का व्यवसाय गिर गया है क्योंकि वह कपड़ा भड़कीला होता है और जो कपड़ा भड़कीला होता है वह अधिकतर नकली होता है। नकली होने से वह सहज ही सस्ता होगा क्योंकि वह यंत्र से बनता है और बड़े पैमाने पर बनता है। इस लिये हमारी ईमानदारी और परिश्रम से तैयार की हुई चीज़ जो है वह मंहगी होगी। और हमारा उद्योग-धन्धा गिर जाता है। हमारे देश में, आसाम में, बिहार में, भागलपुर बनारस, मध्य प्रदेश में टसर, अंडी, मूंगा, बनारसी, जरी आदि नामों से सिल्क बनता था। बुरहानपुर में जरी का कपड़ा बनता था परन्तु आज वह सब खत्म हो गया है। उसे पुनर्जीवित करने के लिये यदि सिल्क बोर्ड ने कदम उठाया तो उसे बहुत हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। उसे मार्केटिंग के लिये, यानी बाज़ार में उसे किस तरीके से बेचा जाय ताकि अभी जो होड़बाज़ी चल रही है, जो स्पर्धा चल रही है, उस स्पर्धा में वह टिक सके और टिक कर अपने गृह उद्योग को पुनर्जीवित कर सके, पुनर्जीवित ही नहीं, बल्कि उसे आगे व्यवहार में ला सके। इस तरह से काम करना बहुत हिम्मत की बात है। ऐसा किया गया तभी केन्द्रीय सरकार और उस के साथ सहयोग देने वाली राज्य सरकारें सफल हो सकती हैं।

जो कोसा का कपड़ा तैयार होता था और जिन वृक्षों पर कोसा के वृक्ष लगाये जाते थे वे प्रायः नष्ट हो चुके और जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उन वृक्षों को नष्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उत्तर में चाइबांसा एक केन्द्र है जहां से टसर का सूत हजारों क्या लाखों लोग लेते हैं और अपने अपने गांव में जा कर कपड़ा तैयार करते हैं और कपड़ा बेचते हैं। वहां पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से गत वर्ष लाख के कीड़ों की ब्रीडिंग के लिये नये अनुसंधान करने के प्रयत्न किये गये हैं, उसी प्रकार यदि सरकार ने किया होता और हम कोसा के कीड़ों के बच्चों को, उस की ब्रीडिंग को आगे बढ़ाते तो हमारा कोसा का जो व्यवसाय है वह कभी ढीला न होता। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ऐसा अनुसंधान करेगी या खोज़ करेगी और इस तरह का उद्योग करेगी कि कोसा के कीड़ों की ब्रीडिंग बढ़े, उस का उत्पादन बढ़े और जिन वृक्षों प वह ज्यादा बढ़ता है, जिन वृक्षों पर ज्यादा उत्पादन होता है उन वृक्षों को आगे बढ़ाने और उन को लगाने का सरकार प्रयत्न करेगी।

सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में जोर दिया गया है, परन्तु गृह उद्योगों के पास सहकारी संस्थायें हैं कहां ? बहुत ही कम हैं, बड़े बड़े पैमाने पर जो उद्योग चलते हैं उन के पास अनुसंधान के लिये पैसे हैं, कोआपरेटिव सोसायटी के लिये पैसे हैं, इंटर्नल और एक्स्टर्नल मार्केट के लिये उन के पास पैसे हैं, चिकने काग़ज़ पर उन के ऐडवर्टाइजमेन्ट छपते हैं, परन्तु खादी व्यवसायों के पास पैसे कहां। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो निजी उद्योग हैं, उन की जो सहकारी संस्थायें हैं उन को और निजी व्यक्तियों को सरकार सब्सिडी दे, उन की सहायता करे। अभी हाल में प्रति रुपया पीछे ३ आना सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिया है, ताकि बाज़ार में उस की खपत हो सके, इसी धारणा से उस ने तीन आना प्रति रुपया कमीशन दिया है,

[श्री जांगड़े]

यदि यह कमिशन टसर या कोसा में मिल सके, मैं मिल्स में या यंत्र से बनने वाले कोसा या सिल्क की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो सिल्क गृह उद्योग में यानी जो हैंड वीवेन (हाथ बुनाई का) और हैंड स्पन (हाथ कताई का) हो, जिसे आप खादी कह सकते हैं, यदि कोसा को भी खादी के आधार पर सरकार प्रति रुपया तीन आने और हो सके तो चार और पांच आने कमिशन देने लगे तो भी इस उद्योग का बहुत लाभ हो सकता है ।

अभी सिल्क बोर्ड में मैं ने देखा कि मैसूर से चार सदस्य लिये गये हैं, बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, बम्बई, बिहार, आसाम इत्यादि हर एक प्रान्त से एक एक सदस्य लिया गया है । हमारे मध्य प्रदेश में नागपुर की तरफ़ हजारों कोष्ठी हैं, मध्य प्रदेश के ज़िलों में रायपुर दुर्ग, और विलासपुर के ज़िलों में मैं समझता हूं कि सवा लाख लोग बसते हैं जिन को कोष्ठी कहते हैं कोसा के नाम पर उन को कोष्ठी कहा जाता है, उन की सवा लाख संख्या है लेकिन फिर भी उन का एक ही सदस्य लिया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने गृह उद्योग के लिये कुछ अधिक नहीं किया है इसी प्रकार से आप भी समझते होंगे कि मध्य प्रदेश में टसर का उद्योग बहुत कम है, कोसा का उद्योग बहुत कम होता है, केवल जीवित रह गया है, कुछ दिनों में मरने वाला है, इसलिये थोड़ा सा पानी उसे दे दो । इस लिये मध्य प्रदेश से आप केवल एक सदस्य लेते हैं । मैं यह अनुरोध करूंगा कि सिल्क बोर्ड में मध्य-प्रदेश से कम से कम दो सदस्य लेवें ।

मेरे पूर्व एक सदस्य ने कहा कि टसर या कोसा और रेशम तो केवल ऊंचे घराने के लोग ही पहिन सकते हैं, बाकी नहीं पहिन सकते हैं और उन की आदत, उन के टेस्ट, उन की रुचि के अनसार हमें भी टसर और रेशम का डिजाइन, उन का रंग और उन का आकार बदलना होगा । इसके साथ मैं यह भी कहता हूं कि रेशम या टसर के उत्पादन में सिल्क बोर्ड को इस को ध्यान में रखना चाहिये कि बाजार में लोगों की, खरीदने वालों की या ग्राहकों की रुचि किस कपड़े में है, वह कौन सा कपड़ा ज्यादा पहिनते हैं । इस को देखकर हमें वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिये ।

यदि हो सके तो छोटे पैमाने पर यंत्रों का उपयोग किया जाय, ऐसे पैमाने पर जिस में शोषण न हो, जिस में यंत्र लगाने से केवल काम करने में सहूलियत हो, जिस में किसी को काम करने के लिए रखने की आवश्यकता न होती हो । बड़े पैमाने का उद्योग इसे कभी नहीं बनाना चाहिए । यदि आपने यंत्र लगाये और इस को बड़े पैमाने का उद्योग बना दिया तो यह लाखों लोगों की बेकारी का कारण बनेगा । यदि आपने बड़े पैमाने पर लखपतियों और करोड़ पतियों के हाथ में इस उद्योग को दे दिया तो समझिये कि लाखों आदमियों का मरना हो जायगा । यदि ऐसा हुआ तो बेकारी बढ़ती जायगी और असंतोष की भावना बढ़ती जायगी । इसलिए मैं कहूंगा कि इसे गृहउद्योग ही बनाया जाय और यदि यंत्रों का उपयोग किया जाय तो वहीं तक किया जाय कि उस में शोषण न हो और दूसरों को नौकर रखने की गुंजाइश न हो ।

इस के अतिरिक्त, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस की बिक्री पर कन्सेशन दिया जाये । इस के लिए निजी आदमियों को सहायता दी जाय, सहकारी समितियां बनायी जायें, जिन झाड़ों में यह पैदा होता है उन को पैदा किया जाय और इस के लिए मारकेटिंग का सुभीता दिया जाये । मुझे नहीं मालूम कि खादी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे कुछ कनसेशन देती है या नहीं, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि रेशम या टसर

को, जिस को हम खादी भी कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे से कनसेशन मिलना चाहिए ताकि बाजार में इस की क़ीमत कम रहे । मेरा सुझाव है कि रेलवे मिनिस्ट्री को चाहिए कि इस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज कम लगाये ताकि उस की क़ीमत बाजार में बहुत कम हो।

श्री एन० राचय्या (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं देश के रेशम उद्योग के हित में इस विधेयक का स्वागत करता हूं । रेशम उद्योग देश का एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है और प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्राप्त करने का पात्र है । विशेष रूप से मैसूर राज्य में शहतूत उत्पादकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उन की वे कठिनाइयां दूर होनी चाहियें । युद्ध काल में तो यह उद्योग बहुत फलफूल रहा था, परन्तु युद्ध के बाद इस की दशा बिगड़ती ही गई । अतः इस समय इस उद्योग को सहायता दी ही जानी चाहिये । इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को इस उद्योग को अपने नियन्त्रण में लेना ही चाहिये । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस का नियन्त्रण अपने हाथ में लिया जाना अनावश्यक है ।

रेशम उद्योग वास्तव में जन साधारण का उद्योग है । अतः देश के जन साधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत आवश्यक है ।

जहां तक "कच्चा" ("रा") शब्द का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस शब्द का लोप होना चाहिये । रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देते समय बोर्ड को देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के रेशम पर ध्यान देना चाहिये । देशी रेशम का विकास करने के लिये विदेशी रेशम का आयात सीमित किया जाना चाहिये । हमारे रेशम उद्योग पर संकट आने का मुख्य कारण यही है कि बाहर से बहुत मात्रा में रेशम मंगाया जाता है । जैसा कि श्री गुरुपादस्वामी ने बतलाया, इस उद्योग पर कोई बीस या तीस लाख व्यक्ति निर्भर हैं । अतः इस संकट काल में उन लोगों को संरक्षण दिया जाना चाहिये । यदि सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन देगी तो इस से बेरोज़गारी की समस्या का भी हल निकल आयेगा । यदि इस उद्योग को संरक्षण नहीं दिया गया तो ये सब लोग बेरोज़गार लोगों की संख्या में वृद्धि ही करेंगे और इस का परिणाम यह होगा कि देश की आर्थिक दशा और भी बिगड़ जायेगी ।

बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि चाहे वह सरकारी व्यक्ति हो या असरकारी, परन्तु वह एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिये जिसे उद्योग का काफ़ी अनुभव हो ।

मैसूर राज्य देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग ७०–८० प्रतिशत भाग उगाता है; परन्तु बोर्ड में उस का प्रतिनिधित्व बहुत कम है । क्योंकि मैसूर इतना अधिक रेशम उत्पन्न करता है, अतः उसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

जहां तक इस उपकर द्वारा वसूल की गई राशि के भारत की संचित निधि में जमा किये जाने का सम्बन्ध है, हम देश के साधारण राजस्व के हितों में इस का स्वागत करते हैं ।

अन्त में मैं श्री गुरुपादस्वामी द्वारा सरकार के विरुद्ध की गई आलोचना का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार इस उद्योग को सहायता देने के लिये बहुत उत्सुक है । मैसूर की राज्य सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्री, जो रेशम उद्योग के भी भार-साधक हैं, इस उद्योग में अत्यधिक अभिरुचि प्रदर्शित कर रहे हैं । श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि सरकार समस्याओं का हल नहीं निकाल रही है । मैं कहता हूं कि यह संशोधक विधेयक समस्याओं का हल निकालने के प्रयोजनार्थ ही तो प्रस्तुत किया गया है । मैं जानता हूं कि राज्य सरकार

[श्री एन० राचय्या]

तथा केन्द्रीय सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन देने और उसे संरक्षण देने के लिये बहुत उत्सुक है। इन परिस्थितियों में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस—मध्य) इस बिल का हमारे क्षेत्र काशी और बनारस में लोग सब से अधिक स्वागत करेंगे। उस का कारण यह है कि इस बिल का स्कोप पहले बहुत सीमित था, जैसा कि १९४८ के ऐक्ट में है कि इस बोर्ड का काम सिर्फ रा सिल्क (कच्चे रेशम) की तरक्क़ी करने के सम्बन्ध में था। लेकिन अब "रा" शब्द को ड्राप कर (हटा) देने का अर्थ यह हुआ कि सिल्क इंडस्ट्री एज़ ए होल (समूचे रेशम उद्योग) की तरक्क़ी की तरफ़ इस बोर्ड का ध्यान जायगा। जहां तक कि सिल्क का ताल्लुक़ है, दुनिया में जापान का सिल्क सब से अच्छा होता है। उस के बाद कश्मीर का सिल्क अच्छा होता है। फिर इटली का सिल्क अच्छा होता है और उस के बाद मैसूर का। जहां तक कि हमारे आसाम के भाइयों का सम्बन्ध है और बिहार के भाइयों का सम्बन्ध है उस सिल्क का प्रयोग हमारे काशी सिल्क में या काशी वस्त्र में नहीं होता। इस सदन को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि बनरस सिल्क जो बनता है, उस में ८० फी सदी फारन सिल्क यूज होता (विदेशी रेशम उपयोग में लाया जाता) है, क्योंकि बनारसी सिल्क की खपत केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं होती बल्कि बनारसी वस्त्र अब इस समय हिन्दुस्तान से बाहर भी काफी जाता है। ऐसी अवस्था में फ़ारन मारकेट से काम्पीट करने के लिये जब तक कि अच्छे सिल्क का हम प्रयोग नहीं करेंगे हम विदेशी मारकेट को केप्चर (हस्तगत) नहीं कर सकते। ख़ास कर ऐसी अवस्था में जब कि चीन कोरिया के युद्ध में संलग्न था और काशी सिल्क का अच्छा काम्पीटीटर था, हम ने समय का लाभ उठा कर कुछ विदेशी मारकेट को केप्चर कर लिया। इस वर्ष क़रीब ७५ लाख रुपये का वस्त्र हिन्दुस्तान के बाहर भेजा गया।

हम संरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मैसूर या कश्मीर के सिल्क को संरक्षण दिया जाय। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि एक इंडस्ट्री को मार कर के दूसरी इंडस्ट्री पनपाई जाय। सन् १९३७ से ले कर सन् १९५२ तक मैसूर के सिल्क या हिन्दुस्तानी सिल्क को संरक्षण दिया गया। विदेशी सिल्क पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी। देशी को हर प्रकार से हम ने प्रोत्साहित करने का अवसर दिया। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि कश्मीर या मैसूर हमारे बनारस की डिमांड (आवश्यकता) को मीट (पूरी) नहीं कर सके। ऐसी अवस्था में सिल्क बोर्ड ने जो यह क़दम उठाया है, हम अपने बनारस की तरफ़ से और ईस्टर्न यू० पी० की तरफ़ से उस का स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि सिल्क बोर्ड इस बात का प्रयत्न करेगा कि हमारा बनारसी वस्त्र और काशी सिल्क जो कि इस वक्त फारन मारकेट में काफ़ी तादाद में जा रहा है, उस की और तरक्क़ी हो।

साथ ही साथ एक बात पर हमें और ध्यान देना है। बनारसी वस्त्र की इधर तीन चार वर्षों से बहुत कुछ टैंडेंसी डाउनवर्ड (मंदी की ओर प्रवृत्ति) रही है। उस डाउनवर्ड टैंडेंसी का कारण यह था कि जो जापानी सिल्क हमारे यहां आता था उस पर क़रीब १०० रुपये पर ७० रुपये ड्यूटी हो जाती थी, तो आप समझ सकते हैं कि इस का कितना असर पड़ता है। इस का एक परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी लोगों ने अपने यहां इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इस वास्ते बनारस में या हमारे ईस्टर्न यू० पी० के बनारसी वस्त्र का

कारोबार करने वाले वहां पाकिस्तान में जा कर आबाद हो गये । इस तरह वहां हमारा एक काम्पीटीटर पैदा हो गया । आप को यह भी सुन कर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में १०० रुपये पर केवल २५ रुपये ड्यूटी होती है । जब कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में क़रीब १०० रुपये के जापानी रेशम पर ७० रुपये सैकड़ा ड्यूटी लगती है । लेकिन फिर भी हम काम्पीट करने के वास्ते तैयार हैं, क्योंकि जहां तक, बनारसी वस्त्र का सम्बन्ध है, हमारे यहां यन्त्र से बनारसी काम नहीं होता । वह एक होम इंडस्ट्री है, करघे से चलती है । मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में यह सबसे बड़ी होम इंडस्ट्री है । इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के वास्ते ठोस क़दम उठाने चाहियें ।

सिल्क बोर्ड के सम्बन्ध में कामर्स और इंडस्ट्री विभाग ने जो आज यह बिल उपस्थित किया है इन को चाहिये था कि दो वर्ष पहले वे इस बिल को ले आते । उस दशा में शायद ज्यादा उपकार होता और जो बनारसी मारकेट हम विदेश में खो चुके हैं शायद, वह मारकेट हम से नहीं छिनता । हमारा सुझाव है कि इस में दो बातों का और संशोधन होना चाहिये जिस प्रकार से आप ने मैसूर को रिप्रजैंटेशन दिया है, कश्मीर को दिया है, उसी प्रकार आप को बनारसी इंडस्ट्री वालों के भी दो आदमी इस में लेने चाहियें । मैंने एक अमैंडमैंट दिया है । उस में कहा है कि उत्तर प्रदेश से दो आदमी इस में शामिल किये जायं । मेरा यह सुझाव है कि एक तो बनारसी वस्त्र की तरफ़ से लिया जाय, जिन की तादाद कि हमारे बनारस में क़रीब दो लाख होगी, और दूसरा साथ ही साथ कोई जरी वालों में से लिया जाय, क्योंकि जरी और सिल्क, इन्हीं दो चीज़ों से बनारसी सिल्क का उत्पादन होता है । एक जरी वालों से और एक वस्त्र की तरफ़ से आप को रिप्रैजैंटेटिव और लेना चाहिये । यह अमैंडमैंट मैं ने आप के सामने रखा है और हम को उम्मीद है कि आप इस अमैंडमैंट को स्वीकार करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मुझे विधेयक में यह देख कर आश्चर्य होता है कि उड़ीसा को रेशम बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । उड़ीसा में टसर तय्यार किया जाता है । मैं नहीं समझ पाता कि टसर को रेशम में क्यों नहीं सम्मिलित किया जाये । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह टसर के मामले पर विचार करें और उसे रेशम से अलग न रखें, जैसा कि इस विधेयक में करने का विचार है । इस मामले में कई दावेदार हैं । मध्य प्रदेश एक और स्थान की मांग कर रहा है, बिहार भी और स्थान मांग रहा है । माननीय मंत्री एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं जिस से कि उड़ीसा को उड़ीसा सरकार के नामनिर्देशन से प्रतिनिधित्व मिल सके । उड़ीसा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा अन्य राज्यों में भी टसर उद्योग है । मुझे आशा है कि टसर उद्योग को प्रतिनिधित्व देने के लिये एक और संशोधन प्रस्तुत किया जायगा । मुझे आशंका है कि इस विधेयक में संशोधन करने पर भी रेशम उद्योग कम हो जायगा । खादी उद्योग के समान इस रेशम उद्योग को संरक्षण न देने से इसे नुकसान होगा । हम कच्चे रेशम को हटा कर नकली रेशम को सम्मिलित कर रहे हैं, और नकली चीज़ें भी रखी जा रही हैं जिस से इस घरेलू उद्योग को नुकसान होगा । सरकार को इसे खादी तथा हथ करघे के समान ही संरक्षण देना चाहिये । मेरी यह प्रार्थना है कि उड़ीसा को इस में सम्मिलित करना चाहिये और सरकार को वे उपाय करने चाहियें जिस से यह उद्योग खत्म न हो सके ।

श्री करमरकर : इस चर्चा में इस उद्योग की सभी बातों पर विचार किया गया । मैं यह बता दूं कि इस से हमें इस उद्योग की विभिन्न कठिनाइयों का तथा उन कठिनाइयों

[श्री करमरकर]

को दूर करने के तरीकों के पता लगने में सहायता मिली ।

जो विचार यहां प्रकट किये गये उनमें मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि पूरा सदन इस बात के लिये उत्सुक है कि इस उद्योग को उचित प्रकार से संगठित किया जाय और इस उद्योग के विकास के लिये सरकार यथा-सम्भव सब कुछ करने के लिये तय्यार है । मैं ने उन सब विचारों को मिलाने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि उन्हें चार शीर्षों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । सर्वप्रथम, इस समस्या की कठिनाइयां हैं । मुझे प्रसन्नता है कि सदन इस बात को समझता है कि इस उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इस उद्योग पर विचार करते समय पहिले शहतूत के पेड़ उगाने वाले आते हैं और इस के साथ ही शहतूत की खेती का विकास का प्रश्न आता है जिस पर न केवल इस के विस्तार पर विचार करना है अपितु इस के वृक्षों की अधिक पैदावार पर भी विचार करना है । फिर रेशम के कीड़े पालने वाले आते हैं । इस में भी विदेशी बीजों के आयात करने की और पहाड़ी स्थानों में उन के पालने की कठिनाई है, फिर उन्हें रेशम के कीड़े पालने वालों के पास ले जाने की कठिनाई है । फिर उचित अवस्था पर कोयों को बाजार में बेचने का प्रश्न है । इस के बाद इस के धागे उतारने की कठिनाई है । चर्खे से धागे उतारने वालों तथा रेशम के कोये से धागे को अटरने पर उतारने वालों के बीच हमें क्या करना है ? कच्चे रेशम के मामले में मुख्य कमी धागे का मोटा पतला होना है । जापान ने अब तक इस कारण उन्नति की है कि उस ने रेशम के धागे लपेटने के अटेरनों का विकास किया है । फिर चर्खा अटेरनों की समस्या आती है । बंगलौर सभा में मैं ने चर्खा अटेरनों तथा रेशम लपेटने के अटेरनों के बीच पहिला संघर्ष देखा । फिर इस के बाद जुलाहों का प्रश्न आता है । पूरी समस्या में इस प्रकार की कठिनाइयां हैं ।

जैसा श्री चौधरी ने कहा, हमारी मुख्य कठिनाई उत्पादन सम्बन्धी इतनी अधिक नहीं है । इस उद्योग के हमारे कारीगर तथा कम कर विश्व के सब से अधिक कार्य कुशल कारीगरों में से हैं । रेशम उद्योग की मुख्य कठिनाई इस के विभिन्न तरीकों की उचित प्रकार से संगठन करने की है । इस मामले में शहतूत के वृक्षों की खेती, रेशम के कीड़ों के अच्छी प्रकार से पालने तथा रेशम के कीड़ों के अच्छे बीज़ मुहय्या करने के लिये अनुसन्धान अत्यावश्यक है । इसी प्रकार हमारे अपर्य्याप्त प्रयत्नों के बारे में भी कहा गया है । हम ने यह संशोधक विधेयक इसी कारण प्रस्तुत किया कि हम ह समझा कि हमारे प्रयत्न पर्य्याप्त नहीं थे ।

यह एक साधारण समस्या नहीं है । कच्चे रेशम के उद्योग में कई पार्टियां हैं ; इस में राज्य सरकारें हैं जो इसे अपना उद्योग क्षेत्र समझती हैं । हम राज्य सरकारों की योजना के कार्य संचालन के विस्तार में नहीं जा सकते । देश के कच्चे रेशम का ७० प्रतिशत उत्पादन मैसूर में होता है । इस सम्बन्ध में अन्य राज्य सरकारें भी कार्य कर रही हैं । हमारी एक कठिनाई यह है कि पिछले चार पांच वर्षों में हमारे पास धन नहीं था और यही कठिनाई अभी तक रही है । श्री चौधरी ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया कि हमें अपनी विकास योज़नाओं के संचालन के लिये संसाधनों को बढ़ाना चाहिये । मैं उन से पूर्ण रूप से सहमत हूं । उन्हें यह जान कर प्रसन्नता होगी कि चार लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निर्धारित एक करोड़ रुपये में से हम ने ग्यारह लाख रुपये और प्राप्त कर लिये

हैं और यह रेशम बोर्ड, जैसा कि यह हाल ही में बनाया गया था, राज्यों की विकास योजना के कार्य में अधिक सहायता दे सका है।

मुझे मालूम हुआ है कि मैसूर सरकार बड़े पैमाने पर एक अनुसन्धान केन्द्र खोलने का विचार कर रही है। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें भी अनुसन्धान केन्द्र खोलने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि अनुसन्धान में विकास करने के सम्बन्ध में सरकार प्राप्त धन में से सहायता देने में कंजूसी से काम नहीं लेगी। इस से पहिले तो अनुसन्धान को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे इस उद्योग से सम्बद्ध विभिन्न पार्टियों के सहयोग प्राप्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

जैसा कि सदन को मालूम है कि कच्चे रेशम के उत्पादक पूरे भारत में फैले हुए हैं और उन की सहायता करना कठिन है। एक संघ को प्रतिनिधित्व देने के विषय में यही कहा गया था। मुझे प्रसन्नता होगी यदि सभी कच्चे रेशम के उत्पादक उचित प्रकार से बनाये गये संघों में मिल जायें जिस से इस उद्योग को आर्थिक सहायता की अपेक्षा भी अधिक सहायता मिल सकेगी। अन्त में, कमकरों की समस्या को सुलझाना है और जिन कठिनाइयों का सरकार को सामना करना पड़ रहा है उन के सम्बन्ध में हमें उचित वातावरण पैदा करना पड़ेगा। यह एक ऐसा उद्योग है जिस के लिये हमें अपना रास्ता अपने आप बनाना पड़ेगा।

हम ने वर्ष १९४८ में एक रेशम बोर्ड बनाया, चूंकि हम ने यह समझा कि यह सरकार के नियंत्रण से यथा सम्भव अधिक बाहर होगा किन्तु बाद में हम ने यह समझा कि यह कार्य उचित प्रकार से किया जाना चाहिये और यह सरकार के नियंत्रण के अधीन ही करना पड़ेगा।

जहां तक जापान में कच्चे रेशम के उद्योग के विकास का सम्बन्ध है, वहां एक लड़की दस से बीस बेसिन तक खत्म कर लेती है जब कि अभी हम ने जापान से लपेटने वाली मशीनें मंगवाना आरम्भ किया है। हम ने उन्हें भिन्न भिन्न केन्द्रों में लगाया और उन्हें बड़ा लाभ दायक पाया। जब तक वे मशीनें यहां आईं जापानियों ने बेलन के आकार की मशीनें बनाईं जिन से वही लड़की और अधिक काम कर सकती है। इस काम के लिये न केवल अच्छे अनुसन्धान केन्द्र के स्थापित करने की आवश्यकता है अपितु जैसा कि मैं ने कहा, इस के लिये ऐसी जलवायु पैदा करना भी आवश्यक है जिस में कमकर इन से काम कर सकें। यह एक ऐसा मामला है जिस के सभी कार्यों के लिये अनुदानों के लिये मांगों के अन्तर्गत आय-व्ययक की चर्चा के दौरान में प्रतिवर्ष इस सदन की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस के कार्य संचालन के मामले में हमें राज्यों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। मैं इस बात को भी समझता हूं कि विभिन्न स्वत्वों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उत्पादकों, मज़दूरों तथा विभिन्न क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना है। अब उन का प्रतिनिधित्व भी होता है। किन्तु यह सब एक बात से प्रतिबन्धित है अर्थात् हम एक ऐसा निकाय बनाना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि इस सम्बन्ध में कार्य कर सकेगा और बाद में सदन इन सब कार्यों पर अपना मत प्रकट कर सकेगा क्योंकि ये सब बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत होंगी।

मुझे खेद है कि मैं इस बात को भली भांति नहीं समझ पाया कि इस बोर्ड में बहुत से अधिकारी होंगे। सम्भव है कि इस में गैर-सरकारी अधिकारियों, की अपेक्षा सरकारी अधिकारी अधिक हों। किन्तु मैं नहीं समझता कि इस से कोई रुकावट पैदा होगी। यदि इस में अच्छे प्रकार के अधिकारी हों तो इस से हमें बड़ी सहायता मिल सकती है। यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर इतनी अधिक चर्चा नहीं होनी चाहियें, किन्तु इसे तो कार्य रूप में किया जाना है।

[श्री करमरकर]

पुराने रेशम बोर्ड तथा उस के कार्यों के बारे में कुछ कहा गया था; कार्य सम्बन्धी इस की बातें सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध दो रिपोर्टों में दी गई हैं। उस बोर्ड ने कोई बहुत अधिक काम नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि उस का कार्य स्थिति की आवश्यकता के अनुरूप था, किन्तु उस के पास धन कम था फिर भी उस ने रेशम उद्योग के विकास के लिये आवश्यक कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य भी किया। इस के लिये और भी कार्य किया जाना है इसीलिये हम ने यह संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया है। जब से यह बोर्ड बना है और कपड़ा आयुक्त इस के उप प्रधान नियुक्त हुए, इस ने काफी काम किया और हमें आशा है कि यह और अधिक प्रगति कर सकेगा। जो कुछ काम किया गया है उस पर अधिक बोल कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। इस ने रचनात्मक कार्य किया किन्तु कुछ गलतियां भी हुईं। हम पिछली बातों से स्वयं संतुष्ट नहीं हैं इस कारण हम इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्य करना चाहते हैं।

बोर्ड की रचना के विषय में भी एक बात कही गई थी। जब एक इस प्रकार का बोर्ड होगा और यदि आप उस में विभिन्न स्वत्वों को ठीक ठीक प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी प्रयत्न असफल हो जायेंगे। आप इस बात का ठीक हिसाब नहीं लगा सकते कि कितना प्रतिनिधित्व दिया जाय और किस प्रकार से दिया जाय। दूसरे सदन की एक चर्चा के दौरान में हम ने इस बात का हिसाब लगाया कि सम्बन्धित सदनों का कितना प्रतिनिधित्व हो। यहां यह प्रस्ताव था कि तीन और एक के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो किन्तु यदि यथार्थ अनुपात रखा जाय तो यह २$\frac{1}{3}$ और एक के हिसाब से अनुपात बनेगा। इस प्रकार विभक्त करना किस प्रकार सम्भव है? यदि आप गणित के अनुसार ठीक हिसाब लगा कर चलें तो कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि संशोधक विधेयक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रादेशिक या विभाग के आधार पर प्रतिनिधित्व रखने से भी हम गलती कर सकते हैं। केवल उत्पादकों के प्रतिनिधियों को रखने की बात से भी गलती होगी, क्योंकि रेशम उद्योग में सभी स्वत्व एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। हम जुलाहों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते और यदि आप ऐसा करें तो कच्चे रेशम के उत्पादक अपना माल जुलाहों को नहीं बेच सकते। पिछले दो या तीन वर्ष में यही हुआ। इस चर्चा में हम उपभोक्ता को भूले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सब माल को खपत हो जाय और हमें यह भी ध्यान रखना है कि उपभोक्ता से उचित मूल्य लिया जाय।

फिर स्पर्धा का प्रश्न आता है, जिस के विषय में भी कुछ कहा गया था। हम उद्योग का विस्तृत रूप सामने रखते हैं और सभी प्रकार के उद्योगों को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कच्चा लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि सभी बढ़ें। हम चाहते हैं कि नकली रेशम उद्योग भी बढ़े। यदि हम चाहते हैं कि इस का विकास हो तो हमें इस के आयात को बन्द करना पड़ेगा और इस कारण हम ने बम्बई तथा त्रावणकोर कोचीन में दो प्लांट्स लगाने में प्रोत्साहन दिया। उन का बन्द करना क्या अच्छा होगा? क्या उपभोक्ता की उपेक्षा करना उचित होगा लोगों के सस्ते प्रकार का रेशम खरीदने से इस उद्योग को भी कुछ नुकसान हो सकता है। लोग थोड़ी संख्या में महंगी चीज़ों की अपेक्षा अधिक संख्या में सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लोग नकली रेशम पसन्द करते हैं। यदि लोग इसे नहीं चाहते तो नकली रेशम बाज़ार में बिक नहीं सकता। इस प्रश्न पर विचार

करते समय हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ता है। नकली रेशम तो हमें रखना ही पड़ेगा।

डा० एम० एम० दास : नकली चीज़ों के साथ रेशम का नाम क्यों जोड़ा जाय ?

श्री करमरकर : मैं माननीय मित्र की बात के विषय में नहीं कह रहा था किन्तु मैं तो उस बात पर कह रहा था कि नकली रेशम भी स्पर्धा कर रहा है। मेरे माननीय मित्र ने अभी जो बात कही मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं। वनस्पति को "वेजिटेबुल घी" कहने से इसका नाम ज़रा अच्छा सा हो जाता है फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। आप नकली रेशम को रयन कहें या कुछ और कहें लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि यह रेशम से सस्ता है। एक दिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि नकली रेशम के दाम रेशम शीर्ष के अन्तर्गत छपते हैं। मेरे माननीय मित्र जहां के निवासी हैं वहां के समाचार पत्रों में भी ऐसा ही छपता है। ऐसा छापने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। लोग जानते हैं कि इस का क्या मतलब है।

डा० एम० एम० दास : बहुत से ठगे जाते हैं।

श्री करमरकर : ठगा जाना एक दूसरा मामला है। मैं अपने माननीय मित्र की बात से सहमत हूं कि "रेशम" का नाम अलग रखा जाय। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम उचित रूप से विचार करेंगे।

सदन में कुछ सुझाव दिये गये थे। हमें उन के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं मैं ने संसाधनों, नकली रेशम तथा रेशम के विषय में कहा। शहतूत के वृक्षों की खेती के सम्बन्ध में सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हाल ही में शहतूत के वृक्षों की खेती के एकड़ों में वृद्धि हो गई है और उस के वृक्षों की संख्या भी बढ़ गई है।

अब फैक्टरियों तथा हथकरघों का प्रश्न है। हमें बड़ी मिलों के मुकाबले में हथकरघों के स्थान निश्चित करने पड़ेंगे, किन्तु ऐसा करने के लिये हमारे पास अब भी समय है। यह प्रश्न हमारे सामने है, और सदन को मालूम है कि कपड़ा जांच समिति इन सब प्रश्नों पर विचार कर रही है और हम उस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। इस मामले में एक और बात है जिसे सरकार स्वीकार कर लेगी वह यह है कि किसी उद्योग के विकास के लिये ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायगा जिससे किसी उद्योग में लगे हुए लोगों की रोज़ी पर असर पड़े। इस मामले में या किसी अन्य मामले में कोई भी कार्य करते समय हम इस सिद्धान्त को अवश्य ध्यान में रखेंगे।

टसर रेशम के बारे में भी कुछ कहा गया था। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि श्री झुनझुनवाला ने इस के तथा भागलपुर के रेशम के बारे में कहा। मैं नहीं जानता कि उन्हों ने भागलपुर के रेशम की उन्नति के लिये कितना प्रयत्न किया। उन्हों ने मुझे इस का मूल्य ले कर एक नमूना देने का वचन दिया है।

श्री झुनझुनवाला : मुफ्त, श्रीमान् जी।

श्री करमरकर : इस बात को कहने से क्या लाभ कि आप के पास एक चीज़ है जब तक कि आप पैसा लेकर उसे दें नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भागलपुर के रेशम का तब तक जिक्र नहीं करेंगे जब तक वह इस के बारे में मुझे विश्वास न दिला दें। नकली रेशम के विषय में किसी सदस्य ने दास मशीन का उल्लेख किया जो कि बड़ी उपयोगी पाई गई है। कहते हैं कि काम खुद ही अपना इनाम होता है, किन्तु मैं समझता हूं कि श्री दास को इस बात से खुशी नहीं होगी कि उन्हें इनाम धन के रूप में दिया जाय। परन्तु हम ने उस की मशीन को स्वीकार कर के उस के सम्बन्ध में प्रयोग करने की अनुमति दे कर उसे काफ़ी बड़ा इनाम दिया है। हम न उस की मशीनों के लिये काफ़ी आर्डर दे दिये हैं तथा हम ने उस की मशीनों

[श्री करमरकर]

को उड़ीसा तथा कुछ अन्य प्रान्तों में बहुत लाभदायक पाया है। वास्तव में, इस प्रकार की खोज पर ही हमारी आशा लगी हुई है।

मेरे विचार में मैं ने उठाई गई मुख्य बातों का उत्तर दे दिया है। हर एक बात का उत्तर देना तो असम्भव हो जायेगा। मुझे यह देख कर बहुत प्रसन्नता है कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले प्रतिनिधि अपने अपने राज्यों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बहुत जागरूक हैं। यद्यपि मैं आसाम से आने वाले अपने माननीय मित्र की आसाम में स्त्रीदाक्षिण्य के लिये सराहना नहीं कर सकता, फिर भी, मैं आसाम की महिलाओं की सराहना किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन में से ९९ प्रतिशत यह जानती हैं कि अच्छा कपड़ा किस प्रकार बुना जा सकता है। मैं भी पहले इस पर विश्वास नहीं करता था किन्तु स्वयं कपड़ा देख लेने पर मैं भी यह कह सकता हूं कि आसाम की अच्छी महिलाओं द्वारा बुना गया कपड़ा साधारण जुलाहों द्वारा बुने गये कपड़े से कहीं अच्छा होता है। आसाम के लिये यह एक अच्छी बात है। आसाम में जिस प्रकार कुटीर उद्योग ने पैर जमा लिये हैं तथा प्रत्येक घर यह सोचता है कि उस का स्वयं का कपड़ा होना चाहिये, यह वास्तव में एक उल्लेखनीय बात है। मुझे बतलाया गया था कि आसाम में ऐसी लड़की को पति मिलना कठिन है जो बुनना न जानती हो। मैं तो चाहता हूं कि यह समस्त भारत में लागू हो जाये जिस से प्रत्येक घर म स्वयं उसका ही उद्योग चलने लगे। मैं हंसी में नहीं, बल्कि गम्भीरतापूर्वक कहता हूं कि हम आसाम की सराहना करनी चाहिए इसलिये नहीं कि मेरे माननीय मित्र रसद उपमंत्री मेरे पास यहां बैठ कर मुझे इस विधेयक में सहायता दे रहे हैं बल्कि इसलिये कि कुटीर और घरेलू काम धन्धों को इसी प्रकार बढ़ना चाहिये। यहां पर बैठ कर भागलपुर के रेशमी कपड़े के लिये मांग करने का कोई लाभ नहीं है जब तक कि भागलपुर से आने वाला व्यक्ति इस बात की कोशिश नहीं करता कि वह स्वयं अपना ही कपड़ा पहने। यही तरीका है जिससे हमारे उद्योग वास्तव में, प्रगति कर सकते हैं। मुझे इस बात को देख कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आसाम के लोगों ने घरेलू काम-धन्धों के उद्देश्य को वास्तविक रूप में समझा है।

अब समय हो चुका है कि मैं अपना भाषण समाप्त कर दूं, फिर भी, मैं यह कह देना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने जिस प्रकार की आम टिप्पणी की है——उनके लिये हर बात में संकट रहता है——मेरे विचार में उस को छोड़ कर रेशम उद्योग में लगभग संकटकाल ही आया हुआ है। उनका सम्मान करते हुए मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रशासन के अलावा मैं हमेशा ही रेशम हितों के निकट सम्पर्क में रहता हूं तथा जैसा कि उन्होंने कहा, मैं रेशम की कीमत से भी अवगत रहता हूं। पिछले महीनों में उन की हालत अच्छी थी। तटकर बोर्ड द्वारा निश्चित की गई उचित कीमत ही उन्हें प्राप्त होती रही है। जब मैं यह कहता हूं कि कच्चा रेशम उत्पन्न करने वालों तथा साथ ही जुलाहों तथा अन्य उन सब लोगों के हितों का, जो रेशम उद्योग से सम्बद्ध हैं, हमें हमेशा ध्यान रहता है तो आप यह न समझ बैठें कि मैं यह बात बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं। यदि विश्व ही में कोई संकट आ जाता है,

जैसे बहुत बढ़ी हुई कीमतें या बहुत ही घटी हुई कीमतें, तो यह मामला हमारे नियंत्रण से बाहर की बात हो जाती है। परन्तु, तटकर आयोग की सलाह के अनुसार हम ने हमेशा ही आन्तरिक कीमतों को बहुत अधिक घटने नहीं दिया है। वास्तव में, गत वर्ष, जब संकट उत्पन्न होता प्रतीत हुआ था, तो हम ने तटकर आयोग से वर्ष में एक बार की अपेक्षा दो दो बार अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा था। अतः यह मामला हमेशा हमारे विचाराधीन रहता है।

परन्तु पूर्ण परिणाम ज्ञात करने के लिये उद्योग को केवल तटकर संरक्षण देना पर्याप्त न होगा। अतएव, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस उद्योग के लिये सब से महत्वपूर्ण बात है अनुसंधान तथा विकास तथा सदन के इस ओर बैठे हुए हम यही आशा करते हैं कि यह विधेयक इस प्रकार के अनुसन्धान तथा विकास को बढ़ायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड ४ (धारा ४ का संशोधन आदि)

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में से पंक्तियां २३ से २५ तक निकाल दी जायें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री करमरकर : हमारे विचार में यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ह क्योंकि इस का मुख्य कारण परन्तुक है जो इस प्रकार है :

"परन्तु किसी भी ऐसे अधिकारी का निर्धारित परिस्थितियों में किसी अन्य अधिकारी को अपनी ओर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये भेजना विधिसंगत होगा।"

मेरे विचार में माननीय सदस्य ने कोई ग़लत धारणा बना ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस अधिकारी का बोर्ड पर नामनिर्देशन किया जाता है और जो एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, अन्य कार्यों के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाता है और यदि हमें उस के स्थान पर दूसरे अधिकारी को भेजने का अधिकार न होगा तो पर्याप्त रूप से सरकारी प्रतिनिधित्व न हो सकेगा। इसी उद्देश्य को ले कर यह परन्तुक रखा गया है कि सरकारी नामनिर्देशित अधिकारी अपने स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेज सके जिस से बोर्ड में पर्याप्त रूप से सरकारी प्रतिनिधित्व हो सके। और यह कार्य सरकार की पूर्ण सहमति से किया जायेगा।

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति २५ में, "Board" (बोर्ड) शब्द के पश्चात् "and vote, if necessary" (तथा मत देना, यदि आवश्यक हो) शब्दों को आदिष्ट किया जाये।

मैं चाहता हूं कि यदि आवश्यकता हो. तो प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत दान करने का भी अधिकार होना चाहिये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री करमरकर : मेरे विचार में यह संशोधन अनावश्यक है, क्योंकि प्रतिनियुक्त किया गया अधिकारी अपने विवेकानुसार काम करेगा। अतः यह अधिकार आवश्यक नहीं है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में,--

१ और २ पंक्तियों के स्थान पर निम्न-लिखित आदिष्ट किया जाये :

"(c) four persons elected by the members of the House of the People from amongst themselves and two persons elected by the members of the Council of States from amongst themselves;"

["(ग) लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने आप में से निर्वाचित चार व्यक्ति तथा राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने आप में से निर्वाचित दो व्यक्ति"]

मैं केवल अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। परन्तु मैं कोई भाषण न दूंगा क्योंकि मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री करमरकर : हम विषय सूची के सम्बन्ध में पहले ही से सहमत हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोक सभा के सदस्य अपने आप में से चार तथा राज्य परिषद के सदस्य अपने आप में से दो व्यक्तियों को चुनें। हमें विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि इस समय उस में जो शब्द दिए हुए हैं वे पूर्णतः पर्याप्त हैं। परन्तु यदि स्पष्टीकरण के लिये आप इस संशोधन को आवश्यक समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा० एम० एम० दास : मैं ने भी इसी सम्बन्ध में एक संशोधन की सूचना दी है। क्योंकि मैं ने पहले सूचना दी है इसलिये मेरा संशोधन पहले लिया जाना चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, के पंक्ति २ में,--

(१) "House of the People" (लोकसभा) के पश्चात "by the members of the House of the People" (लोक सभा के सदस्यों द्वारा) शब्दों को आदिष्ट किया जाये; तथा

(२) "Council of States" (राज्य परिषद्) के पश्चात् "by the members of the Council of States" (राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा) शब्दों को जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री करमरकर : इस के पहले का संशोधन कौन सा है ? हमें इस में कोई आपत्ति नहीं है कि यह उन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या अन्य सदस्यों द्वारा।

सभापति महोदय : जहां तक आशय का सम्बन्ध है वह एक ही है, पहले वाले का भी यही आशय है।

श्री करमरकर : शायद विधि मत्री हमें कुछ सलाह दे सकें।

विधि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : सारी बातों को निबटाने के लिये यही अच्छा है कि संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की ८वीं पंक्ति में, अन्त में यह जोड़ दिया जाये,--

"to represent the producers of raw silk, silk spinning, twisting and weaving industries"

[कच्चे रेशम, रेशम कातने, बटने तथा बुनने के उद्योगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये

राज्य सरकारें गैर-सरकारी व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकती हैं, किन्तु मेरा निवेदन है कि वे ऐसा करने में कच्चे रेशम, रेशम कातने, बटने तथा बुनने में लगे हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित करना न भूल जायें ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि हम इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं । उपखण्ड (ग) में हम ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार जिन आठ व्यक्तियों को नाम निर्देशित करेगी उन में से एक श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व करेगा । उत्पादकों में साधारणतः सभी प्रकार के उत्पादक शामिल होंगे चाहे वह उत्पादक, श्रमिकों को रखता हो या स्वयं काम करता हो ।

श्री टी० के० चौधरी : राज्य सरकार रेशम विभाग के दो अधिकारियों का नाम निर्देशन कर सकती है । मूल अधिनियम में एक परन्तुक दिया हुआ था कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों में से एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा, किन्तु इस बार वह परन्तुक बिल्कुल उड़ा दिया गया है ।

श्री करमरकर : उसे जान कर ही नहीं रखा गया है । अक्सर प्रश्न इस बात का रहता है कि जिस व्यक्ति को नाम-निर्देशित किया गया है वह कार्य कुशल भी है अथवा नहीं; सरकारी या गैर-सरकारी का तो प्रश्न बाद में आता है । इसीलिये, हम इस मामले में राज्य सरकारों को छूट देना चाहते हैं । यदि गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकाबले सरकारी अधिकारी अच्छा काम कर सकते हैं तो उन्हें नामनिर्देशित किया जा सकता है । हमें तो काम से मतलब है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १९ में,

"eight persons" (आठ व्यक्ति) के स्थान पर "ten persons" (दस व्यक्ति) शब्दों को आदिष्ट किया जाये ।

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २२ में,

"labour" (श्रमिक) के पश्चात् "two cocoon rearers"(दो कोये पालने वाले) शब्दों को आदिष्ट किया जाये ।

मैं चाहता हूं कि कोये पालने वालों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये । क्योंकि उप-खण्ड (ञ) के अन्तर्गत अनेक हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और कोये पालने वालों का स्वयं अपना एक विशेष वर्ग है इसलिये उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

श्री करमरकर : यह सुझाव तो साधारण है किन्तु इस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि आप कोये पालने वालों को रेशम उद्योग में एक विशेष स्थान देना चाहते हैं तो इस तरह से तो उस उद्योग में संलग्न सभी व्यक्ति कुछ न कुछ महत्व रखते हैं । कोये पालने वालों का काम है रेशम के कीड़ों को शहतूत की पत्तियां खिला कर बड़ा करना और उन्हें बेचना । इस प्रकार उन्हें कच्चा रेशम तैयार करने वाले कहा जा सकता है । कच्चा रेशम तैयार करने वालों को पहले ही शामिल कर लिया गया है । फिर भी, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि नाम-निर्देशन करने में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोये पालने वालों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले ।

श्री टी० के० चौधरी : तब फिर मैं इन संशोधनों पर आग्रह नहीं करना चाहता ।

सभापति महोदय : अब मैं अन्य संशोधनों को सदन के सामने मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ में से पंक्तियां २३ से २५ तक निकाल दी जायें ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

डा० एम० एम० दास ने सदन की अनुमति से अपना पहला संशोधन वापस ले लिया ।

श्री टी० के० चौधरी ने अपने संशोधन संख्या १२ पर आग्रह किये बिना डा० एम० एम० दास के संशोधन संख्या २ को स्वीकार कर लिया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति २ में,—

(१) "House of the People" (लोक-सभा) के पश्चात् "by the members of the House of the People" (लोक-सभा के सदस्यों द्वारा) शब्दों को आदिष्ट किया जाये; तथा

(२) "Council of States" (राज्य परिषद्) के पश्चात् "by the members of the Council of States" (राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा) शब्दों को जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं पृष्ठ २ पंक्ति ८ में कतिपय शब्द जोड़ने के सम्बन्ध में अपने संशोधन को वापस लेने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५ और ६ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खंड ७—(धारा १० इत्यादि का संशोधन)

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में, पंक्ति ४३ के पश्चात्,—

"(८) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के कार्य के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों का पूरा विवरण संसद् के समक्ष रखेगी ।"

संसद चाय, काफी, रेशम, नारियल जटा इत्यादि के कई बोर्ड बनाती रही है परन्तु हमें पता नहीं कि ये बोर्ड क्या करते हैं और कैसे कार्य करते हैं तथा इन्होंने अब तक क्या प्रगति की है । धन एकत्र किया जाता है और व्यय किया जाता है परन्तु ज्ञात नहीं कि किस प्रान्त में कितना व्यय होता है और कि वह राज्य विशेष की आवश्यकता के अनुसार है अथवा नहीं । इस लिए कार्य के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही लेखों का विवरण भी चाहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि जिस माननीय सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उन के मन में कुछ भ्रान्त धारणा है । यदि बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखने का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि किसी अनुविहित उपबंध के बिना ही मैं इस से सहमत होने के लिए तैयार हूं । जहां तक बोर्ड के लेखों का सम्बन्ध है वे सरकार के लेखों का भाग हैं । बोर्ड में व्यय किये जाने वाला धन आयव्ययक अनुदानों में से लिया जाता है । कुल अनुदान में से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय बोर्ड के लिये अनुदान देता है । इस लिए जहां तक व्यय का संबंध है बोर्ड का अलग स्थान है । वस्तुतः वह कार्यालय का भाग है । यदि मेरे माननीय मित्र को इस का पता होता तो वे लेखे सदन पटल पर रखने के लिए न

कहते । जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है मैं यह विश्वास दिलाने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी अनुविहित उपबन्ध के बिना भी इस बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखूंगा । सरकार को अपने वचन पूरे करने को बाध्य करने के लिए कठोर नियम हैं क्योंकि उन की प्रतिज्ञाओं की जांच की जाती है । मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे वचन को स्वीकार करेंगे और संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मुझ ज्ञात है कि ये लेखे आयव्ययक के भाग हैं परन्तु उन वृहताकार पुस्तकों में से ये तथ्य निकालने कठिन हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बोर्ड के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन से यह पता चलेगा कि ४०,००० रुपया किसी विशेष राज्य को विशेष कार्य के लिए दिया गया और कि २०,००० रुपया अन्य सरकार को अन्य प्रयोजन के लिये दिया गया । ये सब बातें वर्णित होंगी परन्तु जैसा माननीय सदस्य का विचार है यह स्थिति विवरण के रूप में नहीं होगी ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं इस दिएं गए आश्वासन को स्वीकार करता हूं और संशोधन के लिए आग्रह नहीं करता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ८—(धारा १३ इत्यादि का संशोधन)

श्री क० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ तीन, पंक्ति ४ में अन्त म,—

"और वे परिस्थितियां जिन के अधीन कोई सरकारी सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य को नियोजित कर सकता है ।"

जोड़ दिया जाए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह नहीं हो सकता ।

श्री करमरकर : हम परिस्थितियों की परिभाषा नहीं कर सकते । उसे कुछ और काम हो सकता है ।

श्री के० सी० सोधिया : खण्ड में 'विनिहित परिस्थितियां' शब्द हैं । अब इन परिस्थितियों को विधि द्वारा विनिहित करना होगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुत: बात यह है । यह हो सकता है कि किसी अधिकारी के सिर दर्द हो, बुखार हो गया हो अथवा बवासीर हो गई हो या सर्दी लग गई हो । बीमारी इत्यादि की किसम जिस के कारण, अधिकारी न आ सके अथवा जिस किसी आवश्यक काम के कारण वह न आ सके इन परिस्थितियों को हम नियमों में अब स्पष्ट नहीं कर सकते । यह किसी गैर सरकारी सदस्य के प्रतिस्थापन का प्रश्न नहीं है । तब तो जो कुछ मेरे माननीय मित्र कहते हैं, अवश्य ठीक होता । सरकारी पदाधिकारी के सम्बन्ध में एक उप-सचिव उतना ही उपयुक्त है जितना कि अन्य । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमें वे परिस्थितियां स्पष्ट बतानी चाहियें जिन के अधीन हम पदाधिकारियों को बदल सकें । वस्तुत: हमें यह सब करने की आवश्यकता नहीं । एक उप-सचिव रेशम का कार्य कर रहा है । वह स्थानान्तरित किया जा सकता है और दूसरा व्यक्ति भेजा जा सकता है । इस लिए परिस्थितियां और परिस्थितियों की नियमों द्वारा परिभाषाएं सरकार को नहीं बांध सकतीं । मेरे विचार में यह अनावश्यक है ।

श्री के० सी० सोधिया : यदि अधिनियम में ऐसा उपबन्ध न किया जाए तो कोई पदाधिकारी किसी अन्य पदाधिकारी को अपनी स्वच्छन्द इच्छा से भेज देगा और इस प्रकार किसी का पद अथवा नाम द्वारा नाम निर्देशन निरर्थक हो जाएगा ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मेरे माननीय मित्र इस के लिए बहुत इच्छुक हैं तो इसे रख लिया जाएगा परन्तु इस से कुछ लाभ नहीं होगा ।

श्री क० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ३ पंक्ति १३ में,
अन्त में,

"तथा निर्देशित अनुपस्थिति के फलस्वरूप एक सदस्य के स्थान की रिक्ति के लिए" जोड़ दिया जाए ।

जैसा मैंने पहले बताया यदि बोर्ड की गणपूर्ति एक तिहाई निश्चित की जाए तो यह एक सरकारी निकाय होगा । इसमें गैर-सरकारी सदस्यों की उपस्थिति निश्चित करने के लिए हमें अधिनियम में यह उपबन्ध रखना चाहिए कि यदि कोई सदस्य तीन अथवा दो बैठकों में लगातार न आए तो वह सदस्य रहने के लिए अनर्हित हो जाएगा । इससे गैर सरकारी सदस्य बोर्ड की कार्यवाही में अभिरुचि रखेंगे और विधेयक का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा ।

श्री करमरकर : हम ने यह आवश्यक नहीं समझा क्योंकि साधारणतः सब सदस्य बैठकों में आते हैं ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ ३ पंक्ति २२ में,—

"ऐसे लेखों" के पश्चात् "नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श के साथ ।" शब्द जोड़ दिये जायें ।

संसद् का सरकारी व्यय पर दो प्रकार का नियंत्रण होता है । एक तो सरकार जब संचित निधि में से धन निकालती है और दूसरे जबकि धन व्यय किया जा चुका होता है और लेखों के निरीक्षण का प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाता है । उक्त उपकर संचित निधि में रखा जाएगा इस लिए आय-व्ययक के समय सदन को व्यय पर चर्चा करने का अवसर मिल सकेगा । मेरे संशोधन द्वारा नियंत्रण का दूसरा साधन अर्थात् व्यय के निरीक्षण का अवसर लोक लेखा समिति को मिल जाएगा ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियंत्रक महालेखा परीक्षक सब सरकारी निधियों के सम्बन्ध में पूर्ण नियंत्रण रखता है । साधारणतः ये सब लेखा परीक्षण कर्मचारी करते हैं । मेरे विचार में नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन लेखों का निरीक्षण करने और जिस रूप में लेखों का संधारण होना चाहिये उसे प्रस्तुत करने आदि के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगा । जिस प्रकार सरकार की निधियों का लेखा रखा जाता है अथवा निधियों को रखा जाता है इस के सम्बन्ध में यदि सामान्यतः कोई गलती हो तो वह अपना निर्णय देगा । यह विचार करते हुए कि बोर्ड पर संसदीय नियंत्रण होगा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सामान्य नियंत्रण सदा रहता है, मेरे विचार में यह सावधानी अनावश्यक है । इस से उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो कि आवश्यक नहीं है । मेरे विचार में सरकार स

संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु इस के साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सम्बन्धित कार्यालयों के निरीक्षण और लेखों की जांच करने से कदापि नहीं रोक सकते।

डा० एम० एम० दास : हम देखते हैं कि औद्योगिक वित्त निगम इत्यादि निकायों के लिए महालेखा परीक्षक के परामर्श से निजी लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। परन्तु मूल अधिनियम में हम देखते हैं कि लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक के परामर्श के बिना नियुक्त किए जायेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार सम्बन्धित कार्यालयों के लेखों का परीक्षण कोई निजी लेखा परीक्षक नहीं कर सकता यह सरकार से सम्बन्धित कोई व्यक्ति ही कर सकता है। यदि बोर्ड बम्बई में स्थित हो तो बम्बई के महालेखा पाल वह पदाधिकारी होंगे जो जब तक लेखों और लेखा-परीक्षण को पृथक् नहीं किया गया, इस के लेखों को देखेंगे।

डा० एम० एम० दास : तो क्या मैं समझूं कि ये लेखा परीक्षक सरकारी लेखा परीक्षक होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां।

डा० एम० एम० दास : क्या इस विधेयक अथवा मूल अधिनियम में इस प्रकार का उपबन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह धन सरकार का है कोई निजी लेखा परीक्षक सरकार से सम्बन्धित कार्यालय का लेखा परीक्षण नहीं कर सकता। रेशम का बोर्ड सम्बन्धित कार्यालय होगा वह स्वतन्त्र कार्यालय नहीं होगा.

श्री क० सी० सोधिया : श्रीमान् मैं अपने संशोधन का पहिला भाग प्रस्तुत नहीं करना चाहता, किन्तु दूसरा भाग मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में पंक्ति ४८ के पश्चात् :

"(२) धारा १३ की उप-धारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा निविष्ट की जाए, अर्थात्

'(३) उप-धारा (२) के अधीन बनाए गए नियम संसद् के समक्ष रखे जायेंगे'।"

जोड़ा जाए।

यह बहुत आवश्यक संशोधन है और मैं समझता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं !

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ ३ में पंक्ति ४८ के पश्चात्

"(३) इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों को सरकारी सूचनापत्र में प्रकाशण से पूर्व संसद् के समक्ष रखा जाएगा।"

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रथा यह है कि नियम सदा सदन पटल पर रखे जाते हैं और कोई माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा सकता है। इस के अतिरिक्त प्रकाशन का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सरकार नियमों को सदा बदल सकती है। इस लिए जब हम ने श्री सोधिया का संशोधन स्वीकार कर लिया है तो मैं समझता हूं कि श्री रामस्वामी का संशोधन आवश्यक नहीं। सम्भवतः माननीय सदस्य को यह तथ्य विदित नहीं कि कार्य के नियमों के अधीन एक समिति है जो बनाई जानी है और जो प्रत्यायोजित विधान का निरीक्षण करेगी। इस का यह प्रयोजन है कि जब कभी परीक्षण करके यह चाहे कि कतिपय नियम बदल दिये जाएं तो सरकार नियमों

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

को बदल देगी। इस लिए प्रकाशन से पूर्व नियमों को संसद् के समक्ष रखने का अर्थ केवल विलम्ब है। सरकार की नियम विधायिनी शक्ति पर संसद् का पूर्ण नियन्त्रण है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय मंत्री के कथन पर ध्यान देते हुए मैं संशोधन के लिए अधिक आग्रह नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोधिया का संशोधन सदन के सामने मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मैं संशोधन में छोटा सा बदल चाहता हूं। मेरे मंत्रणाकार कहते हैं कि यह ऐसा होना चाहिये: "इस धारा के अधीन सब नियम यथा सम्भव शीघ्र संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।" इस बदल के साथ मैं इसे स्वीकार करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रस्तावक इस बदल को स्वीकार करते हैं?

श्री के० सी० सोधिया : हां, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि 'संसद्' से अभिप्राय दोनों सदनों से है। मैं संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि

पृष्ठ ३ में

पंक्ति ४८ के पश्चात्

"(३) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम यथा सम्भव शीघ्र संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं अन्य दो संशोधनों को वापस लेने की अनुज्ञा मांगता हूं।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० एम० एम० दास के संशोधन के सम्बन्ध में क्या है?

डा० एम० एम० दास : मूल अधिनियम की धारा २ खण्ड (२) में हम देखते हैं कि बोर्ड के वार्षिक लेखा परीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी। सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम कभी निजी लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं करते।

डा० एम० एम० दास : क्या यह प्रथा है। हम प्रथा से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तो भी महालेखा परीक्षक का नियंत्रण रहता है।

डा० एम० एम० दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार निजी लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकती है।

श्री करमरकर : तंत्रतः वे निजी हो सकते हैं।

डा० एम० एम० दास : तब मैं कहना चाहता हूं कि निजी लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक के परामर्श के साथ नियुक्त किये जाने चाहियें।

श्री करमरकर: एक और सम्बन्ध में हम ने "नियंत्रक महालेखा परीक्षकके परामर्श सहित" का विरोध किया था। जैसा मेरे माननीय साथी ने बताया है, मह लेखा परीक्षक इस अतिरिक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगा। परन्तु हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि इस में हमारा लेखा परीक्षक उत्तरदायी कर्मचारी होगा।

डा० एम० एम० दास : मुझे खेद है यह ठीक नहीं.....

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और उस पर चर्चा की गई है। माननीय सदस्य को स्वतन्त्र निश्चय करना

चाहिये कि वह इस पर आग्रह करना चाहते हैं अथवा इसे वापस लेना चाहते हैं।

मैं संशोधन गत के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ८, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ९ विधयक का अंग बना लिया गया।

खंड १०—(नई धारा १५ क आदि का निवेश)

श्री रघुनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ की पंक्ति ३२ में शब्द "or a" "अथवा एक" के पश्चात शब्द "Stipendiary" "वृत्तिभोगी" निविष्ट किया जाय।

मैं निवेदन करता हूं कि अवैतनिक अथवा विशष मेजिस्ट्रटों को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है, यह एक टैक्नीकल कानून है तथा इस का प्रवर्तन विशेषज्ञों के हाथ में होना चाहिये।

श्री करमरकर : यह एक सीधा सा मामला है, किन्तु माननीय सदस्य भ्रान्ति में पड़ गये हैं, हम प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेटों को अभिज्ञात करना चाहते हैं। वह कितना कानून जानते हैं इसकी चिन्ता करना उन लोगों का काम ह जो उन्हें नियुक्त करते हैं, यदि हम इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अपने अवैतनिक मे जिस्ट्रेटों पर आक्षप करते हैं।

श्री रघनाथ सिंह : मैं इस पर आग्रह नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १० विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० विधयक का अंग बना लिया गया।

खंड ११ तथा खंड १२ विधेयक के अंग बना लिए गए।

खंड १ : संक्षिप्त शीषक आदि संशोधित किया गया कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति ३ में "१९५२" के स्थान पर "१९५३" रखा जाये।

—[श्री करमरकर]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १, संशोधित रूप में विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बना लिया गया।

शीषक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

यह विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आंकड़ा संग्रह विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित विशेष प्रक र के आंकड़ों के संग्रह

[श्री करमरकर]

कार्य को आसान बनाने के विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसे कि माननीय सदस्यों को मालूम है, औद्योगिक सांख्यकी के बारे में पहले ही एक कानून, औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम, १९४२ मौजूद ह । हमारी जैसी नियंत्रित अथ-व्यवस्था में सही सांख्यकी ही सभी ठीक निष्कर्षों का आधार है, जब तक कि हमारे पास ठीक तरह के तथ्य तथा आंकड़े न हों तव तक हम बहुत सी समस्याओं का सही हल नहीं ढूंढ सकते हैं, तथा ऐसे आंकड़ों का संग्रह कार्य सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में होगा । उद्योग तथा वाणिज्य का आपस में नजदीकी सम्बन्ध है, हम केवल औद्योगिक आंकड़ों का संग्रहण करके ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते हैं, हमें वाणिज्यिक सांख्यकी की ओर भी ध्यान देना होगा, निस्सन्देह हमारे पास इस समय आंकड़े संग्रहित करने के विभिन्न स्त्रोत हैं जसे कि विदेश व्यापार से सम्बन्धित आंकड़ों आदि के । स्वभावत: हमें सारे वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्र के आंकड़ संग्रहित करने के लिये शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, तथा केवल उचित सांख्यकी के आधार पर ही सरकार कोई कार्यवाही कर सकती है । इससे न केवल विधान बनाने में हमें सहायता मिलेगी, अपितु कार्यनिष्पादन में भी सहायता मिलेगी ।

उदाहरणत: हाल ही म हमें कुछ कठिनाई आई । गत वर्ष सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिस में सभी वाणिज्यक उपक्रमों को उनके द्वारा सेवायुक्त भारतीय तथा विदेशी प्रजाजनों के सम्बन्ध में सांख्यकी उपलब्ध करने के लिये कहा गया था । कुछ समवायों ने हमें यह सूचना उपलब्ध नहीं की यद्यपि अधिकांश समवायों ने ऐसा किया । यह एक अनियमित स्थिति थी । इस तरह की सांख्यकी को पूर्ण नहीं समझा जा सकता है, जब तक हमें इस सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त नहीं हो तब तक हम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं कि सही आंकड़े संकलित किए गए हैं । इसलिए यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह देश के व्यापार तथा उद्योग समवायों से तथ्य तथा आंकड़े मांग सके । जैसे कि मने निवेदन किया, इस सम्बन्ध में पहले ही एक कानून मौजूद है, यह विधेयक औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम १९४२ का प्रतिस्थापन करेगा । वह अधिनियम प्रान्तीय सरकारों को केवल कारखानों के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रहित करने का अधिकार दे देता है । सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र विस्तत है तथा यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी उद्योग अथवा उद्योगों अथवा वाणिज्यिक समवायों से श्रम कल्याण तथा कामकाज की शर्तों आदि के बारे में आंकड़े संग्रहित कर सकें, दूसरे मामलों में यह विधेयक स्पष्टतय: औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम, १९४२ जो कि उपयोगी सिद्ध हुआ है, के नमूने पर बना हुआ है सम्बन्धित सरकार विधेयक के खंड १४ के अन्तर्गत आवश्यक नियम बनावेगी, जिससे कि इस विधेयक के उद्देश्य पूरे किये जा सकें । खंड १२ केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्यों में इस अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुदेश दे ।

यह विधेयक पुराने अधिनियम के नमूने पर बना हुआ है, इसलिए मैं इस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं । मुख्य परिवर्तन जो किया गया है यह है कि हमारी जांच तथा आंकड़ा संग्रह का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, आधुनिक आर्थिक जीवन में सांख्यकी सही

सरकारी अथवा सार्वजनिक कार्यवाही का स्रोत है। उदाहरणतः अमेरिका में कुछ उत्पादों के परचून विक्रय के सम्बन्ध में सप्ताहिक अथवा पाक्षिक सांख्यकी उपलब्ध है। उस सीमा तक पहुंचना शायद यहां सम्भव न हो; परन्तु हमें उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार के सम्बन्ध में उचित आंकड़े संग्रहित करने के लिये यथा सम्भव अधिकाधिक प्रयत्न करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमें आशा थी कि ब्रिटिश अथवा यूरोपीय फर्मों में विदेशियों के स्थान पर धीरे धीरे भारतीयों को सेवायुक्त किया जायेगा, किन्तु हमें यह देख कर निराशा हुई कि इसके उलट इन फर्मों न अपने कर्मचारीवृन्द में विदेशियों की संख्या में वृद्धि करनी शुरू की। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारतीयों को निकाल के उन विदेशियों के लिए जगह खाली कीं जो चीन तथा ईरान, से वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निकाल दिये गए थे। इस तरह से जिम्मेदार पदों पर काम करन वाले भारतीयों के साथ ज्यादती की गई। मैंने गत वर्ष कलकत्ता मै माननीय मंत्री के साथ भी इस बारे में बात की। मेरे माननीय मित्र प्रो० हीरेन मुखर्जी ने तथा मैंन इस सम्बन्ध में एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति वर्ती जा रही है, उसे रोका जाये।

माननीय मंत्री ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने विदेशी समवायों के नाम एक अधिसूचना जारी की थी जिसका कुछ समवायों ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, उनके अन्तःकरण शुद्ध नहीं थे, यही कारण है कि उन्होंने क्यों कोई उत्तर नहीं दिया। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका हमें निवारण करना होगा, हमें अपने यवकों को निराशा तथा निरुत्साह के गढ़े में धकेलन से बचाना होगा। यह विधेयक सही लाइनों पर बना हुआ है तथा इस से सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह इन समवायों से ज़रूरी सूचना मांग सके।

आपको यह सुन कर अचम्भा होगा कि एक ब्रिटिश फर्म के जनरल मैनेजर ने अभी एक ज़िम्मेदार भारतीय को केवल इसलिए डिसमिस किया कि वह किसी नवागन्तुक यूरोपीय के लिए जगह खाली करना चाहता था। उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया गया। ऐसी बातें कलकत्ता में हो रही हैं और मेरे विचार में बम्बई में भी ऐसा ही हो रहा होगा।

उपलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में भी भेदभाव की नीति बर्ती जाती है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह न केवल इस विधेयक के द्वारा शक्ति ग्रहण कर, अपितु उस शक्ति को प्रयोग में भी लायें।

खंड ६ के अन्तर्गत सरकार को दस्तावेज़ अथवा अभिलेख देखन का भी अधिकार दिया गया है। मेरे विचार में यदि आवश्यकता हो तो सरकार को इस सम्बन्ध में इस से भी और अधिक शक्ति ग्रहण करनी चाहिय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ समय और लेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी: जी हां, श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अ ना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ६ अगस्त १९५३ क सवा आठ बजे तक के लिये स्थागत हो गई।